

वार सभा मन्दिर
बिल्ली

★

9929

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२००.१९
१०१

(मन्दि)

श्री १५० पुस्तकालय

विवाह-विशेष-प्रकाश

अर्थात् विवाह देहली

विवाह शब्द शास्त्रीय उदाहरण के अन्तर्गत के
उत्तररूप में, अनेक प्राचीन रीतियों के प्रदर्शनपूर्वक,
विवाह के वर्तमान क्षेत्र पर प्रकाश ।

लेखक

पंडित जुगलकिशोर मुख्तार,
सरसाबा, जिला सहारनपुर ।

प्रकाशक

ला० जीहरीमल जैन, सराफ,
दरीबा कलाँ, देहली ।

मुद्रक

गयादत्त प्रेस, बड़ा दरीबा, देहली ।

प्रथमावृत्ति } माघपद संवत् १९८२ विक्रम. } मूल्य
द्वितीय प्रतिय } अगस्त, १९२५. } एक-आने

प्रकाशक के दो शब्द ।

आज, अपनी पूर्वसूचना के अनुसार, 'शिक्षाप्रवृत्तियों का विकास' की समालोचना का विस्तृत उत्तर लेकर, मैं अपने पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ, यह मेरे लिये एक बड़े ही आनन्द तथा हर्ष का विषय है। लेखक महोदय पं० जुगल किशोर जी ने इस उत्तर-लेखके लिखने में कितना आधिक परिश्रम किया है, कितना युक्ति-युक्त, प्रामाणिक तथा सार्थक उत्तर लिखा है और इसके द्वारा विवाहक्षेत्र पर कितना अधिक प्रकाश डाला गया है, ये सब बातें प्रकृत पुस्तक को देखने से ही सम्बन्ध रखती हैं। और इस लिये अपने पाठकों मेरा यह सानुसंध निवेदन है कि वे इस पुस्तकको खूब गौरव से, पसंदीला साधन पढ़नेकी ज़रूरत कृपा करें। इसके पढ़नेसे उन्हें कितनी ही नई नई बातें मालूम पड़ेंगी और वे विवाह की वर्तमान समस्याओं को हल करने में बहुत कुछ समर्थ हो सकेंगे। वही उन्हें यह भी मालूम पड़ जायगा कि पं० मकलनलालजी प्रकाशक की लिखी हुई समालोचना कितनी अधिक निःसार, निर्मूल, बेतुकी, बेढगी, मिथ्या, तथा समालोचकके कर्तव्योंसे गिरी हुई है। और उसके द्वारा कितना अधिक भ्रम फैलाने तथा सत्य पर पर्दा डालने की जघन्य चेष्टा की गई है।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझता हूँ कि समालोचकके द्वारा समालोचना की 'भूमिका' में प्रकाशक के उद्देश्य तथा आशय (मशा) के विषय में जो कुछ लिखा है वह सब भी मिथ्या तथा उन्हींके द्वारा परिकल्पित है।

अन्तमें, लेखक महोदयका हृदय से आभार मानता हुआ, मैं उन सभी सज्जनों का सहर्ष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सहायता प्रदान की है।

जौहरीमल जैन ।



विवाह-क्षेत्र-प्रकाश ।

अर्थात्,

‘शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण’ की सम्मालोचना के
उत्तररूपमें, अनेक प्राचीन रीतियों के प्रदर्शनपूर्वक,
विवाहके वर्तमान क्षेत्र पर प्रकाश ।

प्राथमिक निवेदन ।

सन् १९१८ में, ‘शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण’ नामसे मैंने एक लेख माला प्रारंभ की थी और उस समय सबसे पहिले एक छोटासा लेख सेठ चारुदत्त के उदाहरण को लेकर लिखा गया था, जो अक्तूबर सन् १९१८ के ‘सत्योदय’ में प्रकाशित हुआ और जिसमें जाति विरादरी के लोगों को पतित भाइयों के प्रति अपने अपने व्यवहार तथा बर्ताव में कुछ शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा की गई थी। उसके बाद, वसुदेवजी के उदाहरण को लेकर, दूसरा लेख लिखा गया और उसमें विवाह-विषय पर कितना ही प्रकाश डाला गया। वह लेख सबसे पहले अप्रैल सन् १९१९ के ‘सत्योदय’ में, और बादको सितम्बर सन् १९२० के ‘जैन हितैषी’ में भी प्रकाशित हुआ था। इन्हीं दोनों लेखों को आगे पीछे संग्रह करके, हालमें, ला० औदरीमल जी जैन सराफ, दरीबा कलाँ, देहली ने ‘शिक्षाप्रद

राष्ट्रीय उदाहरण' नामसे एक पुस्तक प्रकाशित की और उसे विना * मूल्य वितरण किया है। इस पुस्तक पर जैन अनाथा-श्रम देहली के प्रचारक पं० मण्डनलाल जी ने एक समालोचना (!) लिखकर उसे पुस्तक की शकल में प्रकाशित कराया है, और वे इसका जोरों के साथ प्रचार कर रहे हैं। प्रचारक जी को वह समालोचना कितनी निःसार, निर्मूल, निर्हेतुक, बेतुकी और समालोचक के कर्चव्यों से गिरी हुई है, और उसके द्वारा कितना अधिक भ्रम फैलाने तथा सत्य पर पर्दा डालने की जघन्य चेष्टा की गई है, इन सब बातोंको अच्छी तरहसे बतलाने और जनता को मिथ्या तथा अविचारितरम्य समालोचना से उत्पन्न होने वाले भ्रमसे सुरक्षित रखने के लिये ही यह उत्तर-लेख लिखा जाता है। इससे विवाह-विषय पर और भी ज्यादा प्रकाश पड़ेगा—वह बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगा—और उसे इस उत्तर का आनुषंगिक फल समझना चाहिये।

सबसे पहिले, मैं अपने पाठकों से यह निवेदन करवेना चाहता हूँ कि जिस समय प्रचारकजीकी उक्तसमालोचना-पुस्तक मुझे पहले पहल देखने को मिली और उसमें समालोच्य पुस्तक की बाबत यह पढ़ा गया कि वह "अत्यन्त मिथ्या, शास्त्रविरुद्ध और महा पुरुषों को केवल झूठा कलंक लगाने वाली" तथा "अस्पृश्य"† है और उसमें "बिल्कुल झूठ," "मनगढ़त," "सर्वथा

* यह पुस्तक अब भी विना मूल्य उक्त लाला जौहरीमल जी के पास से मिलती है।

† समालोचक जी खुद पुस्तक को छूते हैं दूसरों को पढ़ने छूने के लिये देते हैं, कितनी ही बार श्रीमन्दिर जी में भी उसे ले गये परन्तु फिर भी अस्पृश्य बतलाते हैं! किमाश्चर्यमतः परं !!

मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध” कथाएँ लिख कर अथवा “सफेद भूठ” या “भारी भूठ” बोल कर “धोखा” दिया गया है, तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्योंकि, मैं अब तक जो कुछ लिखता रहा हूँ वह यथाशक्ति और यथासाधन बहुत कुछ जाँच पड़ताल के बाद लिखता रहा हूँ। यद्यपि मेरा यह दावा नहीं है कि मुझसे भूल नहीं हो सकती, भूल जरूर हो सकती है और मेरा कोई विचार अथवा नतीजा भी ग़लत हो सकता है परन्तु यह मुझसे नहीं हो सकता कि मैं जानबूझकर कोई ग़लत उल्लेख करूँ अथवा किसी बातके असली रूपको छिपाकर उसे नकली या बनावटी शकल में पाठकों के सामने उपस्थित करूँ। अपने लेखों की ऐसी प्रकृति और परिष्कृति का मुझे सदा ही गर्व रहता है। मैं सत्य बातको कभी छिपाना नहीं चाहता—अवसर मिलने पर उसे बड़ी निर्भयता के साथ प्रगट कर देता हूँ—और असत्य उल्लेखका सख्त विरोधी हूँ। ऐसी हालत में उक्त समालोचना को पढ़कर मेरा आश्चर्य चकित होना स्वाभाविक था। मुझे यह ख़याल पैदा हुआ कि कहीं अनजान में तेरे से कोई ग़लत उल्लेख तो नहीं होगया, यदि ऐसा हुआ हो तो फौरन अपनी भूलको स्वीकार करना चाहिये, और इस लिये मैंने बड़ी सावधानी से अपनी पुस्तक के साथ समालोचना की पुस्तक को खूबही गौर से पढ़ा और उल्लेखित ग्रंथों आदि पर से उसकी यथेष्ट जाँच पड़ताल भी की। अन्तको मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि समालोक्य पुस्तक में एक भी ऐसी बात नहीं है जो ख़ास तौरपर आपत्ति के योग्य हो। जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण के अनुसार, ‘देवकी’ अर्थात् वसुदेव की ‘भतीजी’ भी परन्तु उसे ‘सगी भतीजी’ लिखना यह समालोचक जी की निजी कल्पना और उनकी अपनी कर्तव्य है—लेखकसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है;

‘जरा’ जड़र भ्लेच्छकन्या थी और भ्लेच्छों का वही आचार है जो आदिपुराण में वर्णित हुआ है; ‘प्रियंगुसुन्दरी’ एक व्यभिचारजात की ही पुत्री थी, और रोहिणी के वरमाला डालने के वक्त तक बसुदेव के कुल और उनकी जातिका वहाँ (स्वयं-वर में) किसी को कोई पता नहीं था। वे एक अपरिचित तथा बाजा बजाने वाले के रूप में ही उपस्थित थे। साथ ही, चारु-दत्त सेठ का बसंतसेना वेश्या को अपनी स्त्री बना लेना भी सत्य है। और इन सब बातों को आगे चलकर ज़ूब स्पष्ट किया जायगा।

उद्देश्यका अपलाप, अन्यथाकथन और समालोचकके कर्तव्यका खून।

समालोचना में पुस्तक पर बड़ी बेरहमी के साथ कुन्दी डुरी ही नहीं चलाई गई, बल्कि सत्व का डुरी तरह से गला घोटा गया है, पुस्तक के उद्देश्य पर एक दम पानी फेर दिया है, उसे समालोचना में दिखलाया तक भी नहीं, उसका अपलाप करके अथवा उसको बदल कर अपने ही कल्पित रूपमें उसे पाठकों के सामने रखवा गया है और इस तरह पर समालोचक के कर्तव्यों से गिरकर, बड़ी धृष्टता के साथ समालोचना का रंग जमाया गया है! अथवा यों कहिये कि भोले भाइयों को फँसाने और उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिये खासा जाल बिछाया गया है। यह सब देखकर, समालोचक जी की बुद्धि और परिणति पर बड़ी ही दया आती है। आपने पुस्तक लेखक के परिणामों का फाटू खींचने के लिये समालोचनाके पृष्ठ ३६, ४० पर, “जो कदियोंके इतने भक्त हैं”

इत्यादि रूपसे कुछ वाक्यों को भी उद्धृत किया है परन्तु वे वाक्य आगे पीछे के सम्बन्ध को धुँड़ कर ऐसे खण्ड रूपमें उद्धृत किये गये हैं जिनसे उनका असली मतलब प्रायः गुम हो जाता है और वे एक असम्बद्ध प्रलापसार जान पड़ते हैं। यदि समालोचक जी ने प्रत्येक लेख के अन्तमें दिये हुये उदाहरण के विवेचन अथवा उसके शिक्षा-भागको ज्यों का त्यों उद्धृत किया होता तो वे अपने पाठकों को पुस्तक के आशय तथा उद्देश्य का अच्छा ज्ञान कराते हुए, उन्हें लेखक के तज्जन्य विचारों का भी कितना ही परिचय करा सकते थे, परन्तु ज्ञान पड़ता है उन्हें वैसा करना इष्ट नहीं था-वैसा करने पर समालोचना का सारा रंग ही फीका पड़ जाता अथवा उन अधिकांश कल्पित बातों की सारी कलाई ही खुल जाती जिन्हें प्रकृत पुस्तक के आधार पर लेखक के विचारों या उद्देश्यों के रूपमें नामांकित किया गया है। इसीसे उक्त विवेचन अथवा शिक्षा-भाग पर, जो आधी पुस्तक के बराबर होते हुए भी सारी पुस्तक की जान थी, कोई समालोचना नहीं की गई, सिर्फ उन असम्बद्ध खण्डवाक्योंको देकर इतना ही लिखदिया है कि—

“बाबू साहब के उपर्युक्त वाक्यों से आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि उनका हृदय कैसा है और वह समाज में कैसी प्रवृत्ति चलाना (गोत्र जाति पांति नीच ऊँच अंगी चमार चांडालादि भेद भेदकर हर एक के साथ विवाह की प्रवृत्ति करना) चाहते हैं”।

इन पंक्तियों में समालोचक ने, बरैकट के भीतर, जिस प्रवृत्ति का उल्लेख किया है उसे ही लेखककी पुस्तक का ध्येय अथवा लक्ष्य प्रकट करते हुए वे आगे लिखते हैं :—

“उपर्युक्त प्रवृत्तिको चलाने के लिये ही बाबू साहब ने बसुबेबजी के विवाहकी चार घटनाओं का (जो कि

बिलकुल भूट हैं) उल्लेख करके पुस्तक को समाप्त कर दिया था लेकिन फिर बाबू साहबको खयाल आया कि भतीजीके साथभी शादी उचित बतादी तथा नीच भील और व्यभिचारजात वस्त्रों के साथ भी जायज़ बतादी किन्तु वेश्या तो रह ही गई यह सोचकर आप ने फिर शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरणका दूसरा हिस्सा लिखा और खूबही वेश्यागमनकी शिक्षा दी है” ।

इसी तरहके और भी कितनेही वाक्य समालोचना-पुस्तक में जहाँ तहाँ पाये जाते हैं, जिनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

- (१) “लेकिन बाबू जी को लोगों के लिये यह दिखलाना था कि भतीजी के साथ विवाह करने में कोई हानि नहीं है ” ।
(पृ० ४)
- (२) “उन्हें [बाबू साहब को] तो जिस तिस तरह अपना मतलब बनाना है और कामवासना की हवस मिटाने के लिये यदि बाहरसे कोई कन्या न मिले तो अपनीही बहिन भतीजी आदि के साथ विवाह कर लेने की आज्ञा दे देना है ।” (पृ० ११)
- (३) [देवकी की कथा से] “ यह सिद्ध करना चाहा है कि विवाह में जाति गोत्र का पचडा व्यर्थ है । यदि काम वासना की हवस पूरी करने के लिये अन्य गोत्रकी कन्या न मिले तो फिर अपनी ही बहिन भतीजी आदिसे विवाह कर लेने में कोई हानि नहीं है ।” (पृ० ३७)
- (४) “ जराकी कथासे आप सिद्ध करना चाहते हैं कि भंगी चमार आदि नीच मनुष्य व शूद्रों के साथ ही विवाह कर लेने में कोई हानि नहीं है ।” (पृ० ३८)
- (५) “बाबू साहब को तो लोगों को भ्रममें डालकर और सबको वेश्यागमन का ज़ुलम ज़ुल्ला उपदेश देकर अपनी

हवस पूरी करना है उन्हें इतनी लम्बी समझ से क्या काम," (पृ० ४५—४६)

- (६) "बाबू साहबने जो चारुदत्त की कथा से वेश्या तक को घरमें डाल लेने की प्रवृत्ति चलाना चाहा है यह प्रवृत्ति सर्वथा धर्म और लोक विरुद्ध है । ऐसी प्रवृत्ति से पवित्र जैन धर्म को कलङ्क लग जायगा " (पृ० ४६)
- (७) "लाला जौहरीमल जो जैन सर्राफ सरीखे कुछ मन चले लोगोंने बाबू जुगलकिशोर जी के लिखे अनुसार "गृहस्थ के लिये स्त्री की जरूरत हाने के कारण चाहे जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये" इसी उद्देश्य को उचित समझा " (भूमिका)

अब देखना चाहिये कि, इन सब वाक्योंके द्वारा पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय, आशय, उद्देश्य और लेखकके तत्सम्बन्ध विचारों आदि के सम्बन्ध में जो धारणा की गई है वह कहीं तक सत्य है—दोनों लेखों परसे उसकी कोई उपलब्धि होती है या कि नहीं—और यह तभी बन सकता है अथवा इस विषय का अच्छा अनुभव पाठकों को तभी हो सकता है जबकि उनके सामने प्रत्येक लेखका वह अंश मौजूद हो जिसमें उस लेखके उदाहरण का नतीजा निकाला गया या उससे निकलने वाली शिक्षा को प्रदर्शित किया गया है । अतः यहां पर उन दोनों अंशोंका उद्घुन किया जाना बहुत ही जरूरी जान पड़ता है ।

पहले लेखमें, वसुदेव जी के विवाहों की चार घटनाओं का—देवकी, जरा, प्रियंगुसुन्दरी और रोहिणी के साथ हाने वाले विवाहों का—उल्लेख करके और यह बतला कर कि ये चारों प्रकार के विवाह उस समय के अनुकूल होते हुए भी आज कल की हवाके प्रतिकूल हैं, जो नतीजा निकाला गया अथवा जिस शिक्षा का उल्लेख किया गया है वह निम्न प्रकार

है, और श्लोकके इस अंशमें वे सब खड वाक्य भी आजाते हैं जिन्हें समालोचकजी ने समालोचना के पृष्ठ ३६—४० पर उद्धृत किया है :—

“इन चारों घटनाओंको लिये हुए वसुदेवजी के एक पुराने बहुमान्य शास्त्रोय उदाहरणसे, और साथही वसुदेवजीके उक्त वचनोंको* आदिपुराण के उपर्युलिखित वाक्यों† के साथ

*वसुदेवजीके वे वचन जो पुस्तक के पृष्ठ ८ पर उद्धृत हैं और जिनमें स्वयंवर विवाहके निबन्धको सूचित किया गया है इस प्रकार हैं :—

कन्या वृणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं ।

कुलीनमकुलीनं वा क्रमे नास्ति स्वयंवरे ॥११—७१॥

—जिनदासकृत हरिवंशपुराण ।

अर्थात्—स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण (स्वीकार) करती है जो उसे पसंद होता है, चाहे वह वर कुलीन हो या अकुलीन । क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका—वरके कुलीन या अकुलीन होने का—कोई नियम नहीं होता ।

†आदिपुराणके वे पृष्ठ ६ पर उद्धृत हुए वाक्य इस प्रकार हैं—

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्पृतिषु भाषितः ।

विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठोहि स्वयंवरः ॥४४—३२॥

तथा स्वयंवरस्येमे नाभवन् यद्यकम्पनाः ।

कःप्रवर्त्तयितान्योऽस्य मार्गस्यैष सनातनः ॥४५—५४॥

मार्गाश्चिरंतनान्येऽत्र भोगभूमितिरोहितान् ।

कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्भिः पूज्यास्त एव हि ॥४५—५४॥

इनमेंसे पहले पद्यमें स्वयंवरविधिको ‘सनातन मार्ग’ लिखनेके

मिलाकर पढ़नेसे विवाह-विषय पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है और उसकी अनेक समस्याएँ खुदबखुद (स्वयमेव) हल होजाती हैं । इस उदाहरणसे वे सब लोग बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो प्रचलित रीति-रिवाजोंको ब्रह्म-वाक्य तथा आस-वचन समझे हुए हैं, अथवा जो रुढ़ियोंके इतने भक्त हैं कि उन्हें गणितशास्त्रके नियमोंकी तरह अटल सिद्धांत समझते हैं और इसलिये उनमें ज़रा भी फेरफार करना जिन्हें रुचिकर नहीं होता, जो ऐसा करनेको धर्मके विरुद्ध चलना और जिनेन्द्रभगवानकी आज्ञाका उल्लङ्घन करना मान बैठे हैं, जिन्हें विवाहमें कुर्बूँ सख्या प्रमाण गोत्रोंके न बचाने तथा अपने वर्णसे भिन्न वर्णके साथ शादीकरनेसे धर्मके डूबजानेका भय लगा हुआ है, इससे भी अधिक जो एक ही धर्म और एक ही आचारके मानने तथा फलनेवाली अप्रवाल, खण्डेलवाल आदि समानजातियोंमें भी परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार एक करने को अनुचित समझते हैं—प्रायः कथक-पतनकी शङ्कासे जिनका हृदय सन्तप्त है—और जो अपनी एक जातिमें भी आठ-आठगोत्रों तकका टालनेके चक्रमें फड़े हुए हैं । ऐसे लोगों को वसुदेवजीका उक्त उदाहरण और उसके साथ विवाहसम्बन्धीवर्तमान रीति-रिवाजोंका मीलान बतलायगा कि

साथ साथ उसे सम्पूर्ण विवाह-विधानों में सबसे अधिक भ्रष्ट (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है और पिछले दोनों वर्गोंमें, जो भरत चक्रवर्ती की ओर से कहे गये पद्य हैं, यह सूचित किया गया है कि युगकी आदिमें राजा अकम्पन-द्वारा इस विवाहविधि (स्वयंवर) का सबसे पहले अनुष्ठान होने पर भरत चक्रवर्ती ने उसका अभिनन्दन किया था और उन लोगों को सत्पुरुषों द्वारा दूज ठहराया था जो ऐसे सनातन मार्गोंका पुनरुद्धार करें ।

रीति-रिवाज कभी एकहालतमें नहीं रहा करते, वे सर्वज्ञ भगवान की आज्ञाएँ और अटल सिद्धान्त नहीं होते, उनमें समयानुसार बराबर फेरफार और परिवर्तन की ज़रूरत हुआ करती है। इसी ज़रूरतने वसुदेवजीके समय और वर्तमान समयमें ज़मीन आसमानका सा अन्तर डाल दिया है। यदि ऐसा न होता तो वसुदेव जीके समयके विवाहसम्बन्धी नियम-उपनियम इस समय भी स्थिर रहते और उसी उत्तम तथा पूज्य दृष्टिसे देखे जाते जैसे कि वे उससमय देखे जातेथे। परन्तु ऐसा नहीं है और इसलिये कहना होगा कि वे सर्वज्ञ भगवान्की आज्ञाएँ अथवा अटल सिद्धान्त नहीं थे और न हो सकते हैं। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि यदि वर्तमान वैवाहिक रीतिरिवाजोंको सर्वज्ञ प्रणीत-सार्वदेशिक और सार्वकालिक अटल सिद्धान्त—माना जाय तो यह कहना पड़ेगा कि वसुदेवजीने प्रतिकूल आचरणद्वारा बहुत स्पष्टरूपमें सर्वज्ञकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है। ऐसी हालत में आचार्यों द्वारा उनका यशोगान नहीं होना चाहिये था, वे पातकी समझे जाकर कलङ्कित किये जानेके योग्य थे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और न होना चाहिये था; क्योंकि शास्त्रों द्वारा उन्नत समयके मनुष्यों को प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वसुदेवजी पर कोई कलङ्क नहीं आसकता। तब क्या यह कहना होगा कि उस वक्तके वे रीति रिवाज सर्वज्ञप्रणीत थे और आज कलके सर्वज्ञप्रणीत अथवा जिनभाषित नहीं हैं? ऐसा कहने पर आज कलके रीति-रिवाजोंको एकदम उठाकर उनके स्थानमें वही वसुदेवजीके समयके रीति-रिवाज क़ायम कर देना ही समुचित न होगा बल्कि साथ ही अपने उन सभी पूर्वजोंको कलङ्कित और दोषी भी ठहराना होगा जिनके कारण वे पुराने (सर्वज्ञभाषित) रीति रिवाज उठकर उनके स्थान में वर्तमान रीति रिवाज क़ायम हुए और फिर हम एक पहुँचे। परन्तु ऐसा

कहना और ठहराना दुःसाहस मात्र होगा । वह कभी इष्ट नहीं होसकता और न युक्ति युक्त ही प्रनीत होता है । इस लिये यही कहना समुचित होगा कि उस वक्तके वे रीति रिवाज भी सर्वत्र भाषित नहीं थे । वास्तवमें गृहस्थों का धर्म दो प्रकारका वर्णन किया गया है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक । लौकिक धर्म लोकाश्रय और पारलौकिक आगमाश्रय होता है* । विवाह-कर्म गृहस्थोंके लिये एक लौकिक धर्म है और इसलिये वह लोकाश्रित है—लौकिक जनोंकी देशकालानुसार जो प्रवृत्ति होती है उसके अधीन है—लौकिक जनोंकी प्रवृत्ति हमेशा एक रूपमें नहीं रहा करती । वह देशकालकी आवश्यकताओं के अनुसार, कभी पञ्चायनियोंके निर्णय द्वारा और कभी प्रगतिशीलव्यक्तियों के उदाहरणोंको लेकर, बराबर बदला करती है और इसलिये वह पूर्णरूपमें प्रायः कुछ समयके लिये ही स्थिर रहा करती है । यही वजह है कि भिन्न भिन्न देशों, समयों और जानियोंके विवाहविधानोंमें बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है । एक समय था जब इसी भारतभूमि पर सगे भाई बहिन भी परस्पर स्त्री पुरुष होकर रहा करते थे और इतने पुण्याधिकारी समझे जाते थे कि मरने पर उनके लिये नियमसे देवगति का विधान किया गया है + । फिर वह समय भी आया जब उक्त प्रवृत्तिका निषेध किया गया और उसे अनुचित ठहराया गया । परन्तु उस समय गोत्र तो गोत्र एक कुटुम्ब में विवाह होना, अपनेसे भिन्न वर्णके साथ शादीका किबा जाना और शूद्र ही नहीं किन्तु म्लेच्छों तककी कन्याओंसे विवाह करना भी अनुचित नहीं माना

*द्वौ हि धर्मौ गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः ।

लोकाश्रयो भवेदाद्यः परः स्यादागमाश्रयः॥—सोमदेवः।

+ यह कथन उस समयका है जबकि यहाँ भोगभूमि प्रचलत् ।

गया । साथ ही, मामा-फूफीकी कन्याओं से विवाह करनेका तो आम दस्तूर रहा और वह एक प्रशस्त विधान समझा गया । इसके बाद समयके हेरफेरसे उक्त प्रवृत्तियोंका भी निषेध प्रारम्भ हुआ, उनमें भी दोष निकलने लगे पापोंकी कल्पनायें होने लगीं—और वे सब बदलते बदलते वर्तमानके ढाँचेमें ढल गईं । इस असेमें सैकड़ों नवीन जातियों, उपजातियों और गोत्रोंकी कल्पना होकर विवाहक्षेत्र इतना सङ्कीर्ण बन गया कि उसके कारण आजकलकी जनता बहुत कुछ हानि तथा कष्ट उठा रही है और क्षतिका अनुभूत कर रही है—उसे यह मालूम होने लगा है कि कैसी कैसी समृद्धिशालिनी जातियाँ इन वर्तमान रीति-रिवाजोंके चक्रलमें फँसकर संसारसे अपना अस्तित्व उठा चुकी हैं और कितनी मृत्युशय्या पर पड़ी हुई हैं—इससे अब वर्तमान रीतिरिवाजोंके विरुद्ध भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। समय उनका भी परिवर्तन चाहता है । सत्तेपमें, यदि सम्पूर्ण जगत्के भिन्न भिन्न देशों, समयों और जातियों के कुछ थोड़े थोड़े से ही उदाहरण एकत्र किये जायँतो विवाह-विधानोंमें हजारों प्रकार के भेद उपभेद और परिवर्तन दृष्टि-गोचर होंगे, और इस लिये कहना होगा कि यह सब समय समयकी जरूरतों, देश देशकी आवश्यकताओं और जाति जातिके पारस्परिक व्यवहारोंका नतीजा है; अथवा इसे कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए । जो लोग कालचक्र की गतिको न समझ कर एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और अपनी पोजीशन (Position) को नहीं बदलते—स्थितिको नहीं सुधारते—वे नि सन्देह कालचक्रके आघातसे पीड़ित होते और कुचले जाते हैं । अथवा संसारसे उनकी सत्ता उठ जाती है । इस सब कथनसे अथवा इतने ही संकेतसे लांकाधित (लौकिक) धर्मोंका बहुत कुछ रहस्य समझ में आसकता है ।

साथ ही, यह मंलूम हो जाता है कि वे कितने परिवर्तनशील हुआ करते हैं। ऐसी हालतमें विवाह जैसे लौकिक धर्मों और सांसारिक व्यवहारोंके लिये किसी आगमका आश्रय लेना, अर्थात् यह ढूँढ खोज लगाना कि आगममें किस प्रकारसे विवाह करना लिखा है, बिलकुल व्यर्थ है। कहा भी है—

“संसारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे वृथागमः॥”

अर्थात्-संसार व्यवहारके स्वतः सिद्ध होनेसे उसके लिये आगम की जरूरत नहीं ।

वस्तुतः आयम ग्रन्थों में इस प्रकारके लौकिक धर्मों और लोकाश्रित विधानोंका कोई क्रम निश्चरित नहीं होता। वे सब लोकप्रवृत्ति पर अवलम्बित रहते हैं। हाँ, कुछ त्रिवर्णाचारों जैसे अनार्य ग्रन्थोंमें विवाह-विधानोंका वर्णन जरूर पाया जाता है। परन्तु वे आगम ग्रन्थ नहीं हैं—उन्हें आप्त भगवानके वचन नहीं कह सकते और न वे आप्तवचनानुसार लिखे गये हैं—इतने पर भी कुछ ग्रन्थ तो उनमें से बिलकुल ही जाली और बनाघटी हैं; जैसा कि 'जिनसेनत्रिवर्णाचार' और 'भद्रबाहुसंहिताके' के परीक्षा-लेखों से प्रगट है ×। वास्तवमें ये सब ग्रन्थ एक प्रकारके लौकिक ग्रन्थ हैं। इनमें प्रकृत विषयके वर्णनको तात्कालिक और तद्देशीय रीतिरिवाजोंका उल्लेख मात्र सामझना चाहिये, अथवा यों कहना चाहिये कि ग्रन्थकर्त्ताओंको उस प्रकारके रीतिरिवाजोंको प्रचलित करना इष्ट था। इससे अधिक उन्हें

※यह श्रीसोमदेव आचार्य्य का वचन है ।

× ये सब लेख 'ग्रन्थपरीक्षा' नामसे पहिले जैनहितैषी पत्रमें प्रकाशित हुए थे और अब कुछ समयसे अलग पुस्तकाकार भी छप गये हैं। बम्बई और इटावा आदि स्थानोंसे मिलते हैं ।

और कुछ भी महत्व नहीं दिया जा सकता—वे आजकल प्रायः इतने ही काम के हैं—एकदेशीय, लौकिक और सामयिक ग्रन्थ होनेसे उनका शासन सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं हो सकता । अर्थात्, सर्व देशों और सर्व समयों के मनुष्योंके लिये वे समान रूपसे उपयागी नहीं हो सकते । और इसलिये केवल उनके आधार पर चलना कभी युक्तिसंगत नहीं कहला सकता । विवाह-विषयमें आगमका मूलविधान सिर्फ इतना ही पाया जाता है कि वह गृहस्थाश्रमका वर्णन करते हुए गृहस्थ के लिये आम तौर पर गृहिणीकी अर्थात् एक स्त्रीकी ज़रूरत प्रकट करता है । वह स्त्री कैसी, किस वर्णकी, किस जातिकी, किन किन सम्बन्धोंसे युक्त तथा रहित और किस गोत्रकी होनी चाहिये अथवा किस तरह पर और किस प्रकारके विधानोंके साथ विवाह कर लानी चाहिये, इन सब बातोंमें आगम प्रायः कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता । ये सब विधान लोकाश्रित हैं, आगमसे इनका प्रायः कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है । यह दूसरी बात है कि आगममें किसी घटना विशेषका उल्लेख करते हुए उनका उल्लेख आज्ञाय और तात्कालिकदृष्टिसे उन्हें अच्छा या बुरा भी बतला दिया जाय परन्तु इससे वे कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक अटल सिद्धान्त नहीं बन जाते— अर्थात्, ऐसे कोई नियम नहीं हो जाते कि जिनके अनुसार चलना सर्व देशों और सर्व समयोंके मनुष्योंके लिये बराबर ज़रूरी और हितकारी हो । हाँ, इतना ज़रूर है कि आगमकी दृष्टिमें सिर्फ वेही लौकिकविधियाँ अच्छी और प्रमाणिक समझी जा सकती हैं जो जैन सिद्धान्तोंके विरुद्ध न हों, अथवा जिनके कारण जैनियोंकी श्रद्धा (सम्यक्त्व) में बाधा न पड़ती हो और न उनके व्रतोंमें ही कोई दूषण लगता हो । इस दृष्टिको सुरक्षित रखते हुए, जैनी लोग प्रायः सभी लौकिक विधियोंको खुशीसे

स्वीकार कर सकते हैं और अपने वर्तमान रीति-रिवाजों में देशकालानुसार, यथेष्ट परिवर्तन कर सकते हैं* । उनके लिये इसमें कोई बाधक नहीं है । अस्तु; इस सम्पूर्ण विवेचनसे प्राचीन और अर्वाचीनकालके विवाह विधानोंकी विभिन्नता, उनका देश कालानुसार परिवर्तन और लौकिक धर्मोंका रहस्य, इन सब बातोंका बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो सकता है, और साथ ही यह भले प्रकार समझमें आ सकता है कि वर्तमान रीति-रिवाज कोई सर्वज्ञभाषित ऐसे अटल सिद्धान्त नहीं हैं कि जिनका परिवर्तन न हो सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करनेसे धर्मके दूबजानेका कोई भय हो। हम, अपने सिद्धान्तोंका विरोध नकरते हुए, देश काल और जाति की आवश्यकताओंके अनुसार उन्हें हर वक्त बदल सकते हैं वे सब हमारे ही कायम किए हुए नियम हैं और इसलिए हमें उनके बदलनेका स्वतः अधिकार प्राप्त है । इन्हीं सब बातोंको लेकर एक शास्त्रीय उदाहरणके रूपमें यह नोट(लेख)लिखा गया है । आशा है कि हमारे जैनी भाई इससे ज़रूर कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे और विवाहतत्त्वको समझ कर जिसके समझनेके लिये 'विवाहका उद्देश्य' x नामक निबन्ध भी साथमें पढ़ना विशेष उपकारी होगा, अपने वर्तमान रीति-रिवाजों में यथाचित फेरफार करनेके लिये समर्थ होंगे । और इस तरह पर कालचक्र के आघातसे बचकर अपनी सत्ताको चिरकाल तक यथेष्ट रीतिसे बनाये रखेंगे । ”

लेखके इस अंश अथवा शिक्षा भाग से स्पष्ट है कि लेखका

* सर्व एव हि जैतानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् ॥—सोमदेवः ।

x यह पुस्तक 'जैनप्रस्थरत्नाकर कार्यालय' बम्बई द्वारा प्रकाशित हुई है, और लेखकके पाससे बिना मूल्य भी मिलती है ।

प्रतिपाद्य विषय, आशय और उद्देश्य वह नहीं हैं जो समालोचकजी ने प्रकट किया है—इसमें कहीं भी यह प्रतिपादन नहीं किया गया और न ऐसा कोई विधान किया गया है कि गोत्र, जाति पांति, नीच ऊँच, भंगी चमार चाण्डालादिके भेदोंको उठा देना चाहिये, उन्हें मेटकर हरएक के साथ विवाह करलेना चाहिये, चाहे जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये, अथवा भंगी चमार आदि नीच मनुष्यों के साथ विवाह करलेने में कोई हानि नहीं है; और न कहीं पर यह दिखलाया गया अथवा ऐसी कोई आज्ञा दी गई है कि आजकल अपनी ही बहिन भतीजी के साथ विवाह कर लेनेमें कोई हानि नहीं है, अन्य गोत्रकी कन्या न मिलने पर उसे करलेना चाहिये—बल्कि बहुत स्पष्ट शब्दोंमें वसुदेवजी के समय और इस समयके रीति रिवाजों—विवाह विधानोंमें “जमीन आस्मान का सा अन्तर” बतलाते हुए, उनपर एक खासा विवेचन उपस्थित किया गया है और उसमें रीति-रिवाजों की स्थिति, उनके देशकालानुसार परिवर्तन तथा लौकिक धर्मोंके रहस्यको सूचित किया गया है। साथही, यह बतलाया गया है कि “बर्तमान रीति रिवाज कोई सर्वज्ञ भाषित ऐसे अटल सिद्धान्त नहीं है कि जिनका परिवर्तन न हो सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करने से धर्मके डूब जानेका कोई भयहो, हम अपने सिद्धान्तों का विरोध न करते हुए देशकाल और जातिकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें हरवक्त बदल सकते हैं, वे सबहमारे ही कायम किये हुए नियम हैं और इसलिये हमें उनके बदलनेका स्वतः अधिकार प्राप्त है।” परन्तु उनमें क्या कुछ परिवर्तन अथवा तबदीली होनी चाहिये, इसपर लेखक ने अपनी कोई राय नहीं दी। सिर्फ इतना ही सूचित किया है कि वह परिवर्तन (फेरफार) “यथोचित” होना चाहिये, और ‘यथोचित’ की परिभाषा बही हो सकती है जिसे

“आगमकी दृष्टि” बतलाया गया है और जिसे सुरक्षित रखते हुए परिवर्तन करने की प्रेरणा की गई है। इसके सिवाय, वसुदेवजी के समयके विवाह-विधानोंकी इस समयके लिये कहीं परभी कोई हिमायत नहीं की गई, बल्कि “ऐसा नहीं है” इत्यादि शब्दोंके द्वारा उनके विषयमें यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि वे आजकल स्थिर नहीं हैं और न उस उत्तम तथा पुज्य दृष्टिसे देख जाते हैं जिससे कि वे उस समय देखे जाते थे और इसलिये कहना होगा कि वे सर्वज्ञ भगवान की आज्ञाएँ अथवा अटल सिद्धान्त नहीं थे और न हो सकते हैं। जो लोग वसुदेवजी के समयके रीति-रिवाजोंको सर्वज्ञप्रणीत और वर्तमान रीति-रिवाजोंको असर्वज्ञभाषित कहतेहों और इस तरह पर अपने उन पूर्वजोंको कलंकित तथा दोषी ठहराते हों जिनके कारण वसुदेवजीके समय के वे पुराने (सर्वज्ञभाषित) रीति-रिवाज उठकर उनके स्थानमें वर्तमान रीति-रिवाज कायम हुए उन्हें लक्ष्य करके साफ़ लिखा गया है कि उनका “ऐसा कहना और ठहराना दुःसाहस मात्र होगा, वह कभी इष्ट नहीं हो सकता और न युक्तियुक्तही प्रनीत होता है।” इससे लेखमें वसुदेवजी के समयके रीति रिवाजोंकी कोई खास हिमायत नहीं की गई, यह और भी स्पष्ट होजाता है। केवल प्राचीन और अर्वाचीन रीति-रिवाजों में बहुत बड़े अन्तर को दिखलाने, उसे दिखलाकर, रीति-रिवाजोंकी असलियत, उनकी परिवर्तनशीलता और लौकिक धर्मोंके रहस्य पर एक अच्छा विवेचन उपस्थित करने और उसके द्वारा वर्तमान रीति-रिवाजों में यथाचित परिवर्तनको समुचित ठहराने के लिये ही वसुदेवजी के उदाहरणमें उनके जीवनकी इन चार घटनाओंको चुना गया था। इससे अधिक लेखमें उनका और कुछ भी उपयोग नहीं था। और इसीसे लेखके अन्तमें लिखा गया था कि—

“इन्हीं सब बातोंको लेकर एक शास्त्रीय उदाहरण के रूपमें यह नोट लिखा गया है ।”

लेखकी ऐसी स्पष्ट हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि समालोचक जी ने अपने उक्त वाक्यों और उन्हीं जैसे दूसरे वाक्यों द्वारा भी पुस्तकके जिस आशय, उद्देश्य, अथवा प्रतिपाद्य विषयकी घोषणा की है वह पुस्तकसे बाहर की चीज़ है—प्रकृत लेखसे उसका कोई सम्बंध नहीं है—और इसलिये उसे समालोचक द्वारा परिकल्पित अथवा उन्हींकी मन प्रसृत समझना चाहिये । जान पड़ता है वे अपनी नासमझीसे अथवा किसी तीव्र कषायके घशवर्ती हांकर ही ऐसा करने में प्रवृत्त हुए हैं । परन्तु किसी भी कारणसे सही, इसमें सदेह नहीं कि उन्होंने ऐसा करके समालोचकके कर्तव्यका भारी खून किया है । समालोचक का यह धर्म नहीं है कि वह अपनी तरफसे कुछ बातें खड़ी करके उन्हें समालोच्य पुस्तककी बातें प्रकट करे, उनके आधार पर अपनी समालोचना का रंग जमाए और इस तरह पर पाठकों तथा सर्व साधारण को धांखे में डाले । यह तो महानीचातिनीच कर्म है । समालोचकका कर्तव्य है कि पुस्तकमें जो बात जिसरूप से कही गई है उसे प्रायः उसी रूपमें पाठकों के सामने रखे और फिर उसके गुण-दोषों पर चाहे जितना विवेचन उपस्थित करे; उसे समालोच्य पुस्तक की सीमाके भीतर रहना चाहिये—उससे बाहर कदापि नहीं जाना चाहिये—उसका यह अधिकार नहीं है कि जो बात पुस्तकमें विधि या निषेध रूपसे कही भी नहीं कही गई उसकी भी समालोचना करे अथवा पुस्तकसे घृणा उत्पन्न कराने के लिये पुस्तकके नाम पर उसका स्वयं प्रयोग करे—उसे एक हथियार बनाए । भंगी, चमार और चांडालका नाम तकभी पुस्तकमें कहीं नहीं है, फिरभी पुस्तक के नाम पर उनके विवाह

की जो बात कही गई है वह ऐसीही घृणोत्पादक दृष्टि अथवा अनधिकार चोप्टा का फल है । भूमिका में एक वाक्य “बाबू जुगलकिशोरजी के लिखे अनुसार” इन शब्दों के अनन्तर निम्न प्रकार से डबल कामाज के भीतर दिया है और इस तरह पर उसे लेखकका वाक्य प्रकट किया है—

“गृहस्थके लिये स्त्री की ज़रूरत होनेके कारण चाहे जिसका कन्या ले लेनी चाहिये”

परन्तु समालोच्य पुस्तक में यह वाक्य कहीं पर भी नहीं है, और न लेखककी किसी दूसरी पुस्तक अथवा लेखमें ही पाया जाता है; और इसलिये इसे समालोचकजीकी सत्यवादिता और अकूटलेखकता का एक दूसरा नमूना समझना चाहिये ! जान पड़ता है आप ऐसे ही सत्यके-अभ्यायी अथवा भक्त हैं ! और इसीलिये दूसरों का नग्न सत्य भी आपको सर्वथा मिथ्या और सफ़ेद भूठ नज़र आता है !!

वह तो हुई पहले लेखके शिक्षांश की बात, अब दूसरे लेखके शिक्षांशको लीजिये ।

द्वितीय लेखका उद्देश्य और उसका स्पष्टीकरण ।

समालोचकजी ने पहले लेखके उदाहरणोंको जो जिस प्रकार अपनी समालोचनामें उद्धृत किया है उस प्रकारसे दूसरे लेखके उदाहरणोंको उद्धृत नहीं किया और इसलिये यहाँ पर इस दूसरे छोटसे लेखको पूरा उद्धृत कर देना ही ज्यादा उचित मालूम होता है, और वह इस प्रकार है :—

“हरिवंशपुराणादि जैनकथाप्रयोगोंमें बारुद्व संतकी एक

प्रसिद्ध कथा है । यह सेठ जिस वेश्या पर आसक्त होकर वर्षों-तक उसके घरपर, बिना किसी भोजन पानादि सम्बन्धी भेदके, एकत्र रहा था और जिसके कारण वह एक बार अपनी संपूर्ण धनसंपत्तिको भी गँवा बैठा था उसकानाम 'वसंतसेना' था । इस वेश्याकी माताने, जिस समय धनाभावके कारण चारुदत्त सेठको अपने घरसे निकाल दिया और वह धनापार्जन के लिये विदेश चला गया उस समय वसंतसेनाने, अपनी माताके बहुत कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी धनिक पुरुषसे अपना सवध जोड़ना उचित नहीं समझा और तब वह अपनी माताके घरका ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घरपर चली गई । चारुदत्तके कुटुम्बियोंने भी वसंतसेनाको आश्रय देनेमें कोई आनाकानी नहीं की । वसन्तसेनाने उनके समुदार आश्रयमें रहकर एक आर्यिका के पाससे श्रावकके १२ व्रत ग्रहण किये, जिससे उसकी नीचपरिणति पलटकर उच्च तथा धार्मिक बन गई; और वह चारुदत्तकी माता तथा स्त्रीकी सेवा करती हुई निःसंकोच भाव से उनके घरपर रहने लगी । जब चारुदत्त विपुल धन सम्पत्तिका स्वामी बनकर विदेश से अपने घरपर वापिस आया और उसे वसंतसेनाके स्वगृह पर रहने आदि का हाल मालूम हुआ तब उसने बड़े हर्षके साथ वसंतसेना को अपनाया—अर्थात्, उसे अपनी स्त्री रूपसे स्वीकृत किया । चारुदत्तके इस कृत्य पर—अर्थात्, एक वेश्या जैसी नीच स्त्री को खुल्लमखुल्ला घरमें डाल लेनेके अपराध पर—उस समयकी जाति—बिराद्रीने चारुदत्तको जातिसे च्युत अथवा बिराद्री से खारिज नहीं किया और न दूमरा ही उसके साथ कोई घृणा का व्यवहार किया गया । वह श्रीनेमिनाथ भगवान के चचा वसुदेवजी जैसे प्रतिष्ठित पुरुषोंसे भी प्रशंसित और सम्मानित रहा । और उसकी शुद्धता यहाँ तक बनी रही कि वह

अन्तको उसके दिग्गम्बर मुनि तक होने में भी कुछ बाधक न होसकी। इस तरह पर एक कुटुम्ब तथा जाति—बिरादरी के सद्व्यवहार के कारण दो व्यसनासक्त व्यक्तियों को अपने उद्धार का अवसर मिला।

इस पुराने शास्त्रीय उदाहरणसे वे लोग कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो अपने अनुदार विचारों के कारण जरा जरा सी बात पर अपने जाति भाइयोंका जातिसे च्युत करके—उनके धार्मिक अधिकारोंमें भी हस्तक्षेप करके—उन्हें सन्मार्गसे पीछे हटा रहे हूँ और इस तरह पर अपनी जातीय तथा संघशक्तिका निर्बल और निःसत्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकार की विपत्तियों को बुलाने के लिये कसर कसे हुए हैं। ऐसे लोगों को संघशक्ति का रहस्य जानना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये कि धार्मिक और लौकिक प्रगति किस प्रकार से होसकती है। यदि उस समयको जाति—बिरादरी उक्त दोनों व्यसनासक्त व्यक्तियोंको अपने में आश्रय न देकर उन्हें अपने से पृथक कर देती, घृणा की दृष्टि से देखती और इस प्रकार उन्हें सधरने का कोई अवसर न देती तो अन्त में उक्त दोनों व्यक्तियों का जो धार्मिक जीवन बना है वह कभी न बन सकता। अतः ऐसे अवसरों पर जाति बिरादरी के लोगों को सांच समझकर, बड़ी दूरदृष्टि के साथ काम करना चाहिये। यदि वे पतितों का स्वयं उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हें कमसे कम पतितों के उद्धार में बाधक न बनना चाहिये और न ऐसा अवसर ही देना चाहिये जिससे पतितजन और भी अधिकताके साथ पतित होजायें।”

पाठकजन देखें और खूब गौरसे देखें, यही वह खेज है जिसकी बाबत समालोचकजी ने प्रकट किया है कि उसमें खूब ही वेश्यागमनकी शिक्षा कीगई और सबको उसका खुल्लम खुल्ला उपदेश दिया गया है, अथवा उसके द्वारा वेश्या तकको

घरमें डालने की प्रवृत्ति चलाना चाहा गया है। वेश्यागमनकी खूब ही शिक्षा और उपदेश देना तो दूर रहा, लेखमें एकभी शब्द ऐसा नहीं है जिसके द्वारा वेश्यागमनका अनुमोदन या अभि-
नन्दन किया गया हो अथवा उसे शुभकर्म बतलाया हो। प्रत्युत इसके, चारुदत्त और उस वेश्याका “दोष्यसनासक्त व्यक्ति” तथा “पतित अन” सूचित किया है, वेश्याका “नीच स्त्री” और उसकी पूर्व परिणति को (१२ व्रतोंके ग्रहणसे पहले वेश्या जीवनकी अवस्थाका) “नीच परिणति” बतलाया है और एक वेश्या जैसी नीच स्त्रीको खुल्लम खुल्ला घरमें डाल लेनेके कर्म को “अपराध” शब्दसे अभिहित किया है। साथही, उदाहरणांश और शिक्षांश में दिये हुए दो वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि उक्त दोनों व्यसनासक्त व्यक्ति अपने उद्धार से पहले पतित दशामें थे, बिगड़े हुए थे और उनका जीवन अधार्मिक था; एक कुटुम्ब तथा जाति विराद्रीके सद्व्यवहार के कारण उन्हें अपने ‘उद्धार’ तथा ‘सुधार’ का अवसर मिला और उनका जीवन अन्तको ‘धार्मिक’ बन गया ।

इतने परभी समालोचकजी उक्त लेखमें वेश्यागमनके महो-
पदेशका स्वप्न देख रहे हे और एक ऐसे व्यक्ति पर वेश्यागमन का उपदेश देकर अपनी हवस पूरी करन का मिथ्या आरोप (इलजाम) लगा रहे ह जा २५ वर्ष स भा पहले से वेश्याओंके नृत्य देखने तकका त्यागी है—उसके लिये प्रतिज्ञा बद्ध है—और एस विवाहोंमें शामिल नहीं हाता जिनमें वेश्याएँ नचाई जाती हों। समालोचकजीकी इस बुद्धि, परिणति, सत्यवादिता और समालोचकीय कर्तव्य पालनकी निःसन्देह बलिहारी है !! जान पडता है आप एकदम ही ग्रहपीडित अथवा उन्मत्त हो उठे हैं और आपने अकारण ताराडव आरम्भ कर दिया है ।

रही वेश्याका घरमें डालने की प्रवृत्ति चलानेकी बात,

यद्यपि किसी घटना का केवल उल्लेख करने से ही यह लाजिमी नहीं आता कि उसका लेखक वैसी प्रवृत्ति चलाना चाहता है फिर भी उस उल्लेखमात्रसे ही यदि वैसा प्रवृत्ति की इच्छाका हाना लाजिमी मान लिया जाय तो समालोचकजी को कहना होगा कि श्रीजिनसेनाचार्यने एक मनुष्यके जीतजी उसकी स्त्रीको घरमें डाल लेने की, दूसरेकी कन्याको हरलानेकी और घेश्या से विवाह कर लेनेकी भी प्रवृत्तिको चलाना चाहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हरिवशपुराणमें ऐसा उल्लेख किया है कि राजा सुमुखने वीरक सेठके जीतेजी उसकी स्त्री 'वनमाला' का अपने घरमें डाल लिया था, कृष्णजी रुक्मिणीका हर कर लाये थे, और अमोघदर्शन राजाके पुत्र चारुचद्रने 'कामपताका' नामकी वेश्याके साथ अपना विवाह किया था । यदि सचमुच ही इन घटनाओंके उल्लेखमात्रसे श्रीजिनसेनाचार्य, समालोचकजीकी समझके अनुसार, वैसी इच्छाके अपराधो उदरते हैं तो लेखक भी जरूर अपराधी है और उसे अपने उस अपराधके लिये जराभी चिन्ता तथा पश्चात्ताप करनेकी जरूरत नहीं है । और यदि समालोचकजी जिनसेनाचार्य पर अथवा उन्हीं जैसे उल्लेख करने वाले और जो कितनेही आचार्यों तथा विद्वानोंपर वैसी प्रवृत्ति चलानेका आरोप लगानेके लिये तय्यार नहीं हैं—उसे अनुचित समझते हैं—तालेखकपर उनका वैसा आरोप लगाना किसी तरहभी न्याय समत नहीं होसकता । वास्तवमें यह लेख नतो वैसे किसी आशय या उद्देश्यसे लिखा गया और न उसके किसी शब्द परस ही वैसा आशय या उद्देश्य व्यक्त होता है जैसाकि समालोचकजी ने प्रकट किया है । लेखका स्पष्ट उद्देश्य उसके शिखांश में बहुत थोड़ेसे ही तुले शब्दोंद्वारा सूचिन किया गया है, और उन परसे हर एक बिचारशील यह नतीजा निकालसकता है कि वह जाति-विरा-

द्वीके आधुनिक दण्डविधानोंको लक्ष्य करके लिखा गया है ।

जाति-पंचायतों का दण्ड-विधान ।

आजकल, हमारे बहुधा जैनी भाई अपने अनुदार विचारों के कारण ज़रा ज़रा सी बात पर अपन जाति भाइयोंको जातिसे च्युत अथवा विराद्वरीसे खारिज करके—उनके धार्मिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप करके—उन्हें सन्मार्गसे पीछे हटा रहे हैं और इस तरह पर अपनी जातीय तथा सघशक्तिको निर्बल और निःसत्त्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकृतकी विपत्तियों को बुलाने के लिये कसर कसे हुए हैं । ऐसे लोगोंको चारुदत्त के इस उदाहरण द्वारा यह चेतावनी की गई है कि वे दण्ड-विधानके ऐसे अवसरों पर बहुतही सोच समझ और गहरे विचार तथा दूरदृष्टिसे काम लिया करें । यदि वे पतितोंका स्वयं उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हें कमसे कम पतितोंके उद्धारमें बाधक न बनना चाहिये और न ऐसा अवसरही देना चाहिये जिससे पतितजन और भी अधिकताके साथ पतित होजायें । किसी पतित भाई क उद्धारकी चिन्ता न करके उसे जातिसे खारिज कर देना और उसके धार्मिक अधिकारोंका भी छीन लेना, ऐसा ही कर्म है जिससे वह पतित भाई, अपने सुधार का अवसर न पाकर, और भी ज्यादा पतित होजाय, अथवा यों कहिये कि वह डूबत का ढाकर मारकर शीघ्र डबा देने के समान है । तिरस्कार से प्रायः कभी किसी का सुधार नहीं होता, उससे तिरस्कृत व्यक्ति अपने पापकार्यमें और भी दृढ़ हो जाता है और तिरस्कारी के प्रति उसकी ऐसी शत्रुता बढ़जाती है जो जन्म जन्मान्तरोंमें अनेक दुःखों तथा कष्टोंका कारण होती हुई दोनोंके उन्नति पथमें बाधा उपस्थित करदेती है । हाँ, सुधार होता है प्रेम, उपकार और सहृदयव्यवहार से ।

यदि चारुदत्त के कुटुम्बीजन, अपने इन गुणों और उदार परिणति के कारण, वसंतसेनाको चारुदत्तके पीछे अपने यहाँ आश्रय न देते बल्कि यह कहकर दुरकार देते कि 'इस पापिनी ने हमारे चारुदत्तका सर्वनाश किया है, इसकी सूरत भी नहीं देखनी चाहिये और न इसे अपने द्वारपर खड़ेही होने देना चाहिये', तो बहुत संभव है कि वह निराश्रित दशमों अपनी माताके ही पास जाती और वेश्यावृत्ति के लिये मजबूर होती और तब उसका वह सुन्दर श्राविका का जीवन न बन पाता जो उन लोगोंके प्रेमपूर्वक आश्रय देने और सद्व्यवहारसे बन सका है। इसलिये सुधारके अर्थ प्रेम, उपकार और सद्व्यवहार को अपनाना चाहिये, उसकी नितान्त आवश्यकता है। पापीसे पापीका भी सुधार हो सकता है परन्तु सुधारक होना चाहिये। ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो स्वभावसे ही 'अयोग्य' हो परन्तु उसे योग्यताकी ओर लगाने वाला अथवा उसकी योग्यता से काम लेने वाला 'योजक' होना चाहिये—उसीका मिलना कठिन है। इसीसे नीतिकारोंने कहा है—

“अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः।”

जो जाति अपने किसी अपराधी व्यक्तिको जातिके आरिज करती है और इस तरह पर उसके व्यक्तित्व के प्रति भारी घृणा और तिरस्कारके भावको प्रदर्शित करती है, समझना चाहिये, वह स्वयं उसका सुधार करने के लिये असमर्थ है, अयोग्य है, और उसमें योजक-शक्ति नहीं है। साथ ही, इस कृतिके द्वारा वह सर्वसाधारण में अपनी उस अयोग्यता और अशक्तिकी घोषणा कर रही है, इतना ही नहीं बल्कि अपनी स्वार्थसाधुताको भी प्रकट कर रही है। ऐसी अयोग्य और असमर्थ जातिका, जो अपनेको धाम भी नहीं

सकती, क्रमशः पतन होना कुछभी अस्वाभाविक नहीं है। पापी का सुधार वही कर सकता है जो पापीके व्यक्तित्व से घृणा नहीं करता बल्कि पापसे घृणा करता है। पापीसे घृणा करने वाला पापीके पास नहीं फटकता, वह सदैव उससे दूर रहता है और उन दोनोंके बीचमें मीलोंकी गहरी खाई पड़ जाती है; इससे वह पापीका कभी कुछ सुधार या उपकार नहीं कर सकता। प्रत्युत इसके, जो पापसे घृणा करता है वह सदैव की तरह हमेशा पापी (रोगी) के निकट होता है, और बराबर उसके पापरागको दूर करनेका यत्न करता रहता है। यही दोनोंमें भारी अन्तर है। आजकल अधिकांश जन पापसे तो घृणा नहीं करते परन्तु पापीसे घृणाका भाव ज़रूर दिखलाते हैं अथवा घृणा करते हैं। इसीसे संसारमें पापकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और उसकी शांति होनेमें नहीं आती। बहुधा जाति बिरादरियों अथवा पंचायतों की प्रायः ऐसी नीति पाई जाती है कि वे अपने जाति भाइयोंको पापकर्मसे तो नहीं रोकती और न उनके मार्गमें कोई अर्गला ही उपस्थित करती हैं बल्कि यह कहती हैं कि 'तुम सिंगल (एकहरा) पाप मत करो बल्कि डबल (दोहरा) पाप करो—डबल पाप करनेसे तुम्हें कोई दण्ड नहीं मिलेगा परन्तु सिंगल पाप करने पर तुम जातिसे खारिज कर दिये जाओगे। अर्थात्, वे अपने व्यवहारसे उन्हें यह शिक्षा दे रही हैं कि 'तुम चाहे जितना बड़ा पाप करो, हम तुम्हें पाप करने से नहीं रोकती परन्तु पाप करके यह कहो कि हमने नहीं किया— पापका छिपकर करो और उसे छिपाने के लिये जितना भी मायाचार तथा असत्य भाषणादि दूसरा पाप करना पड़े उसकी तुम्हें छुट्टी है—तुम खुशीसे व्यवहार कर सकते हो परन्तु वह स्थूल रूपमें किसी पर जाहिर न हो, भलेही इस कामके लिये रोटी बनानेवालीके रूपमें किसी स्त्रीको

रखलो परन्तु उसके साथ विवाह मत करो; और यदि तुम्हारे फूल (कर्म) से किसी विधवाको गर्भ रहजाय तो खुशीसे उसकी भ्रूणहत्या कर डालो अथवा बालकको प्रसव कराकर उसे कहीं जंगल आदिमें डाल आओ या मार डालो परन्तु खुले रूपमें जाति-विरादरीके सामने यह बात न आने दो कि तुमने उस विधवा के साथ सम्बंध किया है, इसीमें तुम्हारी खैर है—मुक्ति है—और नहीं तो जातिसे खारिज कर दिये जाओगे ।' जाति-विरादरियों अथवा पंचायतों की ऐसी नीति और व्यवहारके कारण ही आजकल भारत वर्षका और उसमें भी उच्च कहलाने वाली जातियोंका बहुतही ज्यादा नैतिक पतन होरहा है । ऐसी हालत में पापियोंका सुधार और पतितोंका उद्धार कौन करे, यह एक बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित है !!

एक बात और भी नोट किये जाने के योग्य है और वह यह कि यदि कोई मनुष्य पाप कर्म करके पतित होता है तो उसके लिये इस बातकी खास जरूरत रहती है कि वह अपने पापका प्रायश्चित्त करने के लिये अधिक धर्म करे, उसे ज्यादा धर्मकी ओर लगाया जाय और अधिक धर्म करने का मौका दिया जाय परन्तु आजकल कुछ जैन जातियों और जैन पंचायतोंकी ऐसी उलटी रीति पाई जाती है कि वे ऐसे लोगोंको धर्म करने से रोकती हैं—उन्हें जिनमंदिरोंमें जाने नहीं देती अथवा वीतराग भगवानकी पूजा प्रक्षाल नहीं करने देती और और भी कितनी ही आपत्तियाँ उनके धार्मिक अधिकारों पर खड़ी करदेती हैं । समझमें नहीं आता यह कैसी पापोंसे घृणा और धर्मसे प्रीति अथवा पतितोंके उद्धारकी इच्छा है !! और किसी विरादरी या पंचायतको किसीके धार्मिक अधिकारोंमें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है !!

जैनियोंमें 'अविरत सम्यग्दृष्टि' का भी एक दर्जा (चतुर्थ

गुण स्थान) है, और अविरतसम्यग्दृष्टि उसे कहते हैं जो इन्द्रियोंके विषयों तथा असंस्थावर जीवों की हिंसासे विरक्त नहीं होता—अथवा यों कहिये कि इन्द्रियसंयम और प्राण-संयम नामक दानों संयमों में से किसी भी संयमका धारक नहीं होता—परन्तु जिनेंद्र भगवानके वचनोंमें श्रद्धा ज़रूर रखता है* । ऐसे लोग भी जब जैन होते हैं और सिद्धान्ततः जैन मंदिरों में जाने तथा जिनपूजनादि करने के अधिकारी हैं + तब एक भावकसे, जो जैनधर्मका श्रद्धानी है, चारित्र्य मोहिनी कर्मके तीव्र उदयवश यदि कोई अपराध बन जाता है तो उसकी हालत अविरत सम्यग्दृष्टिसे और ज्यादा कषा खराब होजाती है, जिसके कारण उसे मंदिरमें जाने आदिसे रोका जाता है । जान पड़ता है इस प्रकारके दंडविधान केवल नासमझी और पारस्परिक कषाय भावों से सम्बंध रखते हैं । अन्यथा, जैनधर्ममें तो, सम्यग्दर्शनसे युक्त (सम्यग्दृष्टि) चांडाल-पुत्रको भी 'देव' कहा है—आराध्य बतलाया है—और उसकी दशा उस अंगारके सदृश प्रतिपादन की है जो बाह्यमें भस्मसे आच्छादित होनेपर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाश को लिये हुए है और इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता† । इसीसे

*यथा—एषो इंदयेसुविरदो एषो जीवे धावरे तसे वापि ।

जो सहहृदि जिणुत्तं सम्माइट्टी अविग्दोसो ॥ २६

गोम्मटसार ।

+ जिन पूजाके कौन कौन अधिकारी हैं, इसका विस्तृत और प्रामाणिक कथन लेखककी लिखी हुई 'जिनपूजाधिकार मीमांसा' से जानना चाहिये ।

†यथा—सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहम् ।

देवा देवं विदुर्मस्म गूढाङ्गारात्मरौजसम् ॥

— इति रत्नकरण्डके स्वामिसंमतभद्रः ।

बहुत प्राचीन समयमें, जबकि जैनियों का हृदय सचची धर्म-भाषनासे प्रेरित होकर उदार था और जैनधर्मकी उदार (अनेकान्तात्मक) छत्रछायाके नीचे सभी लोग एकत्र हांत थे, मातंग (खाण्डाल) भी जैनमंदिरोंमें जाया करते थे और भगवान का दर्शन-पूजन करके अपना जन्म सफल किया करते थे । इस विषय का एक अच्छा उल्लेख श्रीजिनसेनाचार्य के हरि-वंशपुराणमें पाया जाता है और वह इस प्रकार है:—

सस्त्रीकाः खेधरा याताः सिद्धकूटजिनालयम् ।

एकदा वंदितुं सोपि शौरिर्मदनवेगया ॥ २ ॥

कृत्वा जिनमहं खेटाः प्रबन्ध प्रतिमागृहम् ।

तस्थुः स्तंभानुपाश्रित्य बहुवेषा यथायथम् ॥ ३ ॥

विद्युद्गोपि गौरीणां विद्यानां स्तंभमाश्रितः ।

कृतपूजास्थितः श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृतः ॥ ४ ॥

पृष्ट्या वसुदेवेन ततो मदनवेगया ।

विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीर्तिताः ॥ ५ ॥

* * * *

अमी विद्याधरा ह्यार्याः समासेन समीरिताः ।

मातंगानामपि स्वामिन्निकायान् शृणु वच्मि ते ॥ १४ ॥

नीलांबुदचक्षयामा नीलांबरवरस्रजः ।

अमी मातंगनामानो मातंगस्तंभसंगताः ॥ १५ ॥

श्मशानास्थिकृतोत्तंस्र भस्मरेणुबिभूसराः ।

श्मशाननिलयास्त्वेते श्मशानस्तंभमाश्रिताः ॥ १६ ॥

नीलवैडूर्यवर्णानि धारयंत्यंबराणि ये ।

पाण्डुरस्तंभमेत्यामी स्थिताः पाण्डुकखेचराः ॥ १७ ॥
 कृष्णाजिनधरास्त्वेते कृष्णचर्माम्बरस्रजः ।
 कानीलस्तंभमध्येत्य स्थिताः कालश्वपाकिनः ॥ १८ ॥
 पिंगलैर्मूर्ध्वैर्जैर्युक्तास्तप्तकांचनभूषणाः ।
 श्वपाकीनां च विद्यानां श्रितास्तंभं श्वपाकिनः ॥ १९ ॥
 पत्रपर्णाशुकञ्चन्न-विचित्रमुकुटस्रजः ।
 पार्वतेया इति ख्याता पार्वतस्तंभमाश्रिताः ॥ २० ॥
 वंशीपत्रकृतोचंसाः सर्वर्तुकुसुमस्रजः ।
 वंशस्तंभाश्रिताश्चैते खेटा वंशालया मताः ॥ २१ ॥
 महाभुजगशोभांकसंहृष्टवरभूषणाः ।
 वृक्षमूलमहास्तंभमाश्रिता वार्त्तमूलकाः ॥ २२ ॥
 स्ववेषकृतसंचाराः स्वचिह्नकृतभूषणाः ।
 समासेन समाख्याता निकायाः स्वचरोद्गताः ॥ २३ ॥
 इति भार्योपदेशेन ज्ञातविद्याधरान्तरः ।
 शौरिर्यातो निजं स्थानं खेचराश्च यथायथम् ॥ २४ ॥

--२६ वाँ सर्ग ।

इन पद्योंका अनुवाद पं० गजाधरलालजी ने, अपने भाषा
 *हरिवंश पुराणमें, निम्न प्रकार किया है :—

“एकदिन समस्त विद्याधर अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ
 सिद्धकूट चैत्यालयकी बंधनार्थ गये कुमार (वसुदेव) भी

* देखो इस हरिवंशपुराण का सन् १९१६ का छपा हुआ
 संस्करण, पृष्ठ २८४, २८५ ।

प्रियतमा मदनवेगाके साथ चलदिये ॥२॥ सिद्ध कूटपर जाकर विचित्र विचित्र वर्षोंके धारण करने वाले विद्याधरोंने सानंद भगवानकी पूजा की चैत्यालय को नमस्कार किया एवं अपने अपने स्तंभोंका सहारा ले जुड़े २ स्थानों पर बैठ गये ॥ ३ ॥ कुमार के श्वसुर विद्युद्भेगने भी अपनी जातिके गौरिक निकाय के विद्याधरोंके साथ भले प्रकार भगवागकी पूजाकी और अपनी गौरी-विद्याओं के स्तंभका सहारा ले बैठगये ॥ ४ ॥ कुमारको विद्याधरोंकी जातिके जानने की उत्कंठा हुई इसलिये उन्होंने उनके विषयमें प्रियतमा मदनवेगासे पूछा और मदनवेगा बधा-योग्य विद्याधरोंकी जातियोंका इसप्रकार वर्णन करने लगी—”

* * * *

“प्रभो ! ये जितने विद्याधर हैं वे सब आर्य जातिके विद्याधर हैं अब मैं मातंग [अनार्य] जातिके विद्याधरोंको बतलाती हूँ आप ध्यान पूर्वक सुनें—”

“नीले मेघके समान श्याम नीली मात्सा धारण किये मातंग स्तंभके सहारे बैठे हुये ये मातंग जातिके विद्याधर हैं ॥१४-१५॥ मुर्दोंकी हड्डियोंके भूषणोंसे भूषित भस्म (राख) की रेणुओंसे भद मैले और श्मशान [स्तंभ] के सहारे बैठे हुये ये श्मशान जातिके विद्याधर हैं ॥ १६ ॥ वैदूर्यमणिके समान नीले नीले बरुओं को धारण किये पाँडुर स्तंभके सहारे बैठे हुये ये पाँडुक जातिके विद्याधर हैं ॥ १७ ॥ काले काले मृगचर्मों को आढे काले चमड़े के बरु और मालाओं को धारे कालस्तंभका आश्रय ले बैठे हुये ये कालश्वपाकी जातिके विद्याधर हैं ॥१८॥ पीले बरुके केशोंसे भूषित, तप्त सुवर्ण के भूषणोंके धारक श्वपाक विद्याओंके स्तंभके सहारे बैठने वाले ये श्वपाक जातिके विद्याधर हैं ॥ १९ ॥ वृक्षोंके पत्तोंके समान हरे बरुओंके धारण करनेवाले, भाँति भाँतिके मुकुट और मालाओंके धारक, वर्षल-

स्तंभका सहारा लेकर बैठे हुये ये पार्वतेय जातिके विद्याधर हैं ॥ २० ॥ जिनके भूषण वॉसके पत्तोंके बने हुये हैं जो सब ऋतुओंके फूलोंकी माला पहिने हुये हैं और वंशस्तंभके सहारे बैठे हुये हैं वे वंशालय जातिके विद्याधर हैं ॥ २१ ॥ महासर्पके चिह्नोसे युक्त उत्तमोत्तम भूषणोंको धारण करने वाले वृक्षमूल नामक विशाल स्तंभके सहारे बैठे हुये ये वार्त्तमूलक जातिके विद्याधर हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार रमणी मदनवेगा द्वारा अपने अपने वेष और चिह्न युक्त भूषणोंसे विद्याधरोंका भेद जान कुमार अति प्रसन्न हुये और उसके साथ अपने स्थान वापिस चले आये एवं अन्य विद्याधर भी अपने अपने स्थान चले गये ॥ २३-२४ ॥ ”

इस उल्लेख परसे इतनाही स्पष्ट मालूम नहीं होता कि मत्तंग जातियोंके चाण्डाल लोग भी जैनमंदिरमें जाते और पूजन करते थे बल्कि यहभी मालूम होता है कि * स्मशानभूमि की हड्डियोंके आभूषण पहिने हुए, वहाँ की राख बदनसे मले हुए, तथा मृगझासा आंढे, चमड़ेके वस्त्र पहिने और चमड़ेकी मालाएं हाथमें लिये हुए भी जैनमंदिरमें जासकते थे, और न केवल जाहीसकते थे बल्कि अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार पूजा कर्म के बाद् उनके वहाँ बैठनेके लिए स्थान भी नियत था, जिससे उनका जैनमंदिरमें जानेका और भी ज्यादा नियत अधिकार पाया जाता है† । जान पड़ता है उस समय 'सिद्ध-

* यहाँ इस उल्लेख परसे किसीको यह समझने की भूल न करनी चाहिये कि लेखक आजकल ऐसे अपवित्र वेषमें जैन मंदिरोंमें जाने की प्रवृत्ति चलाना चाहता है ।

† श्री जिनसेनाचार्य ने, ६ वीं शताब्दी के धातावरणके अनुसार भी, ऐसे लोगों का जैनमंदिर में जाना आवि आपत्तिके

कूट जिनालय' में प्रतिमागहके सामने एक बहुत बड़ा विशाल मंडप होगा और उसमें स्तंभोंके बिभागसे सभी आर्य अनायें आतियोंके लोगोंके बैठनेके लिये जुदाजुदा स्थान नियतकर रक्खे होंगे । आजकल जैनियोंमें उक्त सिद्धकूट जिनालयके दंगका— उसकी नीतिका अनुसरण करनेवाला—एकभी जैनमंदिर नहीं है × । लोगोंने बहुधा जैनमंदिरोंका देवसम्पत्ति न समझकर अपनी घरू सम्पत्ति समझ रक्खा है, उन्हें अपनी ही चहलपहल तथा आमोद-प्रमोदादिके एक प्रकारके साधन बना रक्खा है, वे प्रायः उन महौदार्य-सम्पन्न लोकपिता धीतराग भगवानके मंदिर नहीं जान पड़ते जिनके समवसरणमें पशुतक भी जाकर बैठतेथे, और न वहाँ, मूर्तिको छोड़कर, उन पूज्य पिताके वैराग्य, औदार्य तथा साम्यभावादि गुणोंका कहीं कोई आदर्श ही नज़र आता है । इसीसे वे लोग उनमें चाहे जिस जैनोंको आने देते हैं और चाहे जिसको नहीं । कई ऐसे जैनमंदिर भी देखने में आए हैं जिनमें ऊनी वस्त्र पहिने हुए जैनियोंको भी घुसने नहीं दिया जाता । इस अनुदारता और कृत्रिम धर्मभावनाका भी कहीं कुछ ठिकाना है ! ऐसे सब लोगोंको खूब याद रखना

योभ्य नहीं ठहराया और न उससे मंदिरके अपवित्र होजानेको ही-सूचितकिया। इससे क्या यह नसमझ लिया जाय कि उन्होंने ऐसी प्रवृत्तिका अभिनंदन किया है अथवा उसे बुरा नहीं समझा?

× चाँदनपुर महावीरजीके मंदिरमें तो वर्ष भरमें दो एक दिनके लिये यह हवा आ जाती है कि सभी ऊँच नीच जातियों के लोग बिना किसी रुकावटके अपने प्राकृत वेषमें—जूते पहने और चमड़े के डोल आदि चोर्जे लिये हुए—वहाँ खले जाते हैं । और अपनी मर्किके अनुसार दर्शन पूजन तथा परिक्रमण करके वापिस आते हैं ।

चाहिये कि दूसरोंके धर्म-साधन में विघ्न करना—बाधक होना—,उनका मंदिर जाना बंद करके उन्हें देवदर्शन आदिसे विमुख रखना, और इस तरह पर उनको आत्मोन्नतिके कार्यमें रुकावट डालना बहुत बड़ा भारी पाप है। अंजना सुंदरीने अपने पूर्वजन्ममें थोड़े ही कालके लिये, जिनप्रतिमाको छिपाकर, अपनी सौतन के दर्शनपूजनमें अन्तराय डाला था। जिसका परिणाम यहाँ तक कटुक हुआ कि उसको अपने इस जन्ममें २२ वर्ष तक पतिका दुःसह त्रियोग सहना पड़ा और अनेक संकट तथा आपदाओंका सामना करना पड़ा, जिनका पूर्ण विवरण श्रीरविशेखाचार्यकृत 'पद्मपुराण' के देखने से मालूम हो सकता है। श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, अपने 'रयखसार' ग्रन्थ में यह स्पष्ट बतलाया है कि—'दूसरोंके पूजन और दानकार्यमें अन्तराय (विघ्न) करने से जन्मजन्मान्तरमें क्षय, कुष्ठ, शूल, रक्तविकार, भगंदर, जलोदर, नेत्रपीड़ा, शिरोवेदना आदिक रोग तथा शीत उष्ण (सरदी गरमी) के आताप और (कुबो-नियोंमें) परिभ्रमण आदि अनेक दुःखोंकी प्राप्ति होती है।' यथा—

खयकुट्सूलमूलो लोयभगंदरजलोदरक्विसिसिरो-
स्त्रीदुरहवहाराई पूजादाणंतरायकम्मफलं ॥ ३३ ॥

इस लिये जो कोई जाति-विरादरी अथवा पंचायत किसी जैनीको जैनमंदिरमें न जाने अथवा जिनपूजादि धर्मकार्योंसे वंचित रखने का दण्ड देती है वह अपने अधिकार का अतिक्रमण और उहलंघन ही नहीं करती बल्कि घोरपापका अनुष्ठान करके स्वयं अपराधिनी बनती है। ऐसी जाति-विरादरियोंके पंचोंकी निरंकुशता के विरुद्ध आवाज उठने की ज़रूरत है और इसका वातावरण ऐसेही लोगोंके द्वारा पैदा किया जा सकता है। आजकल जैन पंचायतोंने 'जाति-बहिष्कार' नामके लीक्षण

हथियार कबे जो एक खिलौने की तरह अपने हाथमें ले रक्खा है और, बिना उसका प्रयोग जाने तथा अपने बलाधिक और देशकालकी स्थिति को समझे, जहाँ तहाँ यद्वा तद्वा रूपमें उसका व्यवहार किया जाता है वह धर्म और समाजके लिये बड़ा ही भयकर तथा हानिकारक है। इस विषयमें भीसोमदेवसूत्रि अपने * 'यशस्तिलक' ग्रन्थ में लिखते हैं :—

नवैः संदिग्धनिर्वाहैर्विदध्याद्गणवर्धनम् ।

एकदोषकृते त्याज्यः प्राप्ततत्त्वः कथं नरः ॥

यतः समयकार्यार्थो नानापंचजनाश्रयः ।

अतः संबोध्य यो यत्र योग्यस्तं तत्र योजयेत् ॥

उपेक्षायां तु जायेत तत्वाद्दूरतरो नरः ।

ततस्तस्य भवो दीर्घः समयोऽपि च हीयते ॥

इन पद्यों का आशय इस प्रकार है:—

'ऐसे ऐसे नवीन मनुष्यों से अपनी जाति की समूह-वृद्धि करनी चाहिये जो संदिग्धनिर्वाह हैं—अर्थात्, जिनके विषय में यह संदेह है कि वे जाति के आचार-विचार का यथेष्ट पालन कर सकेंगे। (और जब यह बात है तब) किसी एक दोष के कारण कोई विद्वान् जाति से बहिष्कार के योग्य कैसे हो सकता है ? चूंकि सिद्धान्ताचार-विषयक धर्म कार्यों का प्रयोजन नाना पंचजनों के आश्रित है—उन के सहयोग से सिद्ध होता है—अतः समझाकर जो जिस कामके योग्य हो उसको उसमें लगाना चाहिये—जातिसे प्रथक् न करना चाहिये। यदि किसी दोषके कारण एक व्यक्ति—नासकर विद्वान्—

* यह ग्रंथ शुक सं० ८८१ (वि० सं० १०१६) में बनकर समाप्त हुआ ।

उपेक्षा की जाती है—उसे जाति में रखने की पर्याह न करके जाति से प्रयत्न किया जाता है—तो उस उपेक्षा से वह मनुष्य तत्व से बहुत दूर जा पड़ता है । तत्व से दूर जा पड़नेके कारण उसका ससार बढ़ जाता है और धर्म की भी क्षति होती है—अर्थात्, समाजके साथ साथ धर्म को भी भारी हानि उठानी पड़ती है, उस का यथेष्ट प्रचार और पालन नहीं हो पाता ।

आचार्यमहोदय ने अपने वाक्यों द्वारा जैन जातियों और पंचायतों को जो गहरा परामर्श दिया है और जो दूर की बात सुभाई है वह सभीके ध्यान देने और मनन करनेके योग्य है । जब जब इस प्रकार के सदुपदेशों और सत्परामर्शों पर ध्यान दिया गया है तब तब जैन समाजका उत्थान होकर उसकी हालत कुछ से कुछ होनी रही है—इसमें अच्छे अच्छे राजा भी हुए, मुनि भी हुए और जैणियों ने अपनी लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति में यथेष्ट प्रगति की,—परन्तु जब से उन उपदेशों तथा परामर्शों की उपेक्षा की गई तभी से जैन समाज का पतन हो रहा है और आज उसकी इतनी पतित-वस्था हो गई है कि उसके अभ्युदय और समृद्धि की प्रायः सभी बातें स्वप्न जैसी मालूम होंती हैं, और यदि कुछ पुरा-तत्वज्ञों अथवा ऐतिहासिक विद्वानों द्वारा थोड़ासा प्रकाश न डाला जाता तो उन पर एकाएक विश्वास भी होना कठिन था । ऐसी हालत में, अब ज़रूरत है कि जैणियों की प्रत्येक जाति में ऐसे वीर पुरुष पैदा हों अथवा खड़े हों जो बड़े ही प्रेम के साथ युक्तिपूर्वक जातिके पंचों तथा मुखियाओं को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराएँ और उनकी समाज-हित-विरोधनी निरंकुश प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिये जी जान से प्रयत्न करें । ऐसा होने पर ही समाज का पतन रुक सकेगा और उस

में फिर से वही स्वास्थ्यप्रद जीवनदाता और समृद्धिकारक पवन बह सकेगा जिसका बहना अब बंद हो रहा है और उस के कारण समाज का सांस घुट रहा है।

समाज के दृढ़-विधानों और उसके परित्याग-विषयक इन्हीं सब बातोंको धाड़े से सूत्र वाक्यों द्वारा सुझाने अथवा उनका संकेतमात्र करने के उद्देश्य से ही यह चारुदत्त वाला लेख लिखा गया था।

समालोचकजीको यदि इन सब बातोंका कुछ भी ध्यान होता तो वे ऐसे सदुद्देश्य से लिखे हुए इस लेखके विरोधमें ज़राभी लेखनी न उठाते। आशा है लेखोद्देश्य के इस स्पष्टीकरणसे उनका बहुत कुछ समाधान होजायगा और उनके द्वारा सर्वसाधारणमें जो भ्रम फैलाया गया है वह दूर हो सकेगा।

वेश्याओं से विवाह ।

पुस्तक के आशय-उद्देश्यका विवेचन और स्पष्टीकरण करने आदि के बाद अब मैं उदाहरणोंकी उन बातों पर विचार करता हूँ जिन पर समालोचना में आक्षेप किया गया है, और सबसे पहले इस चारुदत्त वाले उदाहरणको ही लेता हूँ। यही पहले लिखा भी गया था, जैसा कि शुरु में ज़ाहिर किया जा चुका है। समालोचकजी ने जो इसे वसुदेव जी वाले उदाहरण के बाद लिखा बतलाया है वह उनकी भूल है।

इस उदाहरण में सिर्फ़ दो बातों पर आपत्ति की गई है एकतो वसंतसेना वेश्याको अपनी स्त्री रूप से स्वीकृत करने अथवा खुल्लमखुल्ला घर में डाल लेने पर, और दूसरी इस बात पर कि चारुदत्त के साथ कोई घृणा का व्यवहार नहीं किया गया। इनमें से दूसरी बात पर जो आपत्ति की

गई है वह तो कोई ख़ाल महत्व नहीं रखती। उसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि 'सतस्यसनों में वेश्या सेवन भी एक व्यसन है, इस व्यसनको सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य हांगये हैं परन्तु उनमें चारुदत्त का नाम ही जो ख़ाल तौर से प्रसिद्ध चला आता है वह इस बातको सूचित करता है कि इस व्यसन के सेवन में चारुदत्त का नाम जैसा बद्नाम हुआ है वैसा दूसरे का नहीं। नाम की यह बद्नामी ही चारुदत्तके प्रति घृणा और तिरस्कार है, इस लिये उस समयके लोग भी ज़रूर उसके प्रति घृणा और तिरस्कार किये बिना न रहे होंगे।' इस प्रकारके अनुमान को प्रस्तुत करनेके सिवाय, समालोचक जी ने दूसरा कोई भी प्रमाण किसी ग्रन्थ से ऐसा पेश नहीं किया जिससे यह मालूम होता कि उसवक्त की जाति-विरादरी अथवा जनताने चारुदत्तके व्यक्तित्वके प्रति घृणा और तिरस्कार का अमुक व्यवहार किया है। और अनुमान जो आपने बाँधा है वह समुचित नहीं है। क्योंकि एक वेश्याव्यसनके रूपमें चारुदत्त का जो कथानक प्रसिद्ध है वह, एक रोगीमें व्यक्त होनेवाले रोगके परिणामोंको प्रदर्शित करने की तरह, चारुदत्तके उस दोषका फल प्रदर्शन अथवा उससे होनेवाली मुसीबतोंका उल्लेख मात्र है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके उस दोषकी निन्दा कह सकते हैं। परन्तु उससे चारुदत्तके व्यक्तित्व (शख्स-सियत Personality) के प्रति घृणा या तिरस्कारका कोई भाव नहीं पाया जाता जिसका निषेध करना उदाहरणमें अभीष्ट था और न किसीके एक दोषकी निन्दासे उसके व्यक्तित्वके प्रति घृणा या तिरस्कारका हानालाजिमी आता है। दोषकी निन्दा और बात है और व्यक्तित्वके प्रति घृणा या तिरस्कार का होना दूसरी बात। श्रीजिनसेनाचार्य-विरचित हरिवंशपुराणादि किसी भी प्राचीन ग्रन्थमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे

यह पाया जाता हो कि चारुदत्तके व्यक्तित्वके साथ उस एक जनताका व्यवहार तिरस्कारमय था । प्रत्युत इसके; यह मालूम होता है कि चारुदत्तका काका स्वयं वेश्याव्यसनी था, चारुदत्तकी माता सुभद्राने, चारुदत्तको स्त्री-संभोगसे विरक्त देखकर, इसी काकाके द्वारा वेश्याव्यसनमें लगायाथा* ; वेश्या के घर से निकाले जाने पर जब चारुदत्त अपने घर आया तो उसकी स्त्री ने व्यापार के लिये उसे अपने गहने दिये और वह मामाके साथ विदेश गया ; विदेशोंमें चारुदत्त अनेक देवों तथा विद्याधरों से पूजित, प्रशंसित और सम्मानित हुआ ; उसे प्रामाणिक और धार्मिक पुरुष समझ कर 'गंधर्वसना' नामकी विद्याधर-कन्या उसके समर्थ भाइयों द्वारा विवाह कर देनेके लिये सौंपी गई और जिसे चारुदत्तने पुत्रीकी तरह रक्खा ; चारुदत्त के पीछे वसन्तसेना वेश्या उसकी माताके पास आ रही और माताकी सेवा सुधूषा करते हुए निःसंकोच भावसे उसके वहाँ रहने पर कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं की गई ; चारुदत्तके विदेशसे वापिस आने पर मातादिक कुटुम्बीजन और चम्पापुरी नगरीके सभी लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने चारुदत्त के साथ महती तथा अद्भुत प्रीति को धारण किया x ; चारुदत्तने उस वसन्तसेना वेश्याको अंगीकार किया

* ब्रह्मनेमिदत्त ने भी आराधनाकथाकोश में लिखा है :—

तदा स्वपुत्रस्य मोहेन संगतिं गणिकादिभिः ।

सुभद्रा कारयामास तस्योच्चैर्लम्पटैर्जनैः ॥

x ब्रह्मनेमिदत्तके कथाकोशमें चम्पापुरीके लोगों आदि की इस प्रीतिका उल्लेख निम्न प्रकार से पाया जाताहै :—

भानुः भेष्टी सुभद्रा सा चारुदत्तागमे तदा ।

अन्ये चम्पापुरीलोकाः प्रीतिं श्रुता महाद्भुताम् ॥

ओ उसी को एक बति मान कर उसके घर पर रहने लगी थी, 'किमिच्छुक' दान देकर दीनों और अनाथों आदिको संतुष्ट किया, गंधर्वसेवा की प्रतिज्ञानुसार उसका पति निश्चित करनेके लिये अनेक बार गंधर्वविद्याके जानकार विद्वानोंकी सभामें जुटाई, प्रणिहा पूरी होने पर वसुदेवके साथ उसका विवाह किया, और बराबर जैनधर्मका पालन करतेहुए अन्त को जैनमुनि दीक्षा धारण की ×। इसके सिवाय, वसुदेवजीने चारुदत्तका चेश्याव्यसनादिसहित सारा पूर्व वृत्तांत सुनकर और उससे सन्तुष्ट होकर चारुदत्तकी प्रशंसा में निम्न वाक्य कहे—

चारुदत्तस्य चोत्साहं तुष्टस्तुष्टाव यादवः ॥१८१

अहोचेष्टितमार्यस्य महौदार्यसमन्वितम् ।

अहो पुण्यबलं गण्यमनन्यपुरुषोचितम् ॥१८२

न हि पौरुषमीदृजं विना दैवबलं तथा ।

ईदृजान् विभवान् शक्याः प्राप्तुं ससुरखेचराः ॥१८३॥

—हरिवंशपुराण ।

भाषामें पं० गजाधरलाल जी ने इन्हीं प्रशंसावाक्यों को निम्न प्रकार से अनुवादित किया है :—

“कुमार वसुदेवको परम आनंद हुआ उन्होंने चारुदत्तकी इस प्रकार प्रशंसा कर [की] कि—आप उत्तम पुरुष हैं, आपकी चेष्टा धन्य है उदारता भी लोकोत्तर है अन्य पुरुषों के लिये

× यथाः—चारुदत्तः सुधीश्चापि भुक्त्वा भोगान्स्वपुण्यतः ।

समाराध्यजिनैर्द्रोक्तं धर्मं शर्माकर चिरं ॥ ६२॥

ततो वैराग्यमासाद्य सुन्दराख्यसुताय च ।

दत्त्वा श्रेष्ठिषद्वं पूत दीक्षां जैनेश्वरीं श्रितः ॥ ६३॥

—नेमिदत्त-कथाकोश ।

सर्वथा दुर्लभ यह आपका पुण्यबल भी अचिन्त्य है ॥१८१-१८२॥
विना भाग्य के ऐसा पौरुष होना अति कठिन है ऐसे उतमोत्तम
भोगों को मनुष्यों की तो क्या बात सामान्य देव विद्याधर भी
प्राप्त नहीं कर सकते ” ।

और हरित्रंशपुराण के २१वें सर्ग के अन्त में श्रीजिनसेना
चार्य ने चारुदत्तजीको भी वसुदेवकी तरह रूप और विद्वान
के सागर तथा धर्म अर्थ कामरूपी त्रिवर्ग के अनुभवी अथवा
उसके अनुभवसे संतुष्टचित्त प्रकट किया है, और इस तरह पर
द्वों को एक ही विशेषणों द्वारा उल्लेखित किया है यथा:—

इत्यन्योन्यस्वरूपज्ञा रूपविद्वानसागराः ।

त्रिवर्गानुभवप्रीताश्चारुदत्तादयः स्थिताः ॥१८५॥

इन सब बातों से यह स्पष्ट जाना जाता है कि चारुदत्त
अपने कुटुम्बीजनों, पुरजनों और इतरजनों में से किसी के भी
द्वारा उस वक्त तिरस्कृत नहीं थे और न कोई उनके व्यक्तित्व
को घृणाकी दृष्टिसे देखता था । इसी से लेखक ने लिखा था
कि “उस समय की जाति बिरादरी ने चारुदत्त को जाति से
च्युत अथवा बिरादरी से खारिज नहीं किया और न दूसरा ही
उसके साथ कोई घृणाका व्यवहार किया गया ।” परन्तु समा-
लोचक जी अपने उक्त दूषित अनुमानके भरोसे पर इसे सफेद
भूठ बतलाते हैं और इसलिये पाठक उक्त संपूर्ण कथन पर से
उनके इस सफेद सत्य का स्वयं अनुमान कर सकते हैं और
उसका मूल्य जाँच सकते हैं ।

अब पहिली बात पर की गई आपत्तिको लीजिये । समालो-
चक जी की यह आपत्ति बड़ी ही विचित्र मालूम होती है !
आप यहाँ तक तो मानते हैं कि चारुदत्त का बसन्तसेना वेश्या
के साथ एक व्यसनी जैसा सम्बन्ध था, बसन्तसेना भी

चारुदत्त पर आसक्त थी और उसके प्रथम दर्शन दिवस से ही वह प्रतिज्ञा किए हुए थी कि इस जन्म में मैं दूसरे पुरुष से संभोग नहीं करूंगी; चारुदत्त उससे लड़भिड़ कर या नाराज होकर विदेश नहीं गया बल्कि वेश्या की माता ने धन के न रहने पर जब उसे अपने घर से निकाल दिया तो वह धन कमाने के लिये ही विदेश गया था; उसके विदेश जाने पर वसन्तसेना ने, अपनी माता के बहुत कुछ कहने सुनने पर भी, किसी दूसरे धनिक पुरुष से अपना सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं समझा और अपनी माता को यही उत्तर दिया कि चारुदत्त मेरा कुमारकालका पति है मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसे छोड़ कर दूसरे कुवेर के समान धनवान पुरुष से भी मेरा कोई मतलब नहीं है, और फिर अपनी माता के घर का ही परित्याग कर वह चारुदत्त के घर पर जा रही और उस की मातादिक की सेवा करती हुई चारुदत्तके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी; साथ ही, उसने एक आर्यिका से श्रावकके व्रत लेकर इस बात की और भी रजिष्टरी कर दी कि वह एक पतिव्रता है और भविष्य में वेश्यावृत्ति करना नहीं चाहती। इसके बाद चारुदत्त जी विदेश से विपुलधन-सम्पत्ति के साथ वापिस आए और वसन्तसेना के अपने घर पर रहने आदिका सब हाल मालूम करके उससे मिले और उन्होंने उसे बड़ी खुशी के साथ अपनाया—स्वीकार किया। परन्तु यह सब कुछ मानते हुए भी, आपका कहना है कि इस अपनाने या स्वीकार करनेका यह अर्थ नहीं है कि चारुदत्त ने वसन्तसेनाको स्त्री रूपसे स्वीकृत कियाथा या घरमें डाल लियाथा बल्कि कुछ दूसरा ही अर्थ है, और उसे आपने निम्न दो वाक्यों द्वारा सूचित किया है—

(१) “चारुदत्तने उपकारी और व्रतधारण करनेवाली समझ कर ही वसन्तसेना को अपनाया था ”

(२) “असल बात यह है कि वसन्तसेना सेवा सुधूषा करने के लिये आई थी, और चारुदत्त ने उसे इसी रूप में अपना लिया था ।”

इन में पहले वाक्य से तो अपनाने का कोई विसदृश अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, दूसरे वाक्यसे इतना जरूर मालूम होता है कि आपने वसन्तसेना का खासे भिन्नसेवा सुधूषा करने वाली के रूपमें अपनाने का विधान किया है अथवा यह प्रतिपादन किया है कि चारुदत्त ने उसे एक जिदमतगारनी या नौकरनी के तौर पर अपनं यहां रक्खा था। परन्तु रोटी बनाने, पानी भरने, बर्तन मांजने, बुहारी देने, तैलादि मर्दन करने, नहलाने, बर्षों का खिलाने या पखा झालने आदि किस सेवा सुधूषा के काम पर वह वेश्यापुत्री रक्खी गई थी, इसका आपने कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया और न कहीं पर यही प्रकट किया कि चारुदत्त, अमुक अवसर पर, अपनी उस चिरसंगिनी और चिरभुक्ता वेश्या से पुनः संभोग न करने या उससे काम सेवा न लेनेके लिये प्रतिज्ञावद्ध होचुकेथे अथवा उन्होंने अपनी एक स्त्रीका ही ग्रन ले लिया था। यही आपकी इस आपसिका सारा रहस्य है, और इसके समर्थनमें आपने जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणसे सिर्फ एक श्लोक उद्धृत किया है, जो आपके ही अर्थ के साथ इस प्रकार है:-
तांसु[*शु]श्रूषाकरी[री] स्वसूः[श्वश्र्वाः]†आर्यातिव्रत संगतां।
श्रुत्वा वसंतसेनां च प्रतिः [प्रीतः] स्वीकृतवानहम् ॥”

*त्रिकट में जो रूप दिये हैं वे समालोचक जी के दिये हुए उन अक्षरों के शुद्ध पाठ हैं जो उन से पहले पाये जाते हैं। †इस का जगह “सदणुव्रत संगताम्” ऐसा एक देहली के नये मंदिर की प्रति में पाया जाता है।

“अर्थ—वेश्या वसन्तसेना अपनी मांका घर परित्यागकर मेरे घर आ गई थी । और उसने अर्जिकाके पास जा श्रावकके व्रत धारण कर मेरी माँ और स्त्रीकी पूर्ण सेवाकी थी इसलिये मैं उससे भी मिला उमे सहर्ष अपनाया ।”

पं० दौलतरामजी ने अपने हरिवंशपुराणमें, इस श्लोककी भाषा टीका इस प्रकार दी है :—

“और वह कर्लिंगसेना वेश्याकी पत्नी वसन्तसेना पतिव्रता मेरे विदेश गए पीछे अपनी माताका घर छोड़ि आर्याणिके निकट श्रावकव्रत अंगीकार करि मेरी मातानिके निकट आय रही । मेरी माताकी अर स्त्रीकी वानै अति सेवा करी । सो दोऊहीं वानै अतिप्रसन्न भई । अर जगतिमें बहुत वाका जस भयो सो मैं हू अति प्रसन्न होय वाहि अंगीकार करता भया ।”

वह श्लोक चारुदत्तजीने, वसुदेवजीको अपना पूर्व परिचय देते हुए उस समय कहा है जबकि गंधर्वसेनाका विवाह हो चुका था और चारुदत्तको विदेशने चम्पापुरी वापिस आए बहुतसे दिन बीत चुके थे—गंधर्व विद्याके जानकर विद्वानोंकी महीने दर महीने की कई सभाएं भी हो चुकी थी ।

इस संपूर्ण वस्तुस्थिति, कथनमम्बन्ध और प्रकरण परसे, यद्यपि, यही ध्वनि निकलती है और यही पाया जाता है कि चारुदत्तने वसन्तसेनाको अपनी स्त्री बना लिया था, और कोई

‡मूल श्लोकके शब्दों परसे उसका स्पष्ट और संगत अर्थ सिर्फ इतना ही होता है :—

‘और वसन्तसेनाके विषयमें सासकी (मेरी माताकी) सेवा करने तथा आर्यिकाके पाससे व्रत ग्रहण करने का हाल सुनकर मैंने प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार किया— अंगीकार किया ।’

भी सहृदय विचारशील इस बातकी कल्पना नहीं कर सकता कि चारुदत्तने वसंतसेनाको, उससे काम सेवाका कोई काम न लेते हुए, केवल एक जिद्दमतगारिनी या नौकरनीके तौर पर अपने पास रक्खा होगा—ऐसी कल्पना करना उस सद्बिचार-सम्पन्नाके साथ न्याय न करके उसका अपमान करना है; फिर भी समालोचकजीकी ऐसीही विलक्षण कल्पना जान पड़ती है। इसीसे आप अपनीही बात पर जोर देने हैं और उसका आधार उक्त श्लोक को बतलाते हैं। परन्तु समझमें नहीं आता उक्त श्लोकमें ऐसी कौनसी बात है जिसका आप आधार लेते हों अथवा जिससे आपके अर्थका समर्थन हो सकता हो। किसी भी विरुद्ध कथनके साथमें न होते हुए, एक स्त्रीको अंगीकार करने का अर्थ उसे स्त्री बनानेके सिवाय और क्या हो सकता है? क्या 'स्वीकृतवान्' पदसे पहले 'स्त्रीरूपेण' ऐसा कोई पद न होनेसे ही आप यह समझ बैठे हैं कि वसंतसेना की स्त्रीरूपसे स्वीकृति नहीं हुई थी या उसे स्त्रीरूपसे अंगीकार नहीं किया गया था? यदि ऐसा है तो इस समझपर सहस्र धन्यवाद हैं? जान पड़ता है अपनी इस समझके भरोसे परही आपने श्लोकमें पड़े हुए 'श्वश्र्वाः' पदका कोई ज़याल नहीं किया और न 'स्वीकृति' या 'स्वीकार' शब्दके प्रकरणसंगत अर्थ पर ही ध्यान देनेका कुछ कष्ट उठाया !! श्लोकमें 'श्वश्र्वाः' पद इस बातको स्पष्ट बतला रहा है कि चारुदत्त ने वसुदेवसे बातें करते समय अपनी माताको वसन्तसेनाकी 'सास' रूपसे उल्लेखित किया था और इससे यह साफ़ जाहिर है कि वसुदेव के साथ वार्ता-लाप करने से पहले चारुदत्तका वसंतसेनाके साथ विवाह हो चुका था। स्वीकरण, स्वीकृति, और स्वीकार शब्दों का अर्थ भी विवाह होता है—इसीसे वामन शिवराम ऐंठेने अपने कोश में इन शब्दोंका अर्थ Espousal, wedding तथा marriage

भी दिया है और इसी लिये उक्त श्लोकमें 'स्वीकृतवान' से पहले 'स्वीरूपेण' पदकी या इसी आशय को लिये हुए किसी दूसरे पदके देनेकी कोई जरूरत नहीं थी—उसका देना व्यर्थ होता। स्वयं श्रीजिनमंनान्चार्यने अन्यत्र भी, अपने हरिवंशपुराण में, 'स्वीकृत' को 'विवाहित (ऊढ)' अर्थ में प्रयुक्त किया है, जिसका एक स्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है :—

✽ यागकर्मणि निवृत्ते सा कन्या राजसूनुना ।
स्वीकृता तापसा भूपं भक्तं कन्यार्थमागताः॥३०॥
कौशिकायात्र तैस्तस्यां याचितायां नृपोऽवदत् ।
कन्या सोढा कुमारेण यातेत्युक्तास्तुते ययुः॥३१॥
—२६ वां सर्ग ।

ये दोनों पद्य उस यज्ञप्रकरण के हैं जिसमें राजा अमोघ-दर्शन ने रंगसेना वेश्याकी पुत्री 'कामपताका' वेश्या का नृत्यकराया था और जिसे देखकर कौशिक ऋषिभी क्षुब्ध हो गये थे। इन पद्यों में बतलाया है कि 'यज्ञकर्म' के समाप्त होने पर उस (कामपताका) कन्या को राजपुत्र (चारुचंद्र) ने स्वीकार कर लिया। (इसके बाद) कुछ तापस लोग कन्या के लिये भक्त राजा के पास आए और उन्होंने 'कौशिक' के

✽ जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवंशपुराण में भी 'स्वीकृत' को 'ऊढ' (विवाहित) अर्थ में प्रयुक्त किया है। यथा :—

ततः कदाचित्सा कन्या स्वीकृता राजसूनुना ।
तापसास्तेपिकन्यार्थं नृपपार्श्वं समागताः॥३०॥
प्रार्थितायां नृपोऽवादीरास्यां सोढा विधानतः ।
कुमारेण ततो यूयं यात स्वस्थानमुत्सुकाः॥३१॥

—१०वां सर्ग ।

लिये उसकी याचना की । इस पर राजाके इस उतरको पाकर कि 'बह कन्या तो राजपुत्रने विवाह ली है' वे लोग चलेगये' ।

इस उल्लेख परसे स्पष्ट है कि श्रीजिनसेनाचार्य ने पहले पद्यमें जिस बातके लिये 'स्वीकृता' पदका प्रयोग किया था उसी बातको अगले पद्यमें 'ऊढा' पदसे ज़ाहिर किया है, जिससे 'स्वीकृता' (स्वीकार कर ली) और 'ऊढा' (विवाह ली) दोनों पद एक ही अर्थक वाचक सिद्ध होते हैं । पं० दौलतगामजी ने 'स्वीकृता' का अर्थ 'अङ्गीकार करी' और 'ऊढा' का अर्थ 'धरी' दिया है । और समालोचकजीके अर्थ (स्पष्ट पं० गजाधरलालजी ने, उक्तपद्योंका अर्थ देते हुए, 'स्वीकृता'की तरह 'ऊढा' का अर्थ भी 'स्वीकार करली' किया है और इस तरह पर यह घोषित किया है कि ऊढा (विवाहिता, और 'स्वीकृता' दोनों एकार्थवाचक पद हैं ।

ऐसी हालतमें यह बात बिलकुल निर्विवाद और निःसन्देह जान पड़ती है कि चारुदत्तने वसन्तसेना वेश्याके साथ विवाह किया था—उसे अपनी स्त्री बनाया था—और उसी बातका उल्लेख उनकी तरफसे उक्त श्लोकमें किया गया है । और इस लिये उक्त श्लोकमें प्रयुक्त हुए "स्वीकृतवान्" पदका स्पष्ट अर्थ "विवाहितवान्" समझना चाहिये ।

खेद है कि, इतना स्पष्ट मामला होते हुए भी, समालोचकजी, लेखकके व्यक्तित्वपर आक्षेप करते हुए, लिखतहे—

"चारुदत्तने वसन्तसेनाको घरमें नहीं डाल लिया था और न उसे स्त्री रूपसे स्वीकृत किया था, जैसा कि बाबू साहबने लिखा है । यह दानां बातें शास्त्रोंमें नहीं हैं न जाने बाबू साहबने कहाँसे लिखदी है बाबू साहबकी यह पुरानी आदत है कि जिस बातसे अपना मतलब निकलता देखते हैं उसी बातको अपनी ओरसे मिलाकर ऋट लोगोंको धोखेमें डाल देते हैं ।"

समालोचकजीके इस लिखनेका क्या मूल्य है, और इसके द्वारा क्षेत्रकपर उन्होंने कितना झूठा तथा नीच आक्षेप किया है, इसे पाठक अब स्वयं समझ सकते हैं। समझमें नहीं आता कि एक वेश्यासे विवाह करने या उसे स्त्री बना लेनेकी पुरानी बातको मान लेनेमें उन्हें क्यों संकोच हुआ और उसपर क्यों इतना पाखंड रचा गया? वेश्याओंसे विवाह करलेनेके तो और भी कितने ही उदाहरण जैनशास्त्रोंमें पाये जाते हैं, जिनमेंसे 'कामपताका' वेश्या का उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है; और *'पुण्यास्रव' कथाकोशमें लिखा है कि 'पंचसुगंधिनी' वेश्याकी 'किन्नरी' और 'मनोहरी' नामकी दो पुत्रियाँ थी, जिनके साथ जयंधरके पुत्र प्रतापंधर अपरनाम 'नागकुमार' ने, पिताकी आज्ञासे, विवाह किया था + । ये नागकुमार जिनपूजन किया करतेथे, उन्होंने अन्तको जिनदीक्षा ली और वे केवलज्ञानी होकर मोक्ष पधारे × । उनकी इस कृतिसे—अर्थात्, साक्षात्

*यह पुण्यास्रव कथाकोश केशवनन्दि मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षुका बनाया हुआ है। इसका भाषानुवाद पं० नाथूरामजी प्रेमानी किया है और वह सन १९०७ में प्रकाशितभी होचुका है।

+ यथा—“एकदा राजस्थानं पंचसुगंधिनीनामवेश्या समागत्य भूष विज्ञापयतिस्म देव ! मे सुते द्वे किन्नरी मनोहरी च वीणावद्यमद्यगर्विते नागकुमारस्यादेशं देहि तयोर्बन्ध परीक्षितुं ।तेचात्यासके पितृबन्धनेन परिणीतवान् प्रतापंधरः सुखमास ।”—इति पुण्यास्रवः ।

× “...प्रतापंधरोमुनिश्चतुःषष्टिवर्षाणि तपश्चकार कैलासे केवली जज्ञे ।”—इति पुण्यास्रवः ।

अर्थात्—प्रतापंधर (नागकुमार) ने मुनि होकर ६४ वर्ष तप किया और फिर कैलासपर्वत पर केवल ज्ञानको प्राप्त किया ।

व्यभिचारजात वेश्या-पुत्रियोंको अपनी स्त्री बना लेनेसे—जैन-धर्मको कोई कलंकानहीं लगा जिसके लगजानेकी समालोचक जीने समालोचनाके अन्तमें आशंका की है, वे बराबर जिनपूजा करते रहे और उससे उनकी जिनदीक्षा तथा आत्मोन्नतिको चरमसीमा तक पहुंचानेके कार्यमें भी कोई बाधा नहीं आसकी। इसलिये एक वेश्याको स्त्री बनालेना आजकलकी दृष्टिसे भलेही लोक-विरुद्धही परन्तु वह जैनधर्मके सर्वथा विरुद्ध नहीं कहल्य सकता और न पहले जमाने में सर्वथा लोकविरुद्ध ही समझा जाता था। आजकल भी बहुधा देशहितैषियोंकी यह धारणा पाई जाती है कि भारतकी सभी वेश्याएँ, वेश्यावृत्तिकां छोड़ कर, यदि अपने अपने प्रधान प्रेमीक घर बैठजायँ—गृहस्थधर्म में दीक्षित होकर गृहस्थन बन जायँ अथवा ऐसा बननेकेलिये उन्हें मजबूर किया जासके—और इसतच्छ भारतसे वेश्यावृत्ति उठजाय तो इससे भारतका नैतिकपतन रुककर उसका बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। वे वेश्यागमन या व्यसनकी अपेक्षा एक वेश्यासे, वेश्यावृत्ति छोड़ाकर, शादी करलेनेमें कम पाप समझते हैं। और, कामपिशाचके वशवर्ती होकर, वेश्याके द्वारपर पड़े रहने, ठोकरें खाने, अपमानित तथा पश्चलित होने और अनेक प्रकारकी शारीरिक तथा मानसिक यंत्रणाएँ सहते हुए अन्तको पतितावस्थामें ही मर जानेको घोरपाप तथा अधर्म मानते हैं। अस्तु।

कुटुम्ब में विवाह ।

चारुदत्तके उदाहरणकी सभी आपत्तियोंका निरसन कर अब मैं दूसरे—वसुदेवजी वाले—उदाहरणकी आपत्तियोंको लेता हूँ। इस उदाहरण में सबसे बड़ी आपत्ति 'देवकीके' विवाह

पर की गई है। देवकी का वसुदेव के साथ विवाह हुआ, इस बात पर, यद्यपि, कोई आपत्ति नहीं है परन्तु 'देवकी रिशते में वसुदेव की भतीजी थी' यह कथन ही आपत्ति का खास विषय बनाया गया है, और इसे लेकर खूब ही कोलाहल मचाया गया तथा ज़मीन आस्मान एक किया गया है। इस आपत्तिपर विचार करने से पहले, यहां प्रकृत आपत्ति विषयक कथनका कुछ थोड़ा सा पूर्व इतिहास दे देना उचित मालूम होता है और वह इस प्रकार है :—

(१) सन् १६० में, लाहौर से पं० दौलतराम जी कृत भाषा हरिवंशपुराण प्रकाशित हुआ और उसकी विषय-सूची में देवकी और वसुदेवके पूर्वोत्तर सम्बन्धोंको निम्न प्रकार से घोषित किया गया .—

“वसुदेवका अपने बाबाके भाई राजा सुवीरकी(पड़)पोती कंसकी बहन देवकीसे विवाह हुआ।”

इस घोषणा के किसी भी अंश पर उस समय आपत्ति की कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं सुन पड़ी।

(२) १७ फरवरी सन् १९१३ के जैन गजट में सरनऊ निवासी पं० रघुनाथदासजी ने, “शास्त्रानुकूल प्रवर्तना चाहिये” इस शीर्षक का एक लेख लिखा था और उस में कुछ रूढ़ियों पर अपने विचार भी प्रगट किये थे। इस पर लेखककी ओर से “शुभ विह्व” नाम का एक लेख लिखा गया और वह २४ मार्च सन् १९१३ के 'जैनमित्र' में प्रकाशित हुआ, इस लेख में पंडित जी के उक्त 'शास्त्रानुकूल प्रवर्तना चाहिये' वाक्य का अभिनंदन करते हुए और समाज में रूढ़ियों तथा रस्म रिवाजों का विवेचन प्रारम्भ होने की आवश्यकता जतलाते हुए, कुछ शास्त्रीय प्रमाण पंडित जी की भेट किये गये थे और उन पर निष्पक्षभाव से विचारने को प्रेरणा भी की गई थी। उन

प्रमाणों में चौथे नम्बर का प्रमाण इस प्रकार था:—

“ उक्त (जिनसेनाचार्यकृत) हरिवंशपुराण में यह भी लिखा है कि वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ । देवकी राजा उपसेन की लड़की और महाराज सुवीर को पड़पोती (प्रपौत्री) थी और वसुदेव जी महाराज सूर के पोते थे । सूर और सुवीर दोनों सगे भाई थे—अर्थात् श्रीनेमिनाथ के चचा वसुदेव जी ने अपने चचाज़ाद भाई की लड़की से विवाह किया । इससे प्रकट है कि उस समय विवाह में गोत्र का विचार वा बचाव नहीं किया जाता था ; नहीं मालूम परिवारों में आजकल आठ आठ वा चार चार साकें (शाखाएँ) किस आधार पर मिलाई जाती हैं । ”

इस लेखके उत्तरमें पंडितजीने दूसरेलेख, वही ‘शुभचिन्ह’ शीर्षक डालकर, १६ जून सन १९१३ के जैनगजट में प्रकाशित कराया, उसमें इस प्रमाणके किसीभी अंशपरकोई आपत्तिनहीं कीगई और न दो श्लोकोंके अर्थपर *आपत्तिकरने के सिवाय, दूसरेही किसी प्रमाणका अप्रमाण ठहराया गया । जैनमित्रके सम्पादक ब्र०शीतलप्रसादजीनेभी उक्त प्रमाण पर कोई आपत्ति नहींकी, हालाँकि उन्होंने लेखपर दो सं० नोट भी लगाये थे ।

(३) इसके छह वर्षबाद, ‘शिक्षाप्रदशास्त्रीय उदाहरण’ नं० २ के नामसे वसुदेवजीके उदाहरणका यह प्रकृत लेख लिखा गया और अप्रैल सन १९१९ के ‘सत्योदय’ में प्रकाशित हुआ । उस वक्त इस लेखपर ‘पद्मावतोपुरवाल’ के सम्पादक पं० गजाधर-लालजी न्यायतीर्थ ने अपना विस्तृत विचार प्रकट किया था और उसमें इस बातको स्वीकार कियाथा कि देवकी उपसेनकी

*अर्थ-विषयक इस आपत्तिका उत्तर ‘अर्थ-सर्थन’ नामके लेखद्वारा दिया गया आं १७ सितम्बर सन १९१३ के जैनमित्र में प्रकाशित हुआ था ।

पुत्री और वसुदेवकी भतीजी थी। उनका वह विचार लेख भावण मासके पद्मावतीपुरवाल अंक न० ५ में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद सितम्बर सन १९२० के 'जैनहितैषी' में यही लेख प्रकाशित हुआ और वहाँ से चार वर्षके बाद अब इस पुस्तकमें उद्धृत किया गया है।

इस तरह पर देवका और वसुदेवके सम्बन्धका यह विषय इस पुस्तकमें कोई नया नहीं है बल्कि वह समाजके चार प्रसिद्ध पत्रों और एक ग्रन्थमें चर्चा जाकर बहुत पहलेसे समाजके विद्वानोंके सामने रखा जा चुका है और उसकी सत्यता पर इससे पहले कोई आपत्ति नहीं की गई अथवा यों कहिये कि समाजके विद्वानोंने उसे आपत्तिके योग्य नहीं समझा। ऐसी हालतमें समालोचकजीका इस विषयका लेकर व्यर्थका कोलाहल मचाना और लेखकके व्यक्तित्व पर भी आक्रमण करना उनके अफाएडताएडब तथा अविचार को सूचित करता है। लेखकने देवकीके विवाहकी घटनाका उल्लेख करते हुए लिखा था

“ देवकी राजा उग्रसेनकी पुत्री, नृपभाजक वृष्टिकी पौत्री और महाराज सुवीरकी प्रपौत्री थी। वसुदेव राजा अन्धकवृष्टिके पुत्र और नृप शूरके पौत्र थे। ये नृप शूर और देवकीक प्रपितामह 'सुवीर' दोनों सगे भाई थे। दोनोंके पिताका नाम 'नरपति' और पितामह (बाबा) का नाम 'यदु' था। ऐसा श्री जिनसेनाचार्यने अपने हरिवंशपुराणमें सूचित किया है और इससे यह प्रकट है कि राजा उग्रसेन और वसुदेवजी दोनों आपसमें चचाताऊज़ाद भाई लगते थे और इनलिये उग्रसेनकी लड़की 'देवकी' रिशतमें वसुदेवकी भतीजी (भ्रातृजा) हुई। इस देवकीसे वसु देवका विवाह हुआ, जिसस स्पष्ट है कि इस विवाहमें

गोत्र तथा गोत्रकी शाखाओंका टालना तो दूर रहा एक वंश और एक कुटुम्बका भी कुछ खयाल नहीं रक्खा गया ।”

इस कथनसे स्पष्ट है कि इसमें देवकी और वसुदेवकी रिश्तेदारी का—उनके पूर्व सम्बन्ध का जो कुछ उल्लेख किया गया है वह सब भीमसेनाचार्यके हरिवंशपुराण के आधार पर किया गया है। और इसलिये एक समालोचककी हैसियतसे समालोचकजीको इसपर यदि कोई आपत्ति करनी थी तो वह या तो जिनसेनाचार्यका लक्ष्यकरके करनी चाहिये थी—उनके कथनको मिथ्या ठहराना अथवा यह बतलाना चाहिये था कि वह अमुक अमुक जैनान्धार्यों तथा विद्वानोंके कथनोंके विरुद्ध है—और या वह इस रूपमें ही होनी चाहिये थी कि लेखकका उक्त कथन जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणके विरुद्ध है, और ऐसी हालतमें जिनसेनाचार्यके उनविराधीवाक्योंको दिखलाना चाहिये था। परन्तु समालोचकजीने यह सब कुछ भी न करके उक्त कथनको “सफेद भूठ” लिखा है और उसे वैसा सिद्ध करनेके लिये जिनसेनाचार्य का एक भी वाक्य उनके हरिवंशपुराणसे उद्धृत नहीं किया यह बड़ी ही विचित्र बात है ! हाँ, अन्य विद्वानोंके बनाये हुए पाँडवपुराण, नेमिपुराण, हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण, और आराधनाकथाकोश नामक कुछ दूसरे ग्रन्थों के वाक्य ज़रूर उद्धृत किये हैं और उन्हींके आधार पर लेखक के कथनको मिथ्या सिद्ध करना चाहा है, यह समालोचनाकी दूसरी विचित्रता है ! और इन दोनों विचित्रताओंमें समालोचकजी की इस आपत्तिका सारा रहस्य आजाता है। सहृदय पाठक इसपर से सहजहीमें इस बातका अनुभव कर सकते हैं कि समालोचकजी, इस आपत्तिको करते हुए, समालोचकके दायरेसे कितने बाहर निकल गये और उसके कर्तव्यसे कितने

नीचे गिर गये हैं। उन्हें इतनी भी समझ नहीं पड़ी कि लोखक अपने कथनको जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणके आधार पर स्थितकर रहा है और इसलिये उसके विपक्षमें दूसरे ग्रन्थोंके वाक्योंको उद्धृत करना व्यर्थ होगा, उनसे वह कथन मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता, उसे मिथ्या ठहरानेके लिये जिनसेनाचार्यके वाक्य ही पर्याप्त होसकतेहैं और यदि वैसे कोई विरोधी वाक्य उपलब्ध नहीं हैं तो या तो हमें कोई आपत्तिही न करनी चाहिये और या जिनसेनाचार्यको ही अपनी आपत्तिका विषय बनाना चाहिये ।

जैन कथा ग्रंथों में सैंकड़ों बातें एक दूसरे के विरुद्ध पाई जाती हैं, और वह आचार्यों आचार्यों का परस्पर मतभेद है। पंडित टोडरमलजी आदि के सिवाय, पं० भागचन्द्रजी ने भी इस भेद भाव को लक्षित किया है और नेमिपुराण की अपनी भाषाटीका के अन्त में उसका कुछ उल्लेख भी किया है * । परन्तु यहां पर हम एक बहुत प्रसिद्ध घटना को लेते हैं, और वह यह है कि सीता को उत्तरपुराण में रावण की पुत्री और पद्मपुराणादिक में राजा जनक की पुत्री बतलाया है। अब यदि कोई पुस्तक लोखक अपनी पुस्तकमें इस बात का उल्लेख

* यथा:—“ यहां इतना और जानना इस पुराण की कथा [और] हरिवंशपुराणकी कथा कोई कोई मिलै नहीं जैसे हरिवंशपुराण-विषैतो भगवानकाजन्म सौरीपुर कहा और इहां द्वारिका का जन्म कहा बहुति हरिवंश में कृष्ण तीसरे नरक गया कहा इहां प्रथम नरक गया कहा और भी नाम प्रामादिक मे फेर है सो इहां झम नहीं करना । यह लुप्तस्थ आचार्यन के ज्ञान में फेर पर्या है । ”—नेमिपुराण भाषा नानौताके एक मंदिर की प्रति ।

करे कि ' श्रीगुरुभद्राचार्य प्रणीत उत्तरपुराण के अनुसार सीता रावण की बेटी थी ' तो क्या उस पुस्तक की समालोचना करते हुए किसी भी समालोचक को ऐसा कहने अथवा इस प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार है कि पुस्तककार का वह लिखना झूठ है, क्योंकि पद्मपुराणादिक दूसरे कितने ही ग्रन्थों में सीता को राजा जनक की पुत्री लिखा है ? कदापि नहीं । उसे उक्त कथन को झूठा बनाने से पहले यह सिद्ध करना चाहिये कि वह उस उत्तरपुराण में नहीं है जिस का पुस्तक में हवाला दिया गया है, अथवा पुस्तककार पर झूठ का आरोप न करके, उस विषय में, सीधा उत्तरपुराणके रचयिता पर ही आक्रमण करना चाहिये । यदि वह ऐसा कुछ भी नहीं करता बल्कि उस पुस्तककार के उक्त कथनको मिथ्या सिद्ध करने के लिये पद्मपुराणादि दूसरे ग्रन्थों के अवतरणों को ही उद्धृत करता है तो विद्वानों की दृष्टि में उस की वह कृति (समालोचना) निरी अनधिकार चर्चा के सिवाय और कुछ भी महत्व नहीं रख सकती और न उसके उन अवतरणों का ही कोई मूल्य हो सकता है । ठीक वही हालत हमारे समालोचकजी और उनके उक्त अवतरणों (उद्धृत वाक्यों) की समझनी चाहिये । उन्हें या तो लेखक के कथन के विरुद्ध जिनसेनाचार्य के हरिद्वंशपुराण से कोई वाक्य उद्धृत करके बतलाना चाहिये था और या वैसे (चचा भनीजा जैसे) सम्बन्ध-विधान के लिये जिनसेनाचार्य पर ही कोई आरोप करना चाहिये था ; यह दोनों बातें न करके जो आपने, लेखक के कथनको असत्य ठहराने के लिये, पारडवपुराणादि दूसरे ग्रन्थों के वाक्य उद्धृत किये हैं वे सब असंगत, गैरमुताल्लिक और आप की अनधिकार चर्चा का ही परिणाम जान पड़ते हैं, सद्बिचार-सम्पन्न विद्वानों की दृष्टि में उन का कुछ भी

मूल्य नहीं है, वे समझ सकते हैं कि ऐसे अप्रस्तुत गैरमुता-
ल्लिक (irrelevant) हजार प्रमाणों से भी लेखकका वह
उल्लेख असत्य नहीं ठहराया जा सकता । और न ये दूसरे
ग्रन्थोंके प्रमाण, जिनके लिये समालोचना के ७ पेज रोके गये
हैं कथंचित् मतभेद अथवा विशेष कथन को प्रदर्शित करने के
लिये, जिनसेनाचार्य के ध्वनों पर हो कोई आपत्ति करने
के लिये समर्थ हो सकते हैं; क्योंकि ये सब ग्रन्थ जिनसेना-
चार्य-प्रणीत हरिवंशपुराण से बाद के बने हुए हैं—जिनसेन का
हरिवंशपुराण शक सं० ७०५ में, उत्तरपुराण शक सं० ८२० में,
काष्ठासंधी भट्टारक यशःकीर्तिका प्राकृत हरिवंशपुराण वि० सं०
१५००में और शुभचन्द्र भट्टारकका पाण्डवपुराण वि० सं० १६०८
में बनकर समाप्त हुआ; बाकी ब्रह्मनेभिदत्तके नेमिपुराण और
आराधनाकथाकोश तथा जिनदास ब्रह्मचारीका हरिवंशपुराण
ये सब ग्रन्थ विक्रम की प्रायः १६वीं शताब्दी के बने हुए हैं—
ऐसी हालत में, इन ग्रन्थों का जिनसेनके स्पष्ट कथन पर कोई
असर नहीं पड़ सकता और न, प्राचीनताकी दृष्टि से, इन्हें
जिनसेन के हरिवंशपुराण से अधिक प्रामाणिक ही माना जा
सकता है । इन में उत्तरपुराण को छोड़कर शेष ग्रन्थ तो बहुत
कुछ आधुनिक हैं, भट्टारकों तथा * भट्टारकशिष्यों के रचे
हुए हैं और उन्हें जिनसेन के हरिवंशपुराण के मुकाबले में
कोई महत्व नहीं दिया जा सकता । रहा उत्तरपुराण, उसके
कथन से यह मालूम नहीं होता कि देवकी और वसुदेव में
चच्चा भतीजी का सम्बन्ध नहीं था,—बल्कि उस सम्बन्ध का
होना ही अधिकतर पाया जाता है, और इस बात को आगे

* ब्रह्मनेभिदत्त भट्टारक मल्लिभूषण के और जिनदास ब्रह्म-
चारी भट्टारक सकलकीर्ति के शिष्य थे ।

खलकर स्पष्ट किया जायगा । साथ ही, उत्तरपुराण और जिन-सेन के हरिवंशपुराण की सम्मिलित रोशनी से दूसरे प्रमाणों पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला जायगा । यहांपर, इसवक्त मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि समालोचकजीने लेखकको सम्बोधन करके उसपर यह कटाक्ष किया है कि वह पं० गजाधरलालजी के भाषा किये हुए हरिवंशपुराणके कुछ अगले पृष्ठोंका यदि पलटकर देखता तो उसे पता लगजाता कि उसके ३३६ वें पृष्ठकी २४ वीं लाइनमें स्पष्ट लिखा है कि—

“रानी नन्दयशा इस दशार्ण नगरमें देवसेनकी धन्या नामक स्त्रीसे यह देवकी उत्पन्न हुई है ।”

बेशक, समालोचकजी ! लेखकको इस भाषा हरिवंशपुराण के पृष्ठोंका पलटकर प्रकृत पृष्ठका देखनेका कोई अवसर नहीं मिला । परन्तु अब आपकी सूचनाको धाकर जो उसे देखा गया तो उसमें बड़ीही विचित्रताका दर्शन हुआ है । वहाँ पं० गजाधरलालजी ने उक्त वाक्यको लिये हुए, एक श्लोकका जो अनुवाद दिया है वह इस प्रकार है :—

“और रानी नन्दयशाने उन्हीं पुत्रोंकी माता होनेका तथा रेवती धारणने उनकी धार्य होनेका निदान बाँधा । स्ने ठीकही है—पुत्रोंका स्नेह छोड़ना बड़ा ही कठिन है । इसके बाद वे सब लोग समीचीन तपके प्रभावसे महाशुक्र स्वर्गमें सोलहासायन आयुके भोक्ता देव हुये । वहाँसे आयुके अन्तमें चयकर शंखका जीव रोहिणीसे उत्पन्न बलभद्र हुआ है । रानी नन्दयशा भ्रष्ट इस दशार्ण नगरमें देवसेनकी धन्या नामक स्त्रीसे यह देवकी उत्पन्न हुई है और धार्य भद्रिलसा नगरमें सुदधी नामक सेठकी अलका नामकी स्त्री हुई है ॥१६॥”

यह जिनसेनके जिस मूल श्लोक नं० १६७ का अनुवाद किया गया है वह हरिवंशपुराणके ३३वें सर्गमें निम्नप्रकारसे पाया जाता है:—

“धात्री मानुष्यकं प्राप्ता पुरे भद्रिलसाह्वये ।
सुदृष्टिभ्रेष्ठिनो भार्या वर्तते ह्यलकाभिधा ॥”

कोईभी संस्कृतका विद्वान इस श्लोकका वह अनुवाद नहीं कर सकता जोकि पं० गजाधरलालजीने किया है और न इसका वह कोई भावार्थ ही होसकता है। इस श्लोक का सीधा सादा आशय सिर्फ इननाही होता है कि 'वह धाय (रेवती) मनुष्य जन्मको प्राप्त हुई इस समय भद्रिलसा नामक नगरमें सेठ सुदृष्टिकी अलका नामकी स्त्री है।' और यह आशय उक्त अनुवादके अन्तिम वाक्यमें आजाता है, इसलिये अनुवादका शेषांश, जिसमें समालोचकजीका बड़े दर्पके साथ प्रदर्शित किया हुआ वह वाक्यभी शामिल है, मूल ग्रन्थसे बाहरकी चीज जान पड़ता है। मूलग्रन्थमें, इस श्लोकसे पहले या पीछे, दूसरा कोईभी श्लोक ऐसा नहीं पाया जाता जिसका आशय 'रानी नन्दयशा' से प्रारंभ होनेवाला उक्तवाक्य होसके *। इस श्लोकसे पहले "कुर्वन्निर्नामकस्तीव्र" नामका पद्य और बादको 'गंगाद्या देवकी गर्भे' नामका पद्य पाया जाता है, जिन दोनोंका अनुवाद, इसी क्रमसे—उक्त अनुवादसे पहले पीछे—प्रायः ठीक किया गया है। परंतु उक्त पद्यके अनुवादमें बहुतसी बातें ऊपरसे मिलाई गई हैं, यह स्पष्ट है; और इस प्रकारकी मिलावट औरभी सैंकड़ों पद्योंके अनुवादमें पाई जाती है। जो न्यायतीर्था गजाधरलालजी

* देखो देहलीके नयेमंदिर और पंचायती मंदिरके हरिवंशपुराणकी दोनों प्रतियोंके क्रमशः पत्र नं० २०७ और १५१ ।

पं० दौलतरामजीकी भाषाटीका पर †आलोप करते हैं वे स्वयंभी ऐसा गलत अथवा भिलावटको लिये हुए अनुवाद प्रस्तुत कर सकते हैं यह बड़े ही खेदका विषय है ! पं० दौलतरामजीने तो अपनी भाषा वचनिकामें इतनाही लिखा है कि “राणी नन्दियसाका जीव यह देवकी भई” और वह भी उक्त पद्यकी टीकामें नहीं बल्कि अगले पद्यकी टीकामें वहाँ उल्लेखित ‘देवकी’ का पूर्वसम्बन्ध व्यक्त करनेके लिये लिखाई × परन्तु गजाधरलालजी ने इसपर अपना ओरसे देवकीके माता पिता और उत्पत्ति स्थानके न मोंकी मगजी भी चढादी है, और उसमें दशार्ण नगरसे पहले उनका ‘इस’ शब्दका प्रयोग और भी ज्यादा खटकता है; क्योंकि देवकी और वसुदेवजीसे यह सब कथा कहते हुए अतिमुक्त मुनि उस समय दशार्णनगरमें उपस्थित नहीं थे बल्कि मथुराके पासके सहकार घनमें उपस्थित थे इसलिये उनकी ओरसे ‘इस’ आशयके शब्दका प्रयोग नहीं बन सकता। परन्तु यहाँपर अनुवादकी भूलें प्रकट करना कोई इष्ट नहीं है; मैं इस कथन परसे सिर्फ इतनाही बतलाना चाहता हूँ कि जिस बातको समालोचकजाने बड़े दर्पके साथ लेखकको दिखलाना चाहा था उसमें कुछभी सार नहीं है। वह जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणसे बाहरकी चीज है और इसलिये उसके आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जासकती। समालोचकजीके सामने

†देखां गजाधरलालजीके भाषा हरिवंशपुराणकी प्रस्तावना का पृष्ठ नं० २।

× यथा:—‘तहाँ ते चयकरि रेवती धाय न्ना जीव भद्रलपुर विषै सुदृष्टे नामा सेठकै अलका नामा स्त्री है ॥ ६७ ॥ अर राणी नन्दियसाका जीव यह देवकी भई ताकै वे गंगदेव आदि पूर्वले पुत्र स्वर्गते चयकरि याजन्मविषै भी पुत्र होइंगे ॥’ १६८ ॥

जिनसेनका हरिवंशपुराण मौजूद था—उन्होंने उसके कितने ही वाक्य समालोचनामें दूसरे अवसरोंपर उद्धृत किये हैं—वे स्वयं इस बातको जानते थे कि पं० गजाधरलालजीने जो बात अनुवादमें कही है वह मूलमें नहीं है—यदि मूलमें होती तो वे सबसे पहले कूदकर उस मूलको उद्धृत करते और तब कहीं पीछे से अनुवादका नाम लेते—फिरभी उन्होंने गजाधरलालजी के मिथ्या अनुवादको प्रमाणमें पेश किया, यह बड़ेही दुःसाहसकी बात है। उन्हें इस बातका जगभी खयाल नहीं हुआ कि जिस धोखादेहोका मैं दूनरों पर झूठा इलजाम लगा रहा हूँ उसका अपनी इस कृतिस स्वयंही सचमुच अपराधी बना जा रहा हूँ और इसलिये मुझे अपने पाठकोंके सामने 'उसी * हरिवंशपुराण' या 'जिनसेन'के नामपर ऐसी मिथ्या बातको रखते हुए शर्म आनी चाहिये। परन्तु जान पड़ता है समालोचकजी सत्य अथवा असलियत पर पर्दा डालनेकी धुनमें इतने मस्त थेकि उन्होंने शर्म और सद्बिचारको उठाकर एकदम बालाए ताक रखदिया था, और इसीसे वे ऐसा दुःसाहस करसके हैं।

हम समालोचकजीसे पूछने हैं कि, आपने तो पं० गजाधरलालजीके भाषा किये हुये हरिवंशपुराणके सभी पत्रोंको खूब उलट पलट कर देखा है तब आपको उनके ३६५वें पृष्ठ पर ये पंक्तियाँ भी जरूर देखनेको मिली होंगी जिनमें नवजान बालक कृष्णको मथुरासे बाहर लेजाने समय वसुदेवजी और कंसके वंदी पिता राजा उग्रसेनमें हुई वार्तालापका उल्लेख है:—

“पूज्य ! इस रहस्यका किसीको भी पता न लगे इस देवकीके पत्रसे नियमसे आप बंधनसे मुक्त होंगे उत्तर में उग्रसेनने कहा—अहा! यह मेरे भाई देवसेनकीपुत्री

* † देखो समालोचनाका पृष्ठ ३ रा और ६ठा।

देवकीका पुत्र है मैं इसकी बात किसीको नहीं कह सकता मेरी अतरंग कामना है कि यह दिनोंदिन बढ़े और वीरोंको इसका पता तक भी न लगे ।”

इस उल्लेखद्वारा यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि ‘देवकी’ उन देवसेनकी पुत्री थी जो कंसके पिता उग्रसेनके भाई थे और इसलिये उग्रसेनकी पुत्री होनेसे देवकी और वसुदेवमें जो अच्चा भतीजीका सम्बंध घटित होता है वही देवसेनकी पुत्री होनेसे भी घटित होता है—उसमें रंजमात्रभी अन्तर नहीं पड़ता—क्योंकि उग्रसेन और देवसेन दोनों सगे भाई थे । फिर देवकीके ‘भतीजी’ होनेसे क्यों इनकार किया गया ? और क्यों इस उल्लेखका छिपाया गया ? क्या इसीलिये कि इससे हमारे सारं विरोध पर पानी फिर जायगा ? क्या यह स्पष्टरूपसे मायाचारी, चालाकी और अपने पाठकोंको धोका देना नहीं है ? और क्या अपनी ऐसी ही सन्कृतियों (!) के भरोसे आप दूसरों पर मायाचारी, चालाकी तथा धोकादेही का इलजाम लगाने के लिये मुँह ऊँचा किये हुए हैं ? आपको ऐसी नीचकृतियोंके लिये घोर लज्जा तथा शर्म होनी चाहियेथी !!

देवसेन राजा उग्रसेनके सगेभाई और वसुदेवके अच्चाजादु भाई थे, यह बात श्रीजिनसेनाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोदयाचले ।

यादवप्रभवो व्यापी भूमौ भूपतिभास्करः ॥ ६ ॥

सुतो नरपतिः तस्माद्ब्रूद्ब्रूवभूपतिः ।

यदुस्तस्मिन्भुवं न्यस्य तपसा त्रिदिवं गतः ॥ ७ ॥

सूरश्चापि सुवीरश्च शूरो वीरो नरेश्वरो ।

स तो नरपतिः राज्ये स्थापयित्वा तपोभजत् ॥ ८ ॥

सूरः सुवीरमास्थाप्य मथुरायौ स्वयं कृती ।
 स चकार कुशघेषु पुरं सौर्ग्यपुरं परम् ॥ ९ ॥
 शूराश्चान्यकवृष्टयाद्याः सूरदुद्भवन्सुताः ।
 बीरो भोजकवृथ्याद्याः सुवीरान्मथुरेश्वरात् ॥ १० ॥
 ज्येष्ठपुत्रे विनिक्षिप्तक्षितिभारो यथायथम् ।
 सिद्धौ सूरसुवीरौ तौ सुप्रतिष्ठेन दीक्षितौ ॥ ११ ॥
 आसीदन्धकवृष्टेश्च सुभद्रा वनिनोत्तमा ।
 पुत्रास्तस्या दशोत्पन्ना स्त्रिदशाभा दिवश्च्युताः ॥ १२ ॥
 समुद्रविजयोऽक्षोभ्यस्तथा स्तिमितसागरः ।
 हिमवान्विजयश्चान्योऽचलो धारणपूरणौ ॥ १३ ॥
 अभिचंद्र इहाख्यातो वसुदेवश्च ते दश ।
 दशार्हाः सुमहाभागाः सर्वेऽप्यन्वर्थनामकाः ॥ १४ ॥
 कुन्तीमद्री च कन्ये द्वे मान्ये स्त्रीगुणभूषणे ।
 लक्ष्मीसरस्व तीतुल्ये भगिन्यो वृष्टिजन्मिनाम् ॥ १५ ॥
 राज्ञो भोजकवृष्टेर्या पत्नी पद्मावती सुतान् ।
 उग्रसेन-महासेन-देवसेनानसत् सा ॥ १६ ॥

—हरिवंशपुराण, १८वां सर्ग* ।

इन वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि 'हरिवंशमें
 राजा 'यदु' का उदय हुआ, उसीसे यादववंशकी उत्पत्ति हुई
 और वह अपने पुत्र 'नरपति' का पृथ्वी का भार सौंप कर,
 तपश्चर्च करता हुआ, स्वर्ग लोक का प्राप्त हुआ; नरपतिके

*देखो 'नया मंदिर' देहली की प्रति ।

‘सूर’ और ‘सुवीर’ नामके दो पुत्र हुए, जिन्हें राज्य पर स्थापित करके उसने तप लेलिया; इसके बाद सूरने अपने भाई सुवीर को मथुरा में स्थापित करके स्वयं सौर्यपुर नगर बसाया; सूर से ‘अन्धकवृष्टि’ आदि शूर पुत्र उत्पन्न हुए और मथुराके स्वामी सुवीर से ‘भोजकवृष्टि’ आदि वीर पुत्रों की उत्पत्ति हुई; सूर और सुवीर दोनोंने अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र (अंधकवृष्टि, भोजकवृष्टि) को राज्य देकर सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा ली और सिद्धपदको प्राप्त किया; अन्धकवृष्टिकी सुभद्रा स्त्रीसे समुद्र विजय, अज्ञोभ्य, स्तिमितसागर, हिमवान, विजय, अचल, धारण, पूरण, अभिचन्द्र, और वसुदेव नामके दस महाभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए, साथही कुन्तीऔर मद्री नामकी दो कन्याएँ भी हुई; और राजा भोजकवृष्टिकी पद्मावती स्त्री से उग्रसेन, महासेन और देवसेन नामके तीन पुत्र × उत्पन्न हुए ।’

यही वह सब वंशावली है जिसका सार लेखकने वसुदेवजी

× समालोचकजीने, तीन पुत्रोंके अतिरिक्त एक पुत्रीके भी नामोल्लेखका पृष्ठ ३ पर उल्लेख किया है। परन्तु देहलीके नये मंदिरकी प्रतिमें, यहाँपर, पुत्रीका कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। हाँ, उत्तरपुराण में ‘गांधारी’ नामकी पुत्रीका उल्लेख जरूर मिलता है। परन्तु वहाँ वसुदेवके पिता और उग्रसेनके पिता दोनोंको सगे भाई बतलाया है। और दोनोंके पिताका नाम शूरवीर तथा पितामहका सूरसेन दिया है। यथा :—

अवार्यं निजशौर्येण निर्जिताशेषविद्विषः ।

ख्यातशौर्यपुराधीशसूरसेनमहीपतेः ॥ ६३ ॥

सुतस्य शूरवीरस्य धरिण्याश्च तनूद्भवौ ।

बिषयाताऽन्धकवृष्टिश्च पनिवृष्टिनरादिवाक् ॥ ६४ ॥

—७०वाँ पर्व ।

के उदाहरणको प्रारंभ करते हुए दिया था । उसमें 'उग्रसेन'की जगह 'देवसेन' बना देनेसे वह उक्त उल्लेख पर भी ज्योंकी त्यों अटित हो सकता है । इस वंशावलीमें आभे समुद्र विजयबादि तथा उग्रसेनादिकी संततिका कोई उल्लेख नहीं है । उसका उल्लेख ग्रन्थमें खड्गरूपसे पाया जाता है और उन खंड कथनों परसे ही देवकी नृप भोजकवृष्टिकी पौत्री तथा राजा सुधीरकी प्रपौत्री और इसलिये वसुदेवकी 'भतीजी' निश्चिन होती है ।

यहाँ, उन खण्डकथनोंका उल्लेख करनेसे पहले, मैं अपने पाठकोंको इतना और बतला देना चाहता हूँ कि, यद्यपि, भाषा हरिद्वयशुक्लके पृष्ठ ३३६ और ३६५ वास्ते उक्त दोनों उल्लेखों परसे यह पाया जाता है कि पं० गजाधरलालजीने देवकीको राजा उग्रसेनके भाई देवसेन (राजा) की पुत्री बतलाया है और देवसेनकी स्त्रीका नाम 'धन्या' (धनदेवी) तथा उनके वास-स्थानका नाम 'दृशार्णपुर' प्रकट किया है परन्तु उनका यह कथन सन १९१६ का है, जिस सालमें कि उनका भाषा हरि-वंशपुराण प्रकाशित हुआ था । इससे करीब तीन वर्ष बाद— सन १९१९ में—, 'पद्यावती पुरवाल'के द्वितीय वर्षके ५वें अंकमें 'शिक्षाप्रश्न शालीय उदाहरण' नामके प्रकृत-लेखपर अपना विचार प्रकट करते हुए, उन्होंने स्वयं देवकीको राजा उग्रसेन की पुत्री और वसुदेवकी भतीजी स्वीकार किया है । आपके उस विचार लेखका एक अंश इस प्रकार है —

“जिस समय राजा वसुदेव आदि सरीखे व्यक्तियोंका अस्तित्व पृथ्वीपर था, उस समय अयोग्य व्यभिचार नहीं था जिस स्त्रीका ये लोग स्वीकार करलेते थे उसके सिवाय अन्य स्त्रीको माँ बहिन पुत्रीके समान मानते थे इसलिये उस समयमें देवकी और वसुदेव सरीखे विवाह भी स्वीकार कर लिये जातेथे । अर्थात्

यद्यपि कुटुम्ब नाते राजा उपसेन वसुदेवके भाई लगते थे परन्तु किसी अन्य कुटुम्बसे आई हुई स्त्रीसे उपसेन उपसेनकी पुत्रीका भी वसुदेवने पाणिग्रहण करलिया था । लेकिन उसके बाद फिर ऐसा जमाना आता गया कि लोगोंके हृदयोंसे धार्मिकवासना विद्वा ही हो गई, लोग खास पुत्री और बहिन आदिको भी स्त्री बनानेमें संकोच न करने लगे तो गोत्र आदि नियमोंकी आवश्यकता समझी गई लोगोंने अपनेमें गोत्रआदिकी स्थापना कर चचा ताऊजात बहिन भाईके शादीसम्बन्धको बन्द किया । वही प्रथा आजतक बराबर जारी है ।”

इस अवतरण से इतनाही मालूम नहीं होता कि पण्डित गजाधरलालजीने देवकी का राजा उपसेनकी पुत्री तथा वसुदेवका उपसेनका कुटुम्बनाते भाई स्वीकार किया है और दोनोंके विवाहको उस समयकी दृष्टिसे उचित प्रतिपादन किया है बल्कि यह भी स्पष्ट जान पड़ता है कि उन्होंने उस समय चचा ताऊजात बहिन भाईके शादी सम्बन्धका रिवाज माना है और यह स्वीकार किया है कि उससमय विवाहमें गोत्रादिके नियमोंकी कोई कल्पना नहीं थी, जकरत पड़ने पर बादको उनकी सृष्टि की गई और तभीसे उस प्रकारके कुटुम्बमें होनेवाले-शादी सम्बन्ध बन्द किये गये ।

इस अवतरणके बाद पण्डितजीने, आजकल वैसे विवाहोंकी योग्यता का निषेध करने हुए, यह विधान किया है कि यदि धर्मके वास्तविक स्वरूपको समझकर लोगोंमें धर्मकी स्थापना—(पहले जैसी) प्रकृति हाजाय तो आजकल भी ऐसे विवाहोंसे हमारी कोई हानि नहीं हो सकती । यथा.—

“इसलिये यह बात खिन्न है वसुदेव और देवकी जैसे विवाहोंकी इस समय योग्यता नहीं ।” .. लेकिन हाँ यदि हम

इस बातकी ओर लीन होजाय कि जो कुछ हमारा हितकारी है वह धर्म है । हम वास्तविक धर्मका स्वरूप समझनिकलें हित-हितका विवेक होजाय हमारे धार्मिक कार्य किसी प्रेरणासे न होकर स्वभावतः हो निकलें विषयलालसाको हम अपने सुखका केन्द्र न समझें उस समय देवकी और वसुदेव कैसे विवाहोंसे हमारी कोई हानि नहीं हो सकती ।”

इस सब कथन पर से कोई भी पाठक क्या यह नतीजा निकाल सकता है कि प० गजाधरलालजी ने देवकी और वसुदेव के पूर्वसम्बन्धके विषयमें लेखकसे कोई भिन्न बात कही है अथवा कुटुम्ब के नाते देवकी को वसुदेव की भतीजी माननेसे इन्कार किया है ? कभी नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपने लेखके अन्त में इनके विवाह की बात लिखा है कि वह “अयुक्त न था उस समय यह रीति रिवाज जारी थी ।” और उस की पुष्टि में अप्रवालोंका दृष्टांत दिया है । फिर नहीं मालूम समालोचकजी ने किस बिरते पर उनका वह ‘रानी-मन्द्यशा’ वाला वाक्य बड़े दर्प के साथ प्रमाण में पेश किया था ? क्या एक वाक्यके छलसे ही आप अपने पाठकों को ठगना चाहते थे ? भाले भाई भले ही आप के इस जाल में फँस जाय परन्तु विशेषज्ञों के सामने आपका ऐसा कोई जाल नहीं चल सकता । समझदारों ने जिस समय यह देखा था कि आपने श्रीर जगह तो जिनसेनाचार्यरुत हरिवंशपुराण के वाक्योंको उद्धृत किया है परन्तु इस मौके पर, जहाँ जिनसेन के वाक्य को उद्धृत करनेकी खास ज़रूरत थी, वैसा न करके अनुवाद के एक वाक्य से काम लिया है, वे उसी वक्त ताड़ गये थे कि ज़रूर इसमें कोई चाल है—अवश्य यहाँ बाल में कुछ काला है—और वस्तुस्थिति ऐसी नहीं जान पड़ती । खद है कि जो समालोचकजी, अपनी समालोचना में, परिद्धत

गजाधरलालजी के वाक्यों को बड़ी भ्रष्टादृष्टिसे पेश करते हुए नज़र डालते हैं उन्होंने उक्त पण्डित जी की एक भी बात मानकर न दी—न तो देवकी को राजा उग्रसेनकी लड़की माना और न उग्रसेन के भाई देवसेन की पुत्री ही स्वीकार किया ! प्रत्युत इस के, जिनसेनाचार्य के कथन को छिपाने और उस पर पर्दा डालनेका भरसक यत्न किया है ! इस हठ धर्मी और बेदयाईका भी क्या कहीं कुछ ठिकाना है? जान पड़ताहै विधर्मी जनोंकी कुछ कहासुनीके खयालने समालोचकजीको बुरी तरह से तग किया है और इसी से समालोचनाके पृष्ठ ४ पर वे लेखक पर यह आरोप करते हैं कि उसने—“ यह नही विचार किया कि इस असत्य लेखके लिखने से विधर्मीजन पवित्र जैनधर्मको कितने घृणा पूर्ण दृष्टिसे अवलोकन करेंगे ।”

महाशयजी ! आप अज्ञानों की—अपने विधर्मी जनों की—चिन्ता नकीजिये, वे सब आप जैसे नासमझ नहीं हैं जो किसी रीति-रिवाज अथवा घटना-विशेष को लेकर पवित्र धर्म से भी घृणा कर बैठें, उनमें बड़े बड़े समझदार तथा न्याय-निपुण लोग मौजूद हैं और प्राचीन इतिहास की खोज का प्रायः सारा काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है । उनमें भी यह सब हवा निकली हुई है और वे खूब समझते हैं कि पहले जमाने में विवाहविषयक क्या कुछ नियम उपनियम थे और उनकी शकल बदल कर अब क्यासे क्या होगई है । और यदि यह मान लिया जाय कि उन में भी आप जैसी समझके कुछ लोग मौजूद हैं तो क्या उनके लिये—उनकी निःसार कहा सुनी के भय से—सत्यको छोड़ दिया जाय ? सत्य पर पर्दा डाल दिया जाय ? अथवा उसे असत्य कह डालने की घृष्टता की जाय ? यह कहाँका न्याय है ? क्या यही आपका धर्म है ? ऐसी ही सत्यवादिताके आप प्रेमी हैं ? और उसीका आपने अपनी

समालोचनामें ढोल पीटा है ? महाराज ! सत्य इस प्रकार छिपाये से नहीं छिप सकता, उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है, आप जैन धर्म की चिन्ता छोड़िये और अपने हृदय का सुधार कीजिये । जैन धर्म किसी रीति-रिवाज के आश्रित नहीं है— वह अपने अटलसिद्धान्तों और अनेकान्तात्मक स्वरूपको लिये हुए वस्तुतत्त्व पर स्थित है—उसे कृपया अपने रीति-रिवाजोंकी दलदलमें मत घसीटिये, उसपर से अपनी कुत्सित प्रवृत्तियों और संकीर्ण विचारोंका आवरण हटाकर लोगों को उसके नग्नस्वरूपका दर्शन होने दीजिये, फिर किसीकी ताब नहीं कि कोई उसे घृणाकी दृष्टिसे अवलोकन कर सके ।

और इस देवकी-वसुदेवके सम्बंध पर ही आप इतने क्यों उद्विग्न होते हैं? वह बच्चा भतीजीका सम्बंध तो कई पीढ़ियोंको लिये हुए है—देवकी वसुदेवकी सगी भतीजी नहीं थी, सगी भतीजी तब होती जब समुद्रविजयादि वसुदेवके ६ सगे भाइयों में से वह किसीकी लडकी होती—; परन्तु आप इससे भी करीबी सम्बंधको लीजिये, और वह राजा अग्रसेनके पोते पौतियोंका सम्बंध है । कहा जाता है कि अग्रवाल वंशकी, जिन राजा अग्रसेनसे उत्पत्ति हुई है उनके १८ पुत्र थे । इन पुत्रों का विवाह तो राजा अग्रसेन ने दूसरे राजाओंकी राजकन्याओं से कर दिया था परन्तु राजा अग्रसेनकी युद्धमें मृत्यु होनेके साथ उनका राज्य नष्ट होजानेके कारण जब इन राज्यभ्रष्ट १८ भाइयोंका अपनी अपनी संततिके लिये योग्य विवाहसंबंध का संकट उपस्थित हुआ तो इन्होंने अपने पिताके पूज्य गुरु पतंजलि और मंत्रीपुत्रोंके परामर्शसे अपनेमें १८ (एक प्रकारसे १७॥) गोत्रोंकी कल्पना करके आपसमें विवाहसंबंध करना स्थिर किया—अर्थात्, वह ठहराव किया कि अपना गोत्र बचा कर दूसरे भाईकी संततिसे विवाह करलिया जाय—और तदनु-

सार एक भाईके पुत्र-पुत्रियोंका दूसरेभाईके पुत्रपुत्रियोंके साथ विवाह होगया अथवा यों कहिये कि सगे सच्चा-ताऊजादू भाई बहनोंका आपसमें विवाह होगया । इसके बाद भी कुटुम्ब तथा वशमें विवाहका सिलसिला जारी रहा—किनने ही भाई-बहनों तथा सच्चा भताजियोंका आपसमें विवाह हुआ—और उन्हीं विवाहोंका परिणाम यह आजकलका विशाल अग्रवाल वश है, जिसमें जैन और अजैन दोनों प्रकारकी जनता शामिल है । और इससे अजैनोंके लिये जैनोंके किसी पुराने कौटुम्बिक विवाह पर आपत्ति करने या उसके कारण जैन धर्मसे ही घृणा करने की कोई वजह नहीं हो सकती । आज भी अग्रवाल लोग, उसी गोत्र पद्धतिको टालकर, अपने उसी एक वशमें—अग्रवालोंके ही साथ-विवाह सम्बन्ध करते हैं; यह प्राचीन रीति-रिवाज तथा घटनाविशेषको प्रदर्शित करनेवाला कितना स्पष्ट उदाहरण है । बाबू बिहारीलालजी अग्रवाल जैन बुलन्वशहरी ने अपने *अग्रवाल इतिहास में भी अग्रवालोंकी उत्पत्तिका यह सब इतिहास दिया है । इतने पर भी समासाबकजी प्राचीन कालके ऐसे विवाह सम्बन्धों पर, जिनके कारण बहुतसी धोष्ट जनता का इस समय अग्रवाल वशमें अस्तित्व है, घृणा प्रकाशित करते हैं और उनपर पर्दा डालना चाहते हैं, यह कितने बड़े आश्चर्यकी बात है !!

पाठकजन, यह बात मानी हुई है और इसमें किसीको आपत्ति नहीं कि 'कस' उन यदुवशी राजा उगसेनका पुत्र था जिनका उल्लेख ऊपर उद्धृतकी हुई वशावलीमें भोजक वृष्टि के पुत्ररूपसे पाया जाता है । यह कस गर्भमें आतेही माता

*यह इतिहास ला० हीरालाल पञ्जालाल जैन, दूरीबा कल्लाँ, देहली के पतेसे तीन आने मूल्यमें मिलता है ।

पिताको अतिकष्टका कारण हुआ और अपनी आकृतिसे अत्युग्न जान पड़ताथा, इसलिये पैदा होतेही एक मंजूषामें बन्द करके इसे यमुनामें बहा दियागया था। दैवयोगसे, कौशाम्बी में यह एक कलाली (मद्यकारिणी) के घर पला, शस्त्रविद्यामें वसुदेवका शिष्य बना और वसुदेवकी सहायतासे इसने महाराज जरासंधके एक शत्रुको बाँधकर उनके सामने उपस्थित किया। इसपर जरासंधने अपनी कालिन्द्सेना रानीसे उत्पन्न 'जीवद्यशा' पुत्रीका विवाह कंससे करना चाहा। उसवक्त कंस का वंश-परिचय पानेके लिये जब वह मद्यकारिणी बुलाई गई और वह मंजूषा सहित आई तो उस मंजूषाके लेखपरसे जरासंधको यह मालूम हुआ कि कंस मेरा भानजा है—मेरी बहन पद्मावतीसे उगूसेन द्वारा उत्पन्न हुआ है—और इसलिये उसने बड़ी खुशी के साथ अपनी पुत्रीका विवाह उसके साथ कर दिया। इस विवाहके अवसर पर कंसको अपने पिता उग्रसेनकी इस निर्दयताका हाल मलूम करके—कि उसने पैदा होते ही उसे नदीमें बहा दिया—बड़ा क्रोध आया और इसलिये उसने जरासंधसे मथुराका राज्य माँगकर सेना आदि साथ ले मथुराको जा घेरा। और वहाँ पिताको युद्धमें जीतकर बाँध लिया तथा अपना बन्दी बनाकर उसे मथुराके द्वारपर रक्खा। इस पिछली बातको जिनसेनाचार्यने नीचे लिखे तीन पद्योंमें जाहिर किया है :—

‘सद्योजातं पिता नद्यां मुक्तवानिति च क्रुधा ।
 वरीत्वा मथुरां लब्ध्वा सर्वसाधनसंगतः ॥ २५ ॥
 कंसः कालिन्दसेनायाः सुतया सह निर्वृणः ।
 गत्वा युद्धे विनिर्जित्य बबन्ध पितरं हतं ॥ २६ ॥

महोष्ठी भग्नसंचारं उग्रसेनं निगृह्य सः ।

अतिष्ठिपत्कनिष्ठः सः स्वपुरद्वारगोचरे ॥ २७ ॥

—हरिवंशपुराण, २३वाँ सर्ग ।

इसके बाद कंस ने सोचा कि यह सब (जीवद्यशा से विवाह का हांता और मथुरा का राज्य पाना) वसुदेवका उपकार है, मुझे भी उन के साथ कुछ प्रत्युपकार करना चाहिये और इसलिये उसने प्रार्थना-पूर्वक अपने गुरु वसुदेव का बड़ी भक्ति के साथ मथुरा में लाकर उन्हें गुरुदक्षिणा के तौर पर अपनी बहन ' देवकी' प्रदान की -अर्थात्, अपनी बहन देवकी का उनके साथ विवाह कर दिया ।

विवाह के पश्चात् वसुदेवजी कंस के अनुरोध से देवकी सहित मथुरा में रहने लगे । एक दिन कंस के बड़े भाई ' अतिमुक्तक' मुनि आहार के लिये कंस के घर पर आए । उस समय कंस की रानी जीवद्यशा उन्हें प्रणाम कर बड़े विभ्रम के साथ उनके सामने खड़ी हो गई और उसने देवकी

* ये 'अतिमुक्तक' मुनि राजा उग्रसेनके बड़े पुत्र थे और पिता के साथ किये हुए कंस के व्यवहार को देखकर संसार से विरक्त हो गये थे, ऐसा जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवंशपुराण से मालूम होता है, जिसका एक पद्य इस प्रकार है:—

उग्रसेनात्मजो ज्येष्ठोऽतिमुक्तक इतीरितः ।

भवस्थितिमिमां वीक्ष्य द्भ्याविति निजे हृदि ॥१२-६१॥

परन्तु ब्रह्मनेमिदत्त अपने कथाकोशमें इन्हें कंसका भी छोटा भाई लिखते हैं । यथा—

“ तदा कंसलघुभ्राता दृष्ट्वा संसारचेष्टितं ।

अतिमुक्तकनामासौ संजातो मुनिसत्तमः ॥

का रजस्वल वस्त्र मुनि के समीप डालकर हँसी विद्वलगी उड़ती हुए उनसे कहा ' देखो ! यह तुम्हारी बहन देवकी का आनन्द वस्त्र है ' ।

इस पर ससारकी स्थितिके जानने वाले मुनिराजने अपनी वचन गुप्तिको भेदकर खेद प्रकट करते हुए, कहा 'अरी क्रोडन-शील ! तू शोकके स्थानमें क्या आनंद मना रही है, इस देवकी के गर्भसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होनेवाला है जो तेरे पति और पिता दोनोंके लिये काल हागा, इसे भवितव्यता समझना ।' मुनिके इस कथनमें जीवदशको बड़ा भय मालूम हुआ और उसने अधुभरे लोचनोंसे जाकर वह सब हाल अपने पतिसे निवेदन किया । कसभी मुनिभाषण को सुनकर डर गया और उसने शीघ्रही बसुदेवके पास जाकर वह वर माँगा कि 'प्रसूति के समय देवकी मेरे घरपर रहे' । बसुदेवको इस सब वृत्तान्त की कोई खबर नहीं थी और इसलिये उन्होंने कसकी घरया-चनाके गुप्त रहस्यको न सनभ कर वह वर उसे दे दिया । सो ठीक है 'सहोदरके घर बहनके किसी नाशकी कोई आशका भी नहीं की जाती'—कस देवकीका सोदर (सगाभाई) था, उसके घरपर देवकीके किसी अहितकी आशकाके लिये बसुदेवके पास कोई कारण नहीं था, जिससे वे किसी प्रकार उसकी प्रार्थनाका अस्वीकार करनेके लिये बाध्य हासकते, और इसलिये उन्होंने खुशीसे कसकी प्रार्थनाको स्वीकार करके उसे वचन देदियां ।

यह सब कथन जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणसे लिया गया है । इस प्रकरणके कुछ प्रयोजनीय पद्य प० दौलतरामजी की भाषा टीका सहित इस प्रकार है : -

“बसुदेवोपकारेण हतः प्रत्युपकारधीः ।

न वेत्ति किं करोमीति किंकरत्वमुपागतः ॥ २८ ॥

अभ्यर्ध्य गुरुमानीय मथुरां पृथुभक्तितः ।

स्वसारं प्रददौ तस्मै देवकीं गुरुदक्षिणाम् ॥ २६ ॥

टीका—“कस मथुराका राज पाय अर विचारी यह सब उपगार वसुदेवका है । सो मैं हू याकी कुछ सेवा करूँ ॥२८॥ तब प्रार्थना करि वसुदेव कू महाभक्ति (स्) मथुराविषै लाया अर अपनी बहन देवकी वसुदेवकू परनाई ॥ २६ ॥”

“जातु चिन्मुनिवैलास्यामतिमुक्तकमागतम् ।

कंसज्येष्ठं मुनि नत्वा पुरःस्थित्वा सविभ्रमम् ॥३२॥

हसंती नर्मभावेन जगौ जीवद्यशा इति ।

आनन्दवस्त्रमेतत्ते देवक्याः स्वसुरीक्षिताम् ॥३३॥”

टीका—“एकदिन आहारके समै कसके बड़े भाई अतिमुक्तक नामा मुनि कसके घर आहार कू आए ॥ ३३ ॥ तब नमस्कार करि जीवद्यशा चंचल भावकरि हँसती थकी देवकी के रजस्वलापनेके वस्त्र स्वामीके समीप डारे अर कहती भई । ए तिहारी बहनके आनन्दके वस्त्र है सो देपहु ॥ ३४ ॥”

“भविता योहि देवक्या गर्भेऽवश्यमसौ शिशुः ।

पत्युः पितुश्च ते मृत्युरितीयं भवितव्यता ॥ ३६ ॥”

ततो भीतमतिर्मुक्त्वा मुनिं साश्रुनिरीक्षणा ।

गत्वा न्यवेदयत्सैतत्सत्यं यतिभाषितम् ॥ ३७ ॥”

श्रुत्वा कंसोपि शंकावानाशु गत्वा पदानतः ।

वसुदेवं वरं वत्रे तीव्रोः सत्यवाग्भूतम् ॥ ३८ ॥

स्वामिन्वरप्रसादो मे दातव्यो भवता ध्रुवम् ।

प्रसूतिम्रमये वासो देवक्या मद्गृहेऽस्त्विति ॥ ३९ ॥

सोऽप्यविज्ञायवृत्तान्तो दत्तवान्वरमस्तधीः ।

नापायः शंक्यते कश्चित्सोदरस्य गृहे स्वसुः॥४०॥”

टीका—“ (मुनिने कहा) या देवकीके गर्भ विषैँ ऐसापुत्र होयगा जो तेरे पतिकूँ अर पिताकूँ मारेगा ॥ ३६ ॥ तब यह जीवजशा अश्रुपात करि भरं हेँ नेत्र जाके सो जायकरि अपने पतिकूँ मुनिके कहे हुए बचन कहती भई ॥ ३७ ॥ तब कंसए बचन सुनकरि शंकावान होय तत्काल वसुदेव पै गया अर वर मांग्या ॥ ३८ ॥ कही हे स्वामी मोहि यह वर देहु जो देवकीकी प्रसूति मेरे घर होय । सो वसुदेव तो यह वृत्तान्त जानैँ नाहीं ॥ ३९ ॥ विना जाने कही तिहारेही घर प्रसूतिके समै वह निवास करहु । यामै दोष कहा । बहन का जापा भाईके घर होय यहतो उचित ही है । या भाँनि बचन दिया ॥ ४० ॥ ”

इन पद्योंमेंसे २९वें, ३३वें और ४०वें पद्यमें यह स्पष्टरूपसे घोषित किया गया है कि देवकी कंसकी बहन थी, कंसके बड़े भाई अतिमुक्तककी बहन थी और कंस उसका ‘सोदर’ था । ‘सोदर’ शब्दको यहाँ आचार्य महाराजने खासतौर पर अपनी ओरसे प्रयुक्त किया है और उसके द्वारा देवकी और कंसमें बहन भाईके अत्यंत निकट सम्बंधको घोषित किया है । ‘सोदर’ कहते हैं ‘सहोदर’ को—सगे भाईको—,जिनका उदर तथा गर्भाशय समान है—एक है—अथवा जो एकही माताके पेटसे उत्पन्न हुएहैं वे सब ‘सोदर’ कहलातेहैं । और इस लिये सोदर, समानोदर, सहोदर, सगर्भ, सनाभि, और सोदर्य ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं । ‘शब्द कल्पद्रुम’ में भी सोदर का यही अर्थ दिया है । यथा:—

“सोदरः, (सह समानं उदरं यस्य । सहस्य सः।) सहो-
दरः इति शब्द रत्नावली ।” “सहोदरः, एकमातृगर्भ-

जातभ्राता । तत्पर्यायः—, सहजः, सोदरः, भ्राता, समर्भः, समानोदर्यः, सोदर्य इति जटाधरः ।”

धामन शिवराम ऐष्टे ने भी अपने कोशमें इसी अर्थका विधान किया है । यथा :—

“सोदर a. [समानमुदरं यस्य समानस्य सः] Born from the same womb (गर्भ, गर्भाशय), uterine. —रः a uterine brother.”

“Uterine, सहोदर, सोदर, समानोदर, सनाभि. ”

ऐसी हालत में, देवकी कस की बहन ही नहीं किन्तु सगी बहन हुई और इसलिये उसे राजा उग्रसेन की पुत्री, नृप भोजकवृष्टि की पौत्री, महाराजा सुवीर की प्रपौत्री और (सुवीर के सगे भाई सूर के पांते) वसुदेव की भतीजी कहना कुछ भी अनुचित मालूम नहीं होता ।

वंशावलीके बादके इन्हीं सब खण्डउल्लेखोंको लेकर देवकी को राजा उग्रसेनकी पुत्री लिखा गया था । परन्तु हाल में जिनसेनाचार्य के हरिवंशपुराण से एक ऐसा वाक्य उपलब्ध हुआ है जिससे मालूम होता है कि देवकी खास उग्रसेन की पुत्री नहीं किन्तु उग्रसेनके भाईकी पुत्री थी और वह वाक्य इस प्रकार है :—

भवद्धर्ता भ्रातृशरीरजायाः सुतोऽयमज्ञेय मरे रितिष्ठा ।
तदौग्रसेनीमभिनंशवाचमू विनिर्जग्मतुराशु पुर्थाः ॥२६॥

—३५ वां सर्ग ।

वह वाक्य उस अवसर का है जब कि नवजात बालक कृष्णको लिये हुए वसुदेव और बलभद्र दोनों मथुरा के मुख्य द्वार पर पहुंच गये थे, बालक की छींक का गंभीर नाद होने पर द्वार के ऊपर से राजा उग्रसेन उसे यह आशीर्वाद दे चुके

थे कि 'तू चिरकाल तक इस संसार में निर्विघ्न रूप से जीता रहा' और इस प्रिय आशीर्वाद से संतुष्ट होकर वसुदेवजी उनसे यह निषेदन कर चुके थे कि 'कृपया इस रहस्य को गुप्त रखना, देवकी के इस पुत्र द्वारा आप बधनसे छूटोगे (विमुक्ति-रस्मात्तव दैवकेयात्) '। इस कथन के अनन्तर का ही उक्त पद्य है। इसके पूर्वार्ध में राजा उग्रसेनजी वसुदेवजी की प्रार्थना के उत्तर में पुनः आशीर्वाद देते हुए कहते हैं—'यह मेरे भाई की पुत्री का पुत्र शत्रु से अज्ञात रह कर वृद्धि को प्राप्त होगा,' और उत्तरार्ध में गन्धकर्त्ता आचार्य बतलाते हैं कि 'तब उग्रसेन की इस इष्ट वाणी का अभिनन्दन करके— उस की सराहना करके—वे दोनों—वसुदेव और बलभद्र—नगरो (मथुरा) से बाहर निकल गये।'

इस वाक्य से जहाँ इस विषय में कोई सदेह नहीं रहता कि देवकी राजा उग्रसेनके भाईकी पुत्रा थी वहाँ यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि वह वसुदेवकी भतीजी थी; क्योंकि उग्रसेन आदि वसुदेव के चचाजाद भाई थे और इस लिये उग्रसेनकी पुत्री न होकर उग्रसेनके भाईकी पुत्री होनेसे देवकी के उस सम्बन्धमें परमाणुमात्र भी अन्तर नहीं पड़ता।

राजा उग्रसेनके दो सगे भाई थे—देवसेन और महासेन—जैसा कि पहले उद्धृत की हुई वंशावली से प्रकट है। उन में से, यद्यपि, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया परन्तु पं० दौलतरामजी ने अपनी भाषा टीकामें उग्रसेन के इस भाईका नाम 'देवसेन' सूचित किया है। यथा:—

“हे पूज्य यह रहस्य गोप्य राखियो। या देवकीके पुत्र तैं तिहारा बंदिगृह तैं, छूटना होयगा। तब उग्रसेन कही यह मेरे भाई देवसेन की पुत्री का पुत्र वैरी की बिना जान में सुख तैं रहियो।”

पं० गजाधरलालजी ने भी इस प्रसंग पर, अपने अनुवाद में, 'देवसेन' का ही नाम दिया है जिसका पीछे उल्लेख किया जा चुका है और उनकी, पं० दौलतरामजी वाली इन पक्तियोंके आशयसे मिलती जुलती, पक्तियां भी ऊपर उद्धृत की जा चुकी हैं। हो सकता है कि उनका यह नामोल्लेख पं० दौलतरामजी के कथन का अनुकरण मात्र हो; क्योंकि तीन साल बाद के अपने विचार लेख में, जिसका एक अंश 'पद्मावती पुरवाल' से ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, उन्होंने स्वयं देवकी को राजा उगृसेन की पुत्री स्वीकार किया है। परन्तु कुछ भी हो, पं० दौलतरामजी ने उगृसेन के उस भाई का नाम जो देवसेन सूचित किया है वह ठोक जान पड़ता है और उसका समर्थन उत्तरपुराण के निम्न वाक्यों से होता है:—

“ अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमहीपतिम् ।
 देवसेनसुतामस्मै देवकीमनुजां निजाम् ॥३६६॥”
 विभूतिमद्वितीयैवं काले कंसस्य गच्छति ।
 अन्येद्युरतिमुक्ताख्यमुनिभिन्नार्थमागमत् ॥३७०॥”
 राजगेहं समीक्ष्यैनं हासाज्जीवद्यशा मुदा ।
 देवकीपुष्पजानन्दवस्त्रमेतत्तवानुजा ॥ ३७१ ॥”
 स्वस्याश्चेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते मुने ।
 इत्यवोचत्तदाकर्ण्य सकोपः सोऽपि गुप्तिभित् ॥३७२॥”

—७०वाँ पर्व ।

इन वाक्यों द्वारा यह बतलाया गया है कि—'कसने नृप वसुदेवको अपने नगरमें लाकर उन्हें देवसेनकी पुत्री अपनी छोटी बहन 'देवकी' प्रदानकी (विवाहकी)। इसके बाद कुछ काल बीतने पर एक दिन 'अतिमुक्त' नामके मुनि भिक्षाके लिये

कंसके राज भवन पर आय । उन्हें देखकर (कंसकी रानी) जीवद्यशा प्रसन्न हो हँसीसे कहने लगी 'देखो ! यह देवकीका राजस्वल आनन्द वस्त्र है और इसके द्वारा तुम्हारी छोटी बहन (देवकी) अपनी चेष्टाको तुम पर प्रकट कर रही है ।' इसे सुन कर मुनिका क्रोध आगया और वे अपनी वचनगुप्तिको भगकरके कहने लगे, क्या कहने लगे, यह अगले पद्यामें बतलाया गया है ।

यहाँ देवकीके लिये दो जगह पर 'अनुजा' विशेषणका जो प्रयोग किया गया है वह खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । अनुजा कहते हैं *कनिष्ठा भगिनी को—† younger sister का—, जो अपने बाद पैदा हुई हो (अनु पश्चात् जाता इति अनुजा ।) और यह शब्द प्रायः अपनी सगी बहन अथवा अपने सगे ताऊ चचाकी लड़कीके लिये प्रयुक्त होता है । कंस उप्रसेन का पुत्र था और उप्रसेन देवसेन दोनों सगे भाई थे, यह बात इस ग्रन्थ (उत्तरपुराण) में भी इससे पहले मानी गई है × और इसलिये कंसने देवसेनकी पुत्री अपनी छोटी बहन देवकी (देवसेनसुतां निजां अनुजां देवकीं) वसुदेवकी प्रदानकी,

*देखो 'शब्दकल्पद्रुम' कोश । †देखो बामन शिवरामपंटेकी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी ।

× यथा:—पद्मावत्या द्वितीयस्य वृष्टेश्च तनयास्त्रयः ।

उप्र-देव-महाद्युक्तिसेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥ १०० ॥

* * * *

इति तद्वचनं भुत्वा मंजूषान्तस्थपत्रकं । गृहीत्वावाचि-
यित्वाच्चैरुप्रसेनमहीपतः ॥ ३६५ ॥ पद्मावत्याश्च पुत्रो-
यमिति ज्ञात्वा महीपतिः । विततारसुतां तस्मै राज्याथं
च प्रतुष्टवान् ॥ ३६६ ॥ कंसोप्युत्पत्तिमात्रेण स्वस्य नद्यां
विसर्जनात् । —उत्तरपुराण, ७० वाँ पर्व ।

इसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि कंसने अपने चचा देवसेन की पुत्री देवकी वसुदेवसे व्याही । भावनगरकी एक पुरानी जीर्ण प्रतिमें, प्रथम पद्यमें आए हुए 'देवसेन' नाम पर टिप्पणी देते हुए, लिखा है—

“उग्रसेन-देवसेन महासेनास्त्रयो नरवृष्णेः पुत्रा ज्ञातव्याः”
अर्थात्—उग्रसेन, देवसेन, और महासेन ये तीन नरवृष्णि (भोजकवृष्टि) के पुत्र जानने चाहिये । इससे उक्त अर्थका और भी ज्यादा समर्थन हो जाता है और किसी संदेहको स्थान नहीं रहता । अस्तु ; यह देवसेन मृगावती देशके अन्तर्गत दशार्णपुर के राजा थे, 'धनदेवी' इनकी स्त्री थी और इसी धनदेवी से देवकी उत्पन्न हुई थी ; ऐसा उत्तरपुराणके निम्नवाक्य से प्रकट है :—

मृगावत्याख्यविषये दशार्णपुरभूपतेः ॥

देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्च देव की ।

—७१ वाँ पर्व ।

और इस लिये ब्रह्मनेमिदत्तके नेमिपुराण, जिनदास ब्रह्मचारी के हरिवंशपुराण भट्टारक शुभचन्द्रके पाण्डवपुराण और भ० यशःकीर्ति के प्राकृत हरिवंशपुराणमें देवकी के पिता, धनदेवीके पति और दशार्णपुरके राजा रूपसे जिन देवसेनका उल्लेख पाया जाता है और जिनके उल्लेखोंको, इन ग्रन्थोंसे, समालोचनामें उद्धृत किया गया है वे येही राजा उग्रसेनके भाई देवसेन हैं—उनसे भिन्न दूसरे कोई नहीं हैं । नेमिपुराणमें तो उत्तर पुराणकी उक्त दोनों पक्तियाँ भी ज्योंकि त्यों उद्धृत पाई जाती हैं बल्कि इनके बादकी “त्वंसा नन्द्यशा स्त्रीन्वमुष-

* उत्तरपुराणमें भोजकवृष्टि (वृष्णि) की जगह नरवृष्णि या नरवृष्टि ऐसा नाम दिया है ।

गम्य निदानतः ” यह तीसरी पंक्ति भी उद्धृत है और ग्रन्थके प्रारंभमें अपने पुराण कथनको प्रधानतः गुणभद्रके पुराण (उत्तरपुराण) के आश्रितमूचित किया है । यथा :—

यत्पुराणं पुरोक्तं गुणभद्रादिसूरिभिः ।

तद्द्रव्ये तुच्छबोधोऽहं किमाश्चर्यमतः परं ॥२८॥

पाण्डवपुराणमें, गुणभद्रकी स्तुतिके बाद स्पष्ट लिखा ही है कि उनके पुराणार्थका अबलोकन करके यह पुराण रचा जाता है । यथा :—

गुणभद्रभदंतोऽत्र भगवान् भातु भूतले ।

पुराणाद्रौ प्रकाशार्थं येन सूर्यायितं लघु ॥ १६ ॥

तत्पुराणार्थमालोक्य धृत्वा सारस्वतं श्रुतम् ।

मानसं पाण्डवानां हि पुराणं भारतं ब्रुवे ॥ २० ॥

जिनदास ब्रह्मचारीका हरिवंशपुराण प्रायः जिनसेनाचार्य के हरिवंशपुराणका सामने रखकर लिखा गया है और उसमें जिनसेनके वाक्योंका बहुत कुछ शब्दानुसरण पायाजाता है । जिनदासने स्वयं लिखाभी है कि गौतमगणधरादिके बाद हरिवंशके चरित्रको जिनसेनाचार्यने पृथ्वी पर प्रसिद्ध किया है । और उन्हींके वाक्यों परसे यह चरित्र अपने तथा दूसरोंके सुख बोधार्थ यहाँ उद्धृत किया गया है । यथा :—

ततः क्रमाच्छ्रीजिपसेननाम्नाचार्येणजैनागमकोविदेन ।

स्तुकाव्यकेलीसदनेन पृथ्व्यानीतंप्रसिद्धिं चरितं हरेरच ॥ ३५ ॥

श्रीनेमिनाथस्य चरित्रमेतदाननं (?) नीत्वाजिनसेनसुरेः ।

समुद्धृतं स्वान्यसुखमबोधहेतोरिचरं नन्दतु भूमिपीठे ॥ ४१ ॥ ”

—४०वाँ सर्ग ।

और यशःकीर्तिने भी अपने प्राकृत हरिवंशपुराणको जिनसेन के आधार पर लिखा है । वे उसके शब्द अर्थका सम्बंध जिनसेनके शास्त्र (हरिवंशपुराण) से बतलाते है । यथा:—

अइ महंत पिक्खिक्खि जणु संकिउ । ता हरिवंसु मइंमिउंईहिंकिउ ॥
सइ अत्थसंबंधु फुरंतउ । जिणसेणहो सराहो यहु पयडिउ ॥

इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि उक्त नेमिपुराणादि चारों ग्रंथ जिनसेनके हरिवंशपुराण और गुणभद्रके उत्तरपुराणके आधार पर लिखे गये हैं और इसलिये इनमेंसे यदि किसीमें देवकीको कलकी या कलके भाई अतिमुक्तकी बहन (स्वसा), छोटी बहन (अनुजा) अथवा राजा उगसेनके भाईकी पुत्री (भ्रातृ-शरीरजा, इत्यादि) नहीं लिखा हों तो इनके परसे ही वह किसी दूसरे देवसेनकी पुत्री नहीं ठहराई जा सकती, जबतक कि कोई स्पष्ट कथन ग्रंथमें इसके विरुद्ध न पाया जाताहो । और यदि इन ग्रंथोंमेंसे किसीमें ऐसा कोई विरोधी कथन हो भी तो वह उस! ग्रन्थकारका अपना तथा अर्थात्सेन कथन समझना चाहिये, उसे जिनसेनके हरिवंशपुराण और गुणभद्रके उत्तर-पुराणपर कोई महत्व नहीं दिया जासकता । परन्तु इन ग्रंथोंमें ऐसा कोई भी विरोधी कथन मालूम नहीं पड़ता जिससे देवकी राजा उगसेनके भाई देवसेन से भिन्न किसी दूसरे देवसेनकी पुत्री ठहराई जासके* । फिरभी समालोचकजी नेमिपुराणमें

*जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवंशपुराणमें तो उन तीनों अवसरोंपर देवकीका कल तथा अतिमुक्तकी बहन ही लिखा है जिनपर जिनसेनके हरिवंशपुराणमें धैसा लिखागया है । यथा:—

“आनीय मथुरां भक्त्याऽभ्यर्चयथ प्रद्वी निजां । स्वसार
देवकीं तस्मै सन्मान्य मृदुभाषया ॥ ६८ ॥”सविभ्रमा
हसंतीति प्राह जीवद्यशा स्वसुः । देवक्या योक्ष त्ववस्त्र-

यह स्वप्न देख रहे हैं कि उसमें देवकी को कंसके मामाकी पुत्री लिखा है और उसीके निम्न वाक्योंके आधारपर यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि देवकी कंसके मामाकी लड़की थी, इस लिये कंस उसे बहन कहता था और इसीसे जिनसेनाचार्यने, हरिवंशपुराणमें, उसे कंसकी बहन रूपसे उल्लेखित किया है:—

ततः स्वयं समादाय पितुः राज्यं स कंसवाक् ।

गौरवेण समानीय वसुदेवं स्वपत्तनम् ॥ ८६ ॥

तदा मृगावतीदेशे भुर्भुजादेशनं (?) पुणत् ।

कंसमातुलजानीता[*तां]धनदेव्या[व्यां]समुद्भवा[वां] ॥ ८७

देवकी[कीं] नामतां[तः]कन्यां कांचिदन्य[न्यां]सुरांगना[नां] ।

महोत्सवैर्दादा तस्मै सोपि सार्धं तया स्थितः ॥ ८८ ॥

इन पद्योंमें से मध्यका पद्य नं० ८७, यद्यपि, गून्थकी सभ प्रतियोंमें नहीं पाया जाता— देहलीके नये मंदिरकी एक प्रतिमें भी वह नहीं है—और न इसके अभावसे ग्रन्थके कथनसम्बंधमें ही कोई अन्तर पड़ता है; हां सकता है कि यह 'क्षेपक' हो । फिर भी हमें इन पद्यके अस्तित्व पर आपत्ति करनेकी कोई जरूरत नहीं है । इसमें 'कंसमातुलजानीता' नामका जो विशेषण पद है उससे यह बात नहीं निकलती कि देवकी कंसके मामाकी लड़की थी, बल्कि कंसके मातुलपुत्र द्वारा वह लाई

मृतुकालविडंबितम् ॥ ७१ ॥ "वरमज्ञातवृत्तान्तः प्रददौ
स्वच्छुधीः स्वयं । तथेत्युक्त्वा स्वसुभांतुगेहं किंच न
कुत्सित ॥ ८० ॥" —१२ वाँ सर्ग ।

*इस प्रकारकी ब्रैकटोंके भीतर जो पाठ दिया है वह शुद्ध पाठ है । और ग्रंथकी दूसरी प्रतियोंमें पाया जाता है ।

गई थी (कंसमातुलजेन आनीता तां = कंसमातुलजानीतां), यह उसका अर्थ होता है । कंसका मामा जरासंध था । जरासंधके किसी पुत्रद्वारा देवकी दशार्णपुरसे मथुरा लाई गई होगी, उसीका यहाँपर उल्लेख किया गया है । प्रिछले दोनों पद्योंमें 'कन्यां' पदके जितने भी विशेषण पद हैं वे सब द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं और इस लिये + "कंसमातुलजानीतां" पदका दूसरा कोई अर्थ नहीं होना जिससे देवकी का कंसके मामाकी पुत्री ठहराया जासके ! इस नेमिपुराणकी भाषा टीका पंडित भागचन्द्रजीने की है उन्होंने भी इन पद्योंकी टीकामें देवकीको कंसके मामाकी पुत्री अथवा दशार्णपुरके देवसेन राजाको कंसका मामा नहीं बतलाया, जैसाकि उक्त टीकाके निम्नअंशसे प्रकट है:

“मृगावती देशविधौ दशार्णपुर तहाँ देवसेन राजा अर धनदेवीरानी तिनकी देवकीनामा पुत्री मँगाय मानो दूसरो देवगनाही है ताहि महोत्सव कर सहित बसु-देवके अर्थ देता भया । बसुदेव ता सहित तिष्ठै ।”

—नानीताके एक जैनमंदिरकी प्रति ।

जान पड़ता है समालोचकजीने वैसेही बिना समझे उक्त पद परसे देवकीको कंसके मामाका पुत्री और देवसेनको कंसका मामा कल्पित कर लिया है और अपनी इस निःसार कल्पना के आधार पर ही आप अपने पाठकोंका यह संदेह दूर करनेके

+ देहलीके नये मंदिरकी दूसरी प्रति और पचायती मंदिरकी प्रतिमें भी मध्यका श्लोक जकर है परन्तु उनमें इस पदकी जगह "कंसमातुल आनीता[तां]" ऐसा पाठ है, जिसका अर्थ होता है 'कंसके मामा द्वारा लाई हुई' । परन्तु वह मामा द्वारा लाईगई हो या मामाके पुत्र द्वारा, किन्तु मामाकी पुत्री नहीं थी यह स्पष्ट है ।

लिये तय्यार हो गये हैं कि जिनसेनने हरिवंशपुराणमें देवकी को कंसकी बहन क्योंकर लिखा है ! यह कितने साहसकी बान है ! आपने यह नहीं सोचा कि जिनसेनाचार्य तो स्वयं देवकी को राजा उग्रासेनके भाईकी पुत्री बतला रहे हैं और देवसेन उग्रसेन का सगा भाई था, फिर वह कंसके मामाकी लड़की कैसे हांसकती है ? वह तो कंसके सगे चचाकी लड़की हुई । परन्तु आप तो सत्य पर पर्दा डालनेकी धृतिमें मस्त थे आपको इतनी समझ बृहसे क्या काम ?

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि पहले ज़माने में मामाकी लड़कीसे विवाह करनेका आम रिवाज था और इसलिये मामाकी लड़कीको उस वक्त कोई बहन नहीं कहता था । और न शास्त्रोंमें बहन रूप से उसका उल्लेख पाया जाता है । समालोचकजी लिखनेको तां लिखगये कि देवकी कंसके मामाकी लड़की थी और इसलिये कंस उसे बहन कहता था परन्तु पीछे से यह बात उन्हें भी खटकी जरूर है और इसलिये आप समालोचनाके पृष्ठ ११ पर लिखते हैं :—

“ देवकी कंसके मामाकी बेटी थी आजकल मामाकी बेटीको भी बहिन मानते हैं । शायद इस पर बाबू साहब यह कह सकते हैं पहिले मामाकी बेटी बहिन नहीं मानी जाती थी क्योंकि लोग मामाकी बेटीके साथ विवाह करतेथे और दक्षिणदशमें अबभो करते है, परन्तु इस सन्देहको आराधनाकथाकोशक श्लाक अच्छी तरह दूर कर देते हैं साथमें बाबू साहबके ख़ास गांव देवबद्धमें जां आराधनाकथाकोश छुपा है उससे भी यह संदेह साफ़ तौर से काफूर होजाता है”

इससे ज़ाहिर है कि समालोचकजी ने देवकीको यदुवंशसे पृथक करने और उसे भोजकवृष्टिकी पौत्री न माननेका अपना

अन्तिम आधार आराधनाकथाकोशके कुछ श्लोकों और उनके भाषापद्यानुवाद पर रक्खा है । आपके वे श्लोक इस प्रकार हैं:

अथेह मृतिकावत्पां पुर्या देवकिं क] भूपते: ।

भार्याया धनदेव्यास्तु देवकीं चारुकां क]न्यकाम्॥८५॥

प्रतिपन्नस्वभगिनीं [मिन्द्रां] तां विवाहप्रयुक्तिनः ।

कंसो सौ वा [व]सुदेवाय कुरुवंशो [श्यो] ज्ञवां ददौ॥८६॥

ये दोनों जिस आराधना कथाकोश के श्लोक हैं वह उन्हीं नेभिदस ब्रह्मचारीका बनाया हुआ है जा नेमिपुराणके भी कर्ता हैं और जिन्होंने नेमिपुराणमें देवकीका न तो कुरुवंशमें उत्पन्न हुई लिखा और न इस बातका ही विधान किया कि कंसने उसे वैसेही वहन मान लिया था—वह उसके कुटुम्बकी बहन नहीं थी। परन्तु समालोचकजी उनके इन्हीं पद्यों परसे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देवकी कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी और कंस उसे वैसेही वहन करके मानता था । इसीसे आपने इन पद्योंका यह अर्थ किया है —

“मृतिका पुरीके राजा देवकी [?] की रानी धनदेवी के एक देवकी नामकी सुन्दर कन्या थी । वह कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी । और कंस उसे बहिन करके मानता था । उसने वह कन्या वसुदेवको व्याहदी ।”

परन्तु “ वह कुरुवंश में उत्पन्न हुई थी और कंस उसे बहिन करके मानता था ” यह जिन दो विशेषण पदोंका अर्थ किया गया है उन्हें समालोचकजी ने ठीक तौर से समझा मालूम नहीं होता । आपने यह भी नहीं खयाल किया कि इन श्लोकों का पाठ कितना अशुद्ध हो रहा है और इसलिये मुझे उनका शुद्ध पाठ मालूम करके प्रस्तुत करना चाहिये—वैसे ही अशुद्ध रूप में आराधनाकथाकोशकी छपोहुई प्रति परसे नकल

करके उसे पाठकों के सामने रख दिया है। “ देवकभूपतेः ” की जगह “ देवकिभूपतेः ” पाठ देकर आपने देवकी के पिता का नाम ‘ देवकी ’ बतलाया है परन्तु वह ‘ देवक ’ है— देवकी नहीं हिन्दुओं के यहाँ भी देवकी के पिता का नाम ‘ देवक ’ दिया है और उसे कंसके पिता उग्रसेनका सगा भाई भी लिखा है; जैसा कि उनके महाभारतान्तर्गत हरिवंशपुराण के निम्न वाक्योंसे प्रकट है —

आहुकस्य तु कारयायां द्वौ पुत्रौ संबभूवतुः ॥ २६ ॥

देवकश्चोग्रसेनश्च देवपुत्रसमावुभौ ।

देवकस्याभवन्पुत्राश्चत्वारस्त्रिदशोपमाः ॥ २७ ॥

देववानुपदेवश्च सुदेवो देवरक्षितः ।

कुमार्यः सप्तचाप्यासन्वसुदेवाय ता ददौ ॥ २८ ॥

देवकी शांतिदेवा च सुदेवा देवरक्षिता ।

वृकदेव्युपदेवी च सुनाम्नी चैव सप्तमी ॥ २९ ॥

नवोग्रसेनस्य सुतामतेषां कंसस्तु पूर्वजः ।

न्यग्रोधश्चसुनामा च कंकः शंकुः सुभूमिपः ॥ ३० ॥

—३७ वां अध्याय ।

और इस लिये देवक देवसेन का ही लघुरूप है । उसी लघु नाम से यहाँ उसका उल्लेख किया गया था जिसे समालोचकजी ने नहीं समझा और देवकी के पिता को भी देवकी बना दिया ! “ वासुदेवाय ” पाठ भी अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप है “ वसुदेवाय ” तभी ‘ वसुदेव को ’ देवकी के दिये जाने का अर्थ बन सकता है अन्यथा, ‘ वासुदेवाय ’ पाठ से तो यह अर्थ हो जाता है कि देवकी ‘ वासुदेव ’ को वसुदेव

के पुत्र श्रीकृष्ण को—व्याही गई, और यह कितना अनर्थकारी अर्थ है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । इसी तरह “ प्रतिपन्नस्वभगिनी ” पाठ भी अशुद्ध है । श्लोक में छुटा अक्षर गुरु और पहले तथा तीसरे चरण का सातवाँ अक्षर भी गुरु हाता है * परन्तु यहाँ उक्त पहले चरण में ६ टा और ७ वाँ दांनों ही अक्षर लघु पाये जाते हैं और इसलिये वे इस पदके अशुद्ध होने का खासा सदेह उत्पन्न करते हैं । लेखकके पुस्तकालयमें इस ग्रन्थकी एक जीर्ण प्रति स० १७६५की लिखी हुई है, उसमें “ प्रतिपन्नस्वभगिनी ” ऐसा पाठ पाया जाता है । इस पाठ में ‘ भगिनी ’ का जगह “ भग्नी ” पदका जो प्रयोग है वह ठीक है और उससे उक्त दांनों अक्षर शस्त्रकी दृष्टिमें, गुरु हो जाते हैं परन्तु अन्तका ‘ भ्रां ’ अक्षर कुछ अशुद्ध जान पड़ता है और उसे अधिक अक्षर नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उसे पृथक करके यदि “ भग्नी ” का “ भग्नी ” पठ माना जावे तो उसमें छंद भंग हो जाता है—आठकी जगह सात ही अक्षर रह जाते हैं—इस लिये ‘ भग्नी ’ के बाद आठवाँ अक्षर पदकी विभक्तिको लिये हुए जरूर होना चाहिये । मालूम होना है वह अक्षर “ न्द्रां ” था, प्रति लेखक की कृपा से “ भ्रां ” बन गया है । और इसलिये उक्त पदका शुद्ध रूप “ प्रतिपन्नस्वभग्नीन्द्रां ” होना चाहिये, जिसका अर्थ होता है ‘ अपना बहनां में इन्द्रा पद को प्राप्त’—अर्थात्, इन्द्राणी जैसी । नेभिदसने अपने ‘ नेभिपुराण में भी देवकी को ‘ सुरांगणा ’ लिखा है जैसा कि ऊपर उद्धृत किये

* यथा:—‘ श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम् ।

द्विवतुष्पाद्याहर्स्व सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥ १० ॥

—श्रुतबोधः ।

हुए उसके पद्य नं० ८८ से प्रकट है। उसी बातको उन्होंने यहाँ पर इस पद के द्वारा व्यक्त किया है और उसे अपनी बहनों में इन्द्रा (शची) जैसी बतलाया है। वह कस को बैसे ही मानी हुई—कल्पित की हुई—बहन थी, यह अर्थ नहीं बनता और न उसका कहीं से कोई समर्थन होता है। देवकी यदि कसकी कल्पित भगिनी थी तो उससे यह लाजमी नहीं आता कि वह कंस के भाई अतिमुक्तक की भी कल्पित भगिनी थी—क्योंकि अतिमुक्तकजी ने उसी वक्त जिनदीक्षा धारण करली थी जबकि कनने अंधुरा आकर अपने पिताका वदिगृह में डाला था—और इसी कस ने यदि देवकीका अपनी बहन बनाया ता वह उसी वाद का कार्य हुआ। फिर अतिमुक्तक के भिन्नार्थ आने पर कंसकी स्त्री ने उनस यह क्यों कहा कि ' यह तुम्हारी बहन (स्वसा अथवा अनुजा) देवकीका आनन्द वस्त्र है ' इस वाक्य-प्रयोग से ता यही जाना जाता है कि अतिमुक्तकका देवकीके साथ भाई बहन का कौटुम्बिक सम्बन्ध था और इसी स जीवद्यशा नि सकोच भाव से उस सम्बन्ध का उनके सामने उल्लेख कर सकी है अथवा उक्त वाक्य के कहने में उसकी प्रवृत्ति हो सकी है। यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार दूसरे के पुत्र को गोद (दत्तक) लेकर अपना पुत्र बना लिया जाता है और तब कुटुम्बवालों पर भी उस सम्बन्ध की पाबन्दी होती है—वे उसक साथ गोद लेने वाले व्यक्ति के समे पुत्र जैसा ही व्यवहार करते हैं—उसी प्रकार से कस ने भी देवकी को अपनी बहन बना लिया था ता प्रथम तो इस प्रकार से बहन बनानेका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता—हरिचशपुराण(जिन-सेनकृत) और उशरपुराण जैसे प्राचीन ग्रन्थों से यही पाया जाता है कि देवकी उन राजा देवसबकी पुत्री थी जो कस के पिता उग्रसेन के सगे भाई थे—दूसरे, यदि ऐसा मान भी लिया

जाय तो कस की ऐसी दत्तकतुल्य बहन वसुदेवकी भतीजी ही हुई—उसमें तथा कस की मगी बहन में सम्बंध की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं होता—और इसलिये भी यह नहीं कहा जासकता कि वसुदेव ने अपनी भतीजी से विवाह नहीं किया । ऐसा कहना मानो यह प्रतिपादन करना है कि 'एक भाई के दत्तकपुत्र से दूसरा भाई अपनी लड़की व्याह सकता है अथवा उस दत्तकपुत्र की लड़की से अपना या अपने पुत्र का विवाह कर सकता है' । क्योंकि वह दत्तक (गाँद लिया हुआ) पुत्र उस भाई का असली पुत्र नहीं है किन्तु माना हुआ पुत्र है । परन्तु जहां तक हम समझते हैं समालोचकजी को यह भी इष्ट नहीं हो सकता, फिर नहीं मालूम उन्होंने क्यों—इतने स्पष्ट प्रमाणों की मौजूदगी में भी—यह सब व्यर्थका आडम्बर रचा है ? नादानी और बेसमझी के सिवाय इसका दूसरा और क्या कारण हो सकता है ?

रही कुरुवंशमें उत्पन्न होनेकी बात, वहभी ठीक नहीं है । 'कुरुवंशोद्भवां' का शुद्ध रूप है 'कुरुवंशयोद्भवां' जिसका अर्थ होता है 'कुरुवंश्या स्त्रीमें उत्पन्न' (कुरुवंश्यायां उद्भवा या तां कुरुवंशयोद्भवां)—अर्थात्, देवकीकी माता धनदेवी कुरुवंश्या थी—कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी—नकि देवकी कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी । समालोचकजी ने भाषाके जो निम्न छद् उद्घृत किये हैं उनसेभी आपके इस सब कथनका कोई समर्थन नहीं होता:—

अब नगरी मतिकावती, देवसेन महाराज ।

धनदेवी ताके तिया, कुरुवंशन सिरताज ॥

ताके पुत्री देवकी, उपजी सुन्दर काय ।

सो वसुदेव कुमार संग, दीनी कंस सु व्याह ॥

यहाँ 'कुरुवंशन सिरताज,' यह स्पष्ट रूपसे 'धनदेवी' का

विशेषण जाना जाता है और इनको धनदेवोके अनन्तर प्रयुक्त करके कविने यह साफ सूचित किया है कि धनदेवी कुरुवंशमें उत्पन्न हुई स्त्रियोंमें प्रधान थी। बाकी देवकी कसकी मानी हुई बहन थी, इस बातका यहाँ कोई उल्लेख ही नहीं है। इतने पर भी समालोचकजी इन भाषा छुदा परसे संदेह का काफूर होना मानते हैं और लिखते हैं :—

“यह सब कोई जानता है कि वसुदेव यदुवशी थे,
और देवकी कुरुवशकी थी। परन्तु बाबू साहबने
तो उसे सगी भतीजी बना ही दी।”

परन्तु महाराज ! सब लोग तो देवकीको कुरुवंशकी नहीं जानते, और न हविशपुत्राया तथा उत्तरपुत्राया जैसे प्रचीन ग्रन्थोंसे ही उसका कुरुवशी होना पाया जाता है—यह तो आपके ही दिमाग शरीरमें नई बात उतरती अथवा आपकी ही नई ईजाद मालूम होती है। और आपकी ही कदाग्रह तथा बेहयाई का चश्मा चढ़ी हुई आँखें इस बातको देख सकती हैं कि बाबू साहब, लेखक, ने कहाँ अपने लेखमें देवकीका वसुदेव की 'सगी' भतीजी लिखदिया है, लेखमें दा हुई वशावली परसे तो कोई भी नेत्रवान उसमें सगी भतीजीका दर्शन नहीं कर सकता। सच है 'हठप्राही मनुष्य युक्तिका खींच खींचकर वहीं लेजाना है जहाँ पहलेमें उसका मति ठहरी हुई हांती है परन्तु जो लोग पक्षपात रहित होते हैं वे अपनी मतिको वहाँ ठहगतें हैं जहाँतक युक्ति पहुँचती है'। इसीसे एक आचार्यमहाराजने, ऐसे हठ प्राहियोंकी बुद्धिपर खेद प्रकट करते हुए, लिखा है :—

“आग्रही वत ! निनीषति युक्ति यत्रतत्रमतिरस्य निविष्टा ।
पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्रतत्रमतिरेति निवेशम् ॥”

हाँ, समालोचकजी की एक दूसरी, बिल्कुल नई, ईजादका

उल्लेख करना तो रहही गया, और वह यह है कि उन्होंने, लेखक पर इस बातका *आक्षेप करते हुए कि उसने भाषाके लुप्तोपद्ध 'आराधना कथाकोश'के कथन पर जान बूझ कर ध्यान नहीं दिया, यह विधान किया है कि उसने उक्त ग्रंथका स्वाध्याय अवश्य किया होगा, क्योंकि वह उसके खास गाँव (?) देवबन्द का लुपा हुआ है। और इस तरह पर यह घोषणाकी है कि जिस नगर या ग्राममें कोई ग्रंथ लुपता है वहाँका प्रत्येक पढ़ा लिखा निवासी इस बातका जिम्मेवार है कि वह ग्रंथ उसने पढ़ लिया है और वह उसके सारे कथनको जानता है। शौर इसलिये बम्बई, कलकत्ता आदि सभी नगर ग्रामोंके पढ़ेलिखों को अपनी इस जिम्मेदारीके लिये सावधान हो जाना चाहिये! और यदि किसीको यह मालूम करनेकी जरूरत पड़े कि बम्बई में कौन कौन ग्रन्थ लुपे हैं और उनमें क्या कुछ लिखा है तो वहाँके किसी एक ही पढ़ेलिखेको बुलाकर अथवा उससे मिलकर सारा हाल मालूम कर लेना चाहिये! यह कितना भारी आविष्कार समालोचकजीने कर डाला है! और इससे पाठकों को कितना लाभ पहुँचेगा !! परन्तु खेद है लेखक तो कई बार अपने अनेक स्थानोंके मित्रोंका वहाँके लुपे हुए ग्रंथोंकी बाबत कुछ हाल दर्याफ्त करके ही रह गया और उसे यही उत्तर मिला कि 'हमें उन ग्रन्थोंका कुछ हाल मालूम नहीं है।' शायद समालोचकजी ही एक ऐसे विचित्र व्यक्ति होंगे जिन्होंने कमसे कम

*यथा:—बाबू साहबके खास गाँव देवबन्दमें जो 'आराधनाकथाकोश' लुपा है उससे भी यह सदेह साफ तौरसे काफ़र होजाता है क्या बाबू साहबने अपने यहाँसे प्रकाशित हुए ग्रन्थोंका भी स्वाध्याय न किया होगा? किया अवश्य होगा परन्तु उन्हें तो जिस तिस तरह अपना मतलब बनाना है"।

देहलीसे, जहाँ आपका अक्सर निवास रहता है, प्रकाशित होने वाली सभी पुरतकों तथा ग्रन्थोंको—परिचय, इच्छा, और संप्राप्ति आदिके न होत हुए भी—पढ़ा होगा और आपको उनका पूर्ण विषय भी कण्ठस्थ होगा ! रही लेखककी ग्रंथोंके पढ़नेकी बात, यद्यपि उसका अधिकांश समय ग्रन्थोंके पढ़ने और उनमेंसे अनेक तत्वों तथा तथ्योंका अनुसंधान करने में ही व्यतीत होता है, फिर भी वह देववन्दसे प्रकाशित हुए ऐसे साधारण सभी ग्रन्थोंको तो क्या पढ़ता, स्वयं उसकी लायब्रेरीमें पचासों अच्छे ग्रंथ इस वक्त भी मौजूद हैं जिन्हें पूरी तौर पर अथवा कुछको अधूरी तौर पर भी पढ़ने देखने का अभी तक उसे अवसर नहीं मिल सका । इसलिये समालोचकजीका उक्त आक्षेप व्यर्थ है और वह उनके दुराग्रहको सूचित करता है ।

यहाँ तकके इस सब कथनसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाना है कि देवकी न तो कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी, न कंसके मामाकी लड़की थी और न वैसे ही कंसद्वारा कल्पना की हुई बहन थी, बल्कि वह कंसके पिता उग्रासेनके सगे भाई अथवा कंसके सगे चचा देवसेनकी पुत्री थी—यदुवंशमें उत्पन्न हुई थी—और इसी लिये नृप भोजकवृष्टि (या नर वृष्णि) तथा भोजकवृष्टिके भाई अंधकवृष्टि (वृष्णि) की पौत्री थी और उसे अंधकवृष्टिके पुत्र वसुदेवकी भतीजी समझना चाहिये । इसी देवकीके साथ वसुदेवका विवाह होने से साफ़ जाहिर है कि उस वक्त एक कुटुम्बमें भी विवाह हो जाता था और उसके मार्गमें आज कल जैनी गोत्रोंकी परिकल्पना कोई बाधक नहीं थी । अगूवाल जैसी समृद्ध जाति भी इन्हीं कौटुम्बिक विवाहोंका परिणाम है । उसके आदिपुरुष राजा अगूसेनके सगे पोते पोतियों का—अथवा यों कहिये कि उसके एक पुत्रकी संततिका दूसरे पुत्रकी संततिके साथ—आपसमें विवाह हुआ था । आजकल

भी अगवाल अगवालोंमें ही विवाह करके अपने एकही वंशमें विवाहकी प्रथाको चरितार्थ कर रहे हैं और राजा अगसेनकी दृष्टिसे सब अगवाल उन्हींके एक गात्री हैं । समालोचकजीने विरोधके लिये जिन प्रमाणोंको उपस्थित किया था उनमेंसे एकभी विरोधके लिये स्थिर नहीं रह सका; प्रत्युत इसके सभी लेखकके कथनकी अनुकूलतामें परिणत हो गये और इस बातको जतला गये कि समालोचकजी सत्य पर पर्दा डालनेकी धुनमें समालोचना की हृद्से कितने बाहर निकल गये—समालोचकके कर्तव्यसे कितने गिर गये—उन्होंने सत्यको छिपाने तथा असलियत पर पर्दा डालनेकी कितनी कोशिश की, कितना कोलाहल मचाया, कितना आडम्बर रचा और कितना पाखंड फैलाया परन्तु फिर भी वे उनमें सफल नहीं हो सके ! सायही, उनके शास्त्रज्ञान और दमविधानकी भी सारी कलई खुल गई !! अस्तु ।

यह तो हुई उदाहरणके प्रथम अंश—'देवकीसे विवाह'—के आलोचकोंकी बात, अब उदाहरणके दूसरे अंश—'जरासे विवाह'—को स्वीजिये ।

म्लेच्छों से विवाह ।

लेखक ने लिखा था कि—“जरा किसी म्लेच्छराजाकी कन्या थी जिनने गंगा तट पर वसुदेवजी को परिभ्रमण करते हुए देखकर उनके साथ अपनी इस कन्या का पाणिग्रहण कर दिया था । पं० दौलतरामजी ने, अपने हरिवंशपुराणमें, इस राजा को 'म्लेच्छखण्ड का राजा' बनलाया है और पं० गजाधरलालजी उसे 'भीलोंका राजा' सूचित करने हैं । वह राजा म्लेच्छखण्डका राजा हो या आर्यखण्डोद्भव म्लेच्छराजा, और चाहे उसे भीलोंका राजा कहिये, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि

वह आर्य तथा उच्चजाति का मनुष्य नहीं था । और इस लिये उसे अनार्य तथा म्लेच्छ कहना कुछ भी अनुचित नहीं होगा । म्लेच्छोंका आचार आम तौर पर हिंसामे रति मासभक्षण में प्रीति और जबर्दस्ती दूसरोंकी धनसम्पत्तिका हरना, इत्यादिक हाता है जैसा कि आज़िनसेनाचार्यप्रणीत आदि-पुराणके निम्नलिखित वाक्य से प्रकट है —

म्लेच्छाचारो हि हिंसायां रतिमासाशनेऽपि च ।

बलात्परस्वहरण निधूतत्वमिति स्मृतम् ॥ ४२-१८४ ॥

चमुदेवजी ने यह सब कुछ जानने हुए भी, बिना किसी क्रिभक्त और स्कावट के बड़ी खुशी के साथ इस म्लेच्छ राजा का एक कन्या से विवाह किया और उनका यह विवाह भी उस समय कुछ अनुचित नहीं समझा गया । बल्कि उस समय और उससे पहले भी इस प्रकार के विवाहों का आम दस्तूर था । अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित उच्चकुलीन और उत्तमात्तम पुत्रों ने म्लेच्छ राजाओं की कन्याओं से विवाह किया जिनके उदाहरणोंसे जैन साहित्य परिपूर्ण है ।

उदाहरणके इन अंश से प्रकट है कि लेखकने जिननी बार अपना ओर से जरा के पिताका उल्लेख किया है वह 'म्लेच्छराजा' पद के द्वारा किया है, जिसमें 'म्लेच्छ' विशेषण और 'राजा' विशेष्य है (म्लेच्छ राजा म्लेच्छराजा) और उसका अर्थ हाता है 'म्लेच्छ जाति विशेष राजा— अर्थात् म्लेच्छ जातिका राजा वह राजा जिसकी जाति म्लेच्छ है, न कि वह राजा जो आर्यजातिका होने हुए म्लेच्छों पर शासन करता है । परन्तु समालाचकजी ने दूसरे विद्वानों के अवतरणोंको लेकर और उन्हें भी न समझ कर उनका शब्द छल से लेखक पर यह आपत्ति की है कि उसने म्लेच्छखंडो पर

शासन करने वाले आर्य जाति के चक्रवर्ती राजाओं को भी म्लेच्छ ठहरा दिया है ! आप लिखते हैं :—

“ खूब [!] क्या मलेहों का राजा भी मलेह ही होगा ? और भीलोंका राजा भी भील ही हो, इसका क्या प्रमाण ? यदि कोई हिन्दुस्तान का राजा हो तो हिन्दू ही हो सकता है क्या ? और जरमनका जरमनी तथा मुसलमानोंका मुसलमान ही हो सकता है क्या ? यदि ऐसा ही नियम होता तो चक्रवर्ती जोकि मलेहखण्डके भी राजा होते हैं । लेखक महोदयके विचारानुसार वे भी मलेह कहे जाने चाहिये । इस नियमानुसार पूज्य तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ कुन्धुनाथ, अरहनाथ जोकि चक्रवर्ती थे, लेखक महोदय की सम्मति अनुसार वे भी इसी कोटिमें आसकेंगे ? अतः इसका कोई नियम नहीं है कि किसी जाति या देशका राजा भी उसी जाति का हो अतः इस लेखसे यह सिद्ध होता है कि जरा कन्या भील जाति की नहीं थी । ”

पाठकजन देखा ! समालोचकजी कितनी भारी समझ और अनन्य साधारण बुद्धिके आदमी हैं ! उन्होंने लेखकके कथनकी कितनी बढ़िया समालोचना कर डाली !! और कितनी आसानी से यह सिद्ध कर दिखाया कि 'जरा' भील जातिकी कन्या नहीं थी !!! हम पूछने हैं यह कौन कहता है और किसने कहाँ पर विधान किया कि म्लेच्छोंका राजा म्लेच्छही होता है, भीलोंका राजा भीलही होता है, हिन्दुस्तानका राजा हिन्दू ही होता है और मुसलमानोंका राजा मुसलमानही हुआ करता है ? फिर क्या अपनी ही कल्पनाकी समालोचना करके आप खुश होते हैं ? क्या जिस राजाकी बाबत यह कहा जाता हो कि यह 'हिन्दूराजा'

है आप उसे 'मुसलमान' समझते हैं ? और जिसे 'मुसलमान राजा' के नामसे पुकारा अथवा उल्लेखित किया जाता हो उसे 'हिन्दू' खयाल करत है ? यदि नहीं तो फिर एक 'म्लेच्छ राजा' को म्लेच्छ न मानकर आप 'आर्य' कैसे कह सकते हैं ? हिन्दू और 'मुसलमान' जिस प्रकार जातिवाचक शब्द है उसी प्रकार से 'म्लेच्छ' भी एक जातिवाचक शब्द है । और ये तीनों ही राजा शब्दके पूर्ववर्ती होने पर अपने अपने उत्तरवर्ती राजाकी जातिको सूचित करत हैं । स्वयं श्रीजिनसेनाचार्य ने, अपने हरिवंशपुराणमें, इस राजाको स्पष्ट रूपसे 'म्लेच्छराज' लिखा है । यथा —

चंपा-सरसि, सप्राप्य तस्यां सोमात्यदेहजाम् ॥ ४ ॥

तोयक्रीडा रतस्तत्र स हृतः सूर्पकाऽरिणा ।

विमुक्तश्च पपातासौ भागीरथ्यां मनोरथी ॥ ५ ॥

पर्यटन्नटवी तत्र म्लेच्छराजेन वीक्षितः ।

परिणीय सुतां तस्य जराभ्यां तत्र चावसत् ॥ ६ ॥

जरत्कुमारमुत्पाद्य तस्यामुन्नतविक्रमः ।

इन पद्योंमें यह बतलाया गया है कि—चंपापुरीमें वहाँके मन्त्रीकी पुत्रीसे विवाह करके, एकदिन वसुदेव चंपा नगरके सरोवरमें जलक्रीडा कर रहे थे उनका शत्रु सूर्पक उन्हें हर कर लेगया और ऊपरसे छोड़दिया । वे भागीरथी (गंगा) नदी में गिरे और उसमें से निकल कर एक वनमें घूमने लगे । वहाँ एक म्लेच्छ राजासे उनका परिचय हुआ, जिसकी 'जरा' नाम की कन्यासे विवाह करके वे वहाँ रहने लगे और उस स्त्री से उन्होंने 'जरत्कुमार' नामका पुत्र उत्पन्न किया ।

'म्लेच्छराज' से श्रीजिनसेनाचार्यका अभिप्राय 'म्लेच्छजाति

विशिष्ट राजा'का है, यह बात उनके इसी ग्रन्थके दूसरे उल्लेखों से भी पाई जाती है। यथा :—

म्लेच्छराजसहस्राणि वीक्ष्य पूर्ववर्धुनिनीम् ।
 क्षुभितान्यभिगम्याशु योधयामासुरश्रमात् ॥ ३० ॥
 ततः क्रुद्धो युधि म्लेच्छैरयोऽधो दंडनायकः ।
 युध्वा निर्धूय तानाशु दध्रे नामार्थसंगतम् ॥ ३१ ॥
 भयान्म्लेच्छास्ततो याताः शरणं कुलदेवताः ।
 घोरान्मेघमुखान्नागान्दर्भशय्याधिशायिनः ॥ ३२ ॥

* * *

ततो मेघमुखैर्म्लेच्छाः प्रोक्ताः संहतवृष्टिभिः ।
 चक्रिणां शरणं जग्मुरादाय वरकन्यकाः ॥ ३८ ॥

—११वाँ सर्ग ।

यहाँ, उत्तर भारतखण्ड के म्लेच्छोंके साथ भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयसुमारके युद्धका वर्णन करते हुए, पहले पद्यमें जिन सहस्रों म्लेच्छ राजाओं का “म्लेच्छराजसहस्राणि” पदके द्वारा उल्लेख किया है उन्हें ही अगले पद्योंमें “म्लेच्छैः” और “म्लेच्छाः” पदोंके द्वारा स्पष्ट रूप से ‘म्लेच्छ’ सूचित किया है। और इससे साफ जाहिर है कि ‘म्लेच्छ राजा’ का अर्थ म्लेच्छ जातिके राजासे है। और इस लिये जराका पिता म्लेच्छ था। प० दौलतराम जी ने इस राजाको जो *‘म्लेच्छ खण्डका राजा’ बनलाया है उसका अभिप्राय ‘म्लेच्छखण्डोद्भव’ (म्लेच्छखण्डमें उत्पन्न हुए) राजासे है—म्लेच्छखण्डोंको

*यथा :—“सो गंगा के तीर एक म्लेच्छखण्डका राजा तानें देखा। सो अपनी जरा नामा पुत्री वसुदेव को परनाई।”

जीत कर उन पर अपना आधिपत्य रखने वाले चक्रवर्ती राजा से नहीं । जान पड़ता है 'म्लेच्छराज' शब्द परसे ही उन्होंने उसे म्लेच्छखण्ड का राजा समझ लिया है । और पं० गजाधर लाल जी ने जो उसे 'भीलोंका राजा' लिखा है उसका आशय भील जातिके राजा (भिल्लराज) से—सर्दार से—है जो म्लेच्छोंकी एक जाति है—भीलों पर शासन करने वाले किसी आर्य राजासे नहीं । जरासे उत्पन्न हुए जरत्कुमारका आचरण एक बार भील जैसा होगया था, इसी परसे शायद उन्होंने जराको भील कन्या माना है । आप 'पद्मावतीपुरवाले' (वर्ष २२२ अंक ५वाँ) में प्रकाशित अपने उसी विचार लेखमें लिखते भी हैं ।—

“वास्तवमें उस समय भी संतान पर मातपक्षका संस्कार पहुँचना था । आपने हरिवंशपुराणमें पढा हांगा कि जिस समय कृष्ण की मृत्युकी बात मुनिराजके मुखसे सन जरत्कुमार वनमें रहने लगा था उस समय उसके आचार विचार भील सरीखे होगयेथे, वह शिकारी होगया था । पीछे युधिष्ठिर आदि के समझानेसे उसने भीलके वेषका परित्याग किया था ।”

इससे स्पष्ट है कि प गजाधरलालजी ने जराके पिताको आर्य जातिका राजा नहीं समझा बल्कि 'भील' समझा है और

†यथा —“ नदीका पार कर कुमार किसी वनमें पहुँचे वहाँ पर घूमते हुए उन्हें किसी भीलोंके राजाने देखा उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो वह बड़े आदरसे उन्हें अपने घर लेगया और उसने अपनी जरा नाम की कन्या प्रदान की ।”

[यथा :—' भिल्लः, म्लेच्छजातिविशेषः । भील इति भाषा । यथा हेमचंद्रे—माला भिल्ला किराताश्च सर्वाऽपि म्लेच्छजातयः ।

—इति शब्दकल्पद्रुमः।

इस लिये उनके 'भीलों का राजा' शब्दोंके छलको लेकर समालोचक जीने जो आपत्ति की है वह बिलकुल निःसार है । पं० गजाधरलाल जी तो अपने उक्त लेखमें स्वयं स्वीकार करते हैं कि उस समय म्लेच्छ किंवा भीलों आदि की कन्यासे भी विवाह होता था । यथा :—

“उस समय राजा लोग यदि म्लेच्छ किंवा भीलआदि की कन्याओंसे भी पाणिप्रहण कर लेते थे तथापि उनके समान स्वयं म्लेच्छ तथा धर्म कर्मसे विमुक्त न बन जातेथे किन्तु उन कन्याओं को अपने पथ पर ले आते थे । और वे प्रायः पतिद्वारा स्वीकृत धर्मका ही पालन करती थीं । इस लिये वसुदेवने जो जरा आदि म्लेच्छ कन्याओंके साथ विवाह किया था उसमें उनके धार्मिक रीति-रिवाजोंमें जरा भी फर्क न पड़ा था ।”

इस उल्लेख द्वारा पं० गजाधरलाल जी ने जरा को साफ तौरसे ' म्लेच्छ कन्या ' भी स्वीकार किया है और उसके बाद ' आदि ' शब्दका प्रयोग करके यह भी घोषित किया है कि वसुदेवने ' जरा ' के सिवाय और भी म्लेच्छ कन्याओंसे विवाह किया था । समालोचकजी के पास यदि लज्जादेवी हां तो उन्हें, इन सब उल्लेखोंको देखकर, उसके आँचलमें अपना मुंह छुपा लेना चाहिये और फिर कभी यह दिखलानेका साहस न करना चाहिये कि पंडितजी के उक्त शब्दों का वाक्य ' भील ' राजा से भिन्न कोई ' आर्य ' राजा है ।

मालूम होता है समालोचक जी को इस खयालने बड़ा परेशान किया है कि भील लोग बड़े काले, डरावने और बदसूरत होते हैं, उनकी कन्यासे वसुदेव जैसे रूपवान और अनेक रूपवती स्त्रियों के पति पुरुष क्यों विवाह करते । और इसीसे

आप यहाँ तक कल्पना करनेके लिये मजबूर हुए है कि यदि वह कन्या (जरा) भीलोंने ही वसुदेव को दी हो तो वह जरूर किसी दूसरी जातिके राजाकी लड़की होगी और भील उसे छीन लाये होंगे । यथा :—

“ भील लोग जंगलोंमें रहने वाले जिनके विषयमें शास्त्रोंमें लिखाहै कि वे बड़े काले, बद्सूरत डरावने होते है । तो वसुदेवजी ऐसे पराक्रमी और सुन्दर कामदेवके समान जिनके रूपके सामने देवाङ्गनायें भी लज्जित होजायें, ऐसी राजाओंकी अनेक रूपवती और गुणवती कन्याओंके साथ विवाह किया । उन को क्या ज़रूरत थी कि ऐसे बद्सूरत भीलकी लड़कीके साथ शादी करते । हाँ यह ज़रूर होसकता है कि भील किसी राजाकी लड़कीको छीन लाये हों और उसे सुन्दर खूबसूरत समझ कर वसुदेवका देदी हो । इससे सिद्ध है कि वह भीलकी कन्या तो थी नहीं ” ।

परन्तु सभी भील बड़े काले, बद्सूरत और डरावने होते हैं, यह कौनसे शास्त्रमें लिखा है और कहाँसे आपने यह नियम निर्धारित किया है कि भीलोंकी सभी कन्याएँ काली, बद्सूरत तथा डरावनी ही होती हैं ? क्या रूप और कुनके साथ कोई अविनाभाव सम्बन्ध है ? हम तो यह देखने हे कि अच्छे अच्छे उच्छकुलोंमें बद्सूरत भी पैदा होते है और नीचानिनीच कुलों में खूबसूरत बच्चे भी जन्म लेते हैं । कुनका सुमन, दुर्भग और सौभाग्यके साथ कोई नियम नहीं है । इसी बातको श्रीजिनसेनाचार्यने वसुदेवके मुखसे, रोहिणीके स्वयंवरके अवसर पर कहलाया है । यथा :—

कश्चिन्महाकुलीनोऽपि दुर्भगः सुभगोऽपरः ।

कुलसौभाग्ययोर्नेह प्रतिबन्धोस्ति कश्चनः ॥ ५५ ॥

—हरिवंशपुराण, ३१वाँ सर्ग ।

प गजधरलालजी ने इस पद्यका अनुवाद यों किया है :—

“ कोई कोई महाकुलीन हाने पर भी बदसूरत होता है
दूसरा अकुलीन होनेपर भी बड़ा सुन्दर होता है इस
लिये कुलीन और सौभाग्य ही आपसमें कोई व्याप्ति
नहीं अर्थात् जो कुलीन हो वह सुन्दर हो हो और
अकुलीन बदसूरत ही हो यह कोई नियम नहीं ॥ ५५ ॥”

इसके सिवाय, जैनशास्त्रोंमें भीलकन्याओंसे विवाहके स्पष्ट
उदाहरण भी पाये जाते हैं, जिनमें से एक उदाहरण राजा उप-
श्रेणिक का लीजिये । ये राजा श्रेणिकके पिता थे । इन्हें एक
बार किसी दुष्ट अश्वने लेजाकर भीलोंकी पल्लीमें पटक दिया
था । उस पल्लीके भील राजाने जब इन्हें दुःखिनावस्थामें देखा
तो वह इन्हें अपने घर लेगया और उसने दवाई भोजन पानादि
द्वारा सब तरहसे इनका उपचार किया । वहाँसे उसकी 'तिलक-
सुन्दरी' नामकी पुत्री पर आसक्त हो गये और उसके लिये
इन्होंने वाचना की । भील राजाने उपश्रेणिकसे अपनी पुत्रीके
पुत्रको राज्य दिये जानेका वचन लेकर उसका विवाह उनके
साथ कर दिया और फिर उन्हें राजगृह पहुँचा दिया । यथा:—
उपश्रेणिको(क?) वैरिनृपसोमदेवप्रेषितदुष्टाऽधेनोपश्रेणिको
नीत्वा भिल्लपत्न्यां चित्तो दुःखितो भिल्लराजेन दृष्टोगृहमानीत
उपचरितः । तत्सुतां तिलकसुन्दरीमीत्तित्वा तां तं ययाचे ।
एतस्या सुतं राजानं करिष्यामीति भाषां नीत्वा परिणाय्य
तेन राजगृहं प्रापितः ।

—गद्य श्रेणिकचरित्र, (देहलीके नये मंदिरकी
पुरानी जीर्ण प्रति) ।

इसी भील कन्यासे 'खिलानीय' नामका पुत्र उत्पन्न हुआथा, जिसे 'खिलाति पुत्र' भी कहते हैं। प्रतिज्ञानुसार इसीको राज्य दिया गया और इसने अन्तको जिन दीक्षा भी धारण की थी।

इस लिये, समालोचकजीका यह कोरा भ्रम है कि सभी भील कन्याएँ काली, बद्धमूरत, तथा डरावनी हाती हैं अथवा उनके साथ उच्छकुलोंका विवाह नहीं होता था। परन्तु जरा भील कन्या थी, यह बात जिनसेनाचार्यके उक्त वाक्योंको लेकर निश्चित रूपसे नहीं कही जासकती। उन परसे जगके सिर्फ म्लेच्छ कन्या होनेका ही पता चलता है, म्लेच्छोंकी किसी जाति विशेषका नहीं। हासकता है कि पं० गजाधर-लाल के कथनानुसार वह भील कन्या ही हो परन्तु पं० दौलतरामके कथनानुसार वह म्लेच्छखण्डके किसी म्लेच्छराजा की कन्या मालूम नहीं होती; क्योंकि जिनसेनाचार्यने साफ तौरसे वसुदेवके चंपापूरीसे उठाये जाने और भागीरथी गंगा नदीमें पटक जानेका उल्लेख किया है और यह वही गंगा नदी है जो युक्तप्रान्त और बंगालमें को बहती है—वह महागंगा नहीं है जो जैनशास्त्रानुसार आर्यखण्डका म्लेच्छखण्डसे अथवा, उत्तरभारतमें, म्लेच्छखण्डका म्लेच्छखण्डसे विभाग करती है—इसका 'भागीरथी' नाम ही इसे उस महागंगासे पृथक् करता है, वह 'अकृत्रिम' और यह 'भागीरथ' द्वारा लाई हुई है (भागीरथेन सानीता तेन भागीरथी स्मृता)। चंपा नगरी भी इसके पास है। अतः 'जरा' इसी भागीरथी गंगाके किनारेके किसी म्लेच्छ राजाकी पुत्री थी और इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पहले म्लेच्छखण्डोंके म्लेच्छोंकी कन्याओंसे ही नहीं किंतु यहांके आर्य-खण्डोद्भव म्लेच्छोंकी कन्याओंसे भी विवाह होताथा। उपरोक्त का भील कन्यासे विवाह भी उसे पृष्ट करना है। इसके सिवाय यह बात इतिहास प्रसिद्ध है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यने सीरिया

के म्लेच्छराजा 'सिंह्युकस' की कन्यासे विवाह किया था । ये सम्राट् चंद्रगुप्त भद्रबाहु धृतकेवलीके शिष्य थे, इन्होंने जैनमुनि दीक्षा भी धारण की थी, जिसका उल्लेख कितने ही जैन शास्त्रों तथा शिलालेखों में पाया जाता है । और जैनियोंकी क्षेत्रगणना के अनुसार सीरिया भी आर्यखण्डका ही एक प्रदेश है । ऐसी हालत में यह बात और भी निर्बिबाद तथा निःसन्देह हो जाती है कि पहले आर्यखण्ड के म्लेच्छों के साथ भी आर्यों अथवा उच्च कुलीनों का विवाह सम्बन्ध होता था ।

हमारे समालोचकजी का चित्त 'जरा' के विषय में बहुत ही डाँवाडोल मालूम होता है—वे स्वयं इस बात का कोई निश्चय नहीं कर सके कि जरा किस की पुत्री थी—कभी उन का यह खयाल होता है कि जरा का पिता म्लेच्छ या भील न होकर म्लेच्छों अथवा भीलों पर शासन करने वाला कोई आर्य राजा होगा और उसीने अपनी कन्या वसुदेवको दी होगी; कभी वे सोचते हैं कि यह कन्या वसुदेवको दी ता होगी भील ने ही परन्तु वह कहीं से उसे छीन लाया होगा—उसकी यह अपनी कन्या नहीं होगी—और फिर कभी उनके चित्त में यह खयाल भी चक्कर लगाता है कि शायद जरा हो तो म्लेच्छ-कन्या ही, परन्तु वह क्षेत्र म्लेच्छ की—म्लेच्छखण्ड के म्लेच्छ की—कन्या होगी, उसका कुलाचार बुरा नहीं होगा अथवा उसके आचरण में कोई नीचता नहीं होगी ! खेद है कि ऐसे अनिश्चित और सदिग्ध चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति भी सुनिश्चित बातों की समालोचना करके उन पर आक्षेप करने के लिये तय्यार हो जाते हैं और उन्हें मिथ्या तक कह डालनेकी धृष्टता कर बैठते हैं ! अस्तु; समालोचकजी, उक्त अवतरण के बाद, अपने खयालों की इसी उधेड़बुन में लिखते हैं:—

“यदि थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाये कि

किसी मलेह की ही कन्या होगी तो मलेह भी कितने ही प्रकारके शास्त्रोंमें कहे हैं। जिनमें एक क्षेत्र मलेह भी है जो कि देश अपेक्षा मलेह कहाते हैं। लेकिन कुलाचार घुरा ही होता है ऐसा नियम नहीं। जैसे पंचाब में रहने वाले हर एक कौम के पंजाबी कहाते हैं, और बंगाल में रहने वालों को बंगाली तथा मद्रास में रहने वालों को मद्रासी कहते हैं किन्तु उन सब का आचरण एकसा नहीं होता। इन देशों में सब ही ऊँचनीच जातियों के मनुष्य रहते हैं फिर यह कहना कि अमुक मनुष्य एक मद्रासी या पंजाबी लड़की के साथ शादी कर लाया, यदि उसी की जाति की ऊँच खानदानकी लड़की हो ना क्या हर्ज है। इसलिये बाबू साहब जो लिखते हैं कि वह कन्या नीच थी यह बात सिद्ध नहीं हो सकती नीच हम जब ही मान सकते हैं जबकि कन्याके जीवनचरित्रमें कुछ नीचना दिखलाई हो।”

अपने इन वाक्यों द्वारा समालोचकजी ने यह सूचित किया है कि वे म्लेच्छ खडों (म्लेच्छ क्षेत्रों) को पंजाब, बंगाल तथा मद्रास जैसी स्थितिके देश समझते हैं, उनमें सबही ऊँच नीच जातियोंके आर्य अनार्य मनुष्योंका निवास मानते हैं और यह जानते हैं कि वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका कुलाचार घुरा नहीं है। इसी लिये संभव है कि वसुदेवजी वहाँ से अपनी ही जातिकी और किसी ऊँचे वंशकी यह कन्या (जरा) विवाह कर ले आए हों। परन्तु समालोचकजीका यह कोरा भ्रम है और जैनशास्त्रोंसे उनकी अनभिज्ञताको प्रकट करता है। वसुदेव 'जरा' को किसी म्लेच्छ-खडसे विवाह कर नहीं लाए, बल्कि बहचपापुरीके निकट प्रदेशमें भागीरथी गंगाके आसपास रहने वाले किसी म्लेच्छ राजाकी कन्या थी, यह बात तो ऊपर श्रीजिन-

सेनाचार्यके वाक्योंसे सिद्ध की जा चुकी है । अब मैं इस भ्रमको भी दूरकर देना चाहता हूँ कि जैनियोंके द्वारा माने हुए *म्लेच्छ खण्डोंमें आर्य जनताका भी निवास है :—

श्रीअमृतचन्द्राचार्य, तत्त्वार्थसारमें, मनुष्योंके आर्य और म्लेच्छ ऐसे दो भेदोंका वर्णन करते हुए, लिखते है :—

आर्यखण्डोद्भवा आर्या म्लेच्छाः केचिच्छकादयः ।

म्लेच्छखण्डोद्भवा म्लेच्छा अन्तर्द्वीपजा अपि ॥२१२॥

अर्थात्—आर्य खण्डमें जो लोग उत्पन्न होते है, वे 'आर्य' कहलाते हैं परन्तु उनमें जो कुछ शकादिक (+ शक, यवन, शबर पुलिन्दादिक) लोग होते हैं वे म्लेच्छ कहे जाते हैं और जो लोग म्लेच्छखण्डोंमें तथा अन्तर्द्वीपोंमें उत्पन्न होते हैं उन सबको 'म्लेच्छ' समझना चाहिये ।

इससे प्रकट है कि आर्य खण्डमें जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे तो आर्य और म्लेच्छ दोनों प्रकारके होते हैं, परन्तु म्लेच्छखण्डोंमें एकही प्रकारके मनुष्य होते हैं और वे म्लेच्छ ही होते हैं । भावार्थ, म्लेच्छोंके मूल भेद तीन हैं १ आर्य खण्डोद्भव, २ म्लेच्छखण्डोद्भव ×, ३ अन्तर्द्वीपज और आर्योंका मूलभेद एक आर्यखण्डोद्भव ही है । जब यह बात है तब म्लेच्छखण्डोंमें आर्य राजाओंका होना और उनकी कन्याओंसे अकवर्ती आदिक

*आधुनिक भूगोलवादियोंको इन म्लेच्छ खण्डोंका अभी तक कोई पता नहीं चला । अब तक जितनी पृथ्वीकी खोज हुई है वह सब, जैनियोंकी क्षेत्र गणनाके अनुसार अथवा उनके मापकी दृष्टिसे, आर्य खण्डके ही भीतर आ जाती है ।

+ यथा :—“शकयवनशबरपुलिन्दादयः म्लेच्छाः”

× इन पहले दो भेदोंका नाम 'कर्मभूमिज' भी है ।

विवाह करना अथवा वसुदेवका वहाँसे अपनी ही जातिकी कन्याका ले आना कैसे बन सकता है ? कदापि नहीं। और इस लिये यह समझना चाहिये कि जिन लोगोंने—चाहे वे कोई भी क्यों न हों—म्लेच्छ खड्डोंकी कन्याओंसे विवाह किया है उन्होंने म्लेच्छोंकी म्लेच्छ कन्याओंसे विवाह किया है। म्लेच्छत्वकी दृष्टिसे कर्मभूमिके सभी म्लेच्छ समान हैं और उनका प्रायः वही समान आचार है जिसका उल्लख भगवज्जिनसेना-चार्यने अपने उस पद्यमें किया है जो ऊपर उद्धृत किये हुए उदाहरणश में दिया हुआ है। समालोचकजीको वह म्लेच्छाचार देखकर बहुतही क्षोभ हुआ मालूम होता है। आपने जराके पिताको किसी तरह पर उस म्लेच्छाचारसे सुरक्षित रखनेके लिये जो प्रपञ्च रचा है उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य तथा खेद होता है ! आप सबसे पहले लेखक पर इस बातका आक्षेप करते हैं कि उसने उक्त पद्यके आगे पाँछेके दोचार श्लोकोंको लिखकर यह नहीं दिखलाया कि उसमें कैसे म्लेच्छोंका आचार दिया हुआ है। परन्तु स्वयं उन श्लोकोंको उद्धृत करके और सबका अर्थ देकर भी आप उक्त पद्यके प्रतिपाद्याविषय अथवा अर्थ-संबंधमें किसी भी विशेषताका उल्लेख करनेके लिये समर्थ नहीं होसके—यह नहीं बनला सके कि वह—हिंसामें रति, मांसभक्षणमें प्रीति और जबरदस्ती दूसरोंकी धनसम्पत्तिका हरना, इत्यादि—म्लेच्छों का प्रायः साधारण आचरण न हांकर अमुक जातिके म्लेच्छोंका आचार है। और न यह ही दिखलासके कि लेखकके उद्धृत किये हुए उक्त कथका अर्थ किसी दूसरे पद्य पर अवलम्बित है, जिसकी वजहसे उसदूसरे पद्यको भी उद्धृत करना जरूरी था और उसे उद्धृत न करनेसे उसके अर्थमें अमुक बाधा आगई। वास्तवमें वह अपने विषयका एक स्वतंत्र पद्य है और उसमें 'म्लेच्छाच्च रो हि' और 'इतिस्मृतम्' ये शब्द साफ़

बतला रहे हैं कि उसमें 'हिंसायां रतिः' (हिंसामें रति) आदि रूपसे जिस आचारका कथन है वह निश्चयसे म्लेच्छाचार है— म्लेच्छोंका सर्व सामान्याचार है। 'इतिस्मृतम्' शब्दोंका अर्थ होता है ऐसा कहा गया, प्रतिपादन किया गया अथवा स्मृति शास्त्र द्वारा विधान किया गया। हाँ, अगले पद्यका अर्थ इस पद्य पर अवलम्बित जरूर है, और वह अगला पद्य जिसे समा-लोचक जी ने भी उद्धृत किया है इस प्रकार है :—

सोऽस्त्यभीषां च यद्वेदशास्त्रार्थमधमद्विजाः।

तादृशं बहुमन्यन्ते जातिवादावलेपतः ॥ ४२-१८५

इस पद्यमें बतलाया गया है कि 'वह (पूर्व पद्यमें कहा हुआ) म्लेच्छाचार इन (अक्षर म्लेच्छों) में भी पाया जाता है, क्योंकि ये अधमद्विज अपनी जातिके घमंडमें आकर वेदशास्त्रों के अर्थको उस रूपमें बहुत मानते हैं जो उक्त म्लेच्छाचारका प्रतिपादक है।' और इस तरह पर जो लोग वेदार्थ का सहारा लेकर यज्ञी तथा देवताओं की बलिके नामसे बेचारे मूक पशुओं की घोर हिंसा करते तथा मांस खाते हैं उनके उस आचारको म्लेच्छाचारकी उपमा दी गई है और उन्हें कथंचित् *अक्षर म्लेच्छ ठहराया गया है। इससे अधिक इस कथनका ग्रन्थमें कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इस पद्यके " सोऽस्त्यभीषां च " शब्द साफ बतला रहे हैं कि इससे पहिले म्लेच्छोंके सर्वसाधारण आचारका उल्लेख किया गया है और उसी म्लेच्छाचार से इन अधर्म द्विजोंके आचार की तुलना की गई है—न कि इन्हीं का उक्त पद्यमें आचार बतलाया गया है। इसी प्रकरण के एक

*ऐसे लोगोंको, किसी भी रूपमें उनकी जातिको सूचित किये बिना, केवल म्लेच्छ नामसे उल्लेखित नहीं किया जाता।

दूसरे पद्यमें भी इन लोगों के आचरको म्लेच्छाचारकी उपमा दी गई है, लिखा है कि 'तुम निर्ब्रत हो (अहिंसाद्विमतों के पालनसे रहित हो), निर्नमस्कार हो, निर्दय हो, पशुघाती हो और (इसी तरह के और भी) म्लेच्छाचार में परायण हो, तुम्हें धार्मिक द्विज नहीं कह सकते । यथा:—

निर्ब्रता निर्नमस्कारा निर्घृणाः पशुघातिनः ।

म्लेच्छाचारपरा यूयं न स्थाने धार्मिकद्विजाः ॥ १६० ॥

इससे भी 'हिंसा में रति' आदि म्लेच्छों के साधारण आचरका पता चलता है । परन्तु इतने पर भी समालोचकजी खेजक की इस बात को स्वीकार करते हुए कि "अच्छे अच्छे, प्रतिष्ठित, उच्चकुलीन और उत्तमोत्तम पुरुषों ने म्लेच्छराजाओं की कन्याओं से विवाह किया है" लिखते हैं:—

"ठीक है हम भी इस बातको मानते हैं कि चक्रवर्ती म्लेच्छखंडके राजाओं की कन्याओंसे विवाह कर लाते थे लेकिन वे क्षेत्रको अपेक्षा से म्लेच्छ राजा कहाते थे । यह बात नहीं है कि उनके आचरण भी नीच हो या वे माँसखोर व शराबखोर हों अथवा आपके लिखे अनुसार हिंसामें रति माँसभक्षण में प्रीति रखने वाले और जबरदस्ती दूसरोंका धन हरण करने वाले हों । बाबू साहब आपकी लिखी हुई यह बातें उन म्लेच्छ राजाओं में कभी नहीं थी । आपने जो म्लेच्छों के आचरण संबंधी श्लोक दिया है वह केवल जनतामें भ्रम फैलाने के लिये ऊपर नीचे का सबन्ध लाड़कर दिया है" ।

इसके बाद म्लेच्छोंके इस आचर की कुछ सफाई पेश करके, आप फिर लिखते हैं:—

“ उन म्लेच्छोंमें हिंसा माँसभक्षण आदि की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं थी । ”

“ बहुतसे लोग जो म्लेच्छोंको नीच और कदाचरणी समझ रहे हैं उनकी यह समझ बिलकुल मिथ्या है । ”

“ इन म्लेच्छ राजाओं को नीच दिसक मांसखोर आदि कहना सर्वथा मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध है । ”

प.ठक जन, देखा ! समालोचकजीने म्लेच्छखण्डके म्लेच्छों को किस टाइपके म्लेच्छ समझा है । कैसी विचित्र सृष्टिका अनुसंधान किया है ! आपको तो शायद स्वप्नमें भी उसका कभी खयाल न आया हो । अच्छा होता यदि समालोचकजी उन म्लेच्छोंका एक सर्वांगपूर्ण लक्षण भी दे देते । समझमें नहीं आता जब वे लोग हिंसा नहीं करते, माँस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, जबरदस्ती दूसरोंका धन नहीं हरते, अन्याय नहीं करते; ये सब बात उनमें कभी थीं नहीं, वे इनकी प्रवृत्तिसे सर्वथा रहित हैं और साथही नीच तथा कदाचरणी भी न हीं हैं, तो फिर उन्हें 'म्लेच्छ' क्यों कहा गया / उनकी पवित्र भूमिको 'म्लेच्छखण्ड'की संज्ञा क्यों दी गई ? क्या उनसे किसी आचार्य का कोई अपराध बनमयाथा या वैसेही किसी आचार्यका सिर फिर गया था जो ऐसे हिंसादि पापोंसे शस्पृष्ट पूज्य मनुष्योंको भी 'म्लेच्छ' लिख दिया ? उनसे अधिक आर्योंके और क्या कोई सींग होते हैं, जिससे मनुष्य जातिके आर्य और म्लेच्छ दो जास विभामा किये गये हैं ? महाराज ! आपकी यह सब कल्पना किसीभी समझदारको मान्य नहीं हो सकती । म्लेच्छ प्रायः मलिन और दूषित आचार वाले मनुष्यों का ही नाम है, जिन लोगोंमें कुल-परम्परासे ऐसे कदाचार रुढ़ होजातेहैं उन्हींकी म्लेच्छ संज्ञा पड़ जाती है । धीविद्यानदाचार्य, कर्मभूमिज म्लेच्छोंका वर्णन करते हुए, जिनमें आर्यखडोद्भव और म्लेच्छ-

खण्डोद्भव दोनों प्रकारके, म्लेच्छ शामिल हैं, साफ लिखते हैं:—

कर्मभूमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादयः ।

स्युः परे च तदाचार पालनाद्दृष्टा जनाः ॥

—श्लोक वार्तिक ।

अर्थात्—कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जो म्लेच्छ हैं उनमें यवनादिक तो प्रसिद्धही हैं बाकी यवनादिकसे भिन्न जो दूसरे बहुतसे म्लेच्छ हैं वे सब यवनादिकों (यवन, शबर, पुलिदादिकों) के आचारका ही पालन करते हैं और इसीसे म्लेच्छ कहलाते हैं ।

इससे साफ जाहिर है कि म्लेच्छखण्डोंके म्लेच्छोंका आचार यहाँके शक, यवन शवारादि म्लेच्छोंके आचारसे भिन्न नहीं है और इसलिये यह कहना कि 'म्लेच्छ खंडोंके म्लेच्छोंमें हिंसा तथा मांसभक्षणदिकी सर्वथा प्रवृत्ति नहीं' आगमें भाग लगाना है । आश्रितानदाचार्य म्लेच्छोंके नीच गोत्रादिका उदयभी बतलाते हैं—लिखते हैं उच्च गोत्रादिकके उदयसे आर्य और नीच-गोत्रादिक उदयसे म्लेच्छ होते हैं । यथा:—

“ उच्चैर्गोत्रोदयादेरार्या नीचैर्गोत्रादेश्चम्लेच्छाः ॥ ”

तब, क्या समालोचकजी इन विधानोंके कारण, अपने उक्त वाक्योंके अनुसार, श्री विद्यानदाचार्य की समझ को “बिलकुल मिथ्या” और उनके इस नीच आदि कथनको “सर्वथा मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध” कहनेका साहस करते हैं ? यदि नहीं तो उन्हें अपने उक्त निरर्गल और निःसार वाक्योंके लिये पश्चात्ताप होना चाहिये । और जेद् है कि समालोचकजीने बिना सांचे समझे जहाँ जो जी में आया लिख मारा है ! लेखकके शास्त्रीय वर्णनोंको इसी तरह 'सर्वथा मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध' बतलाया गया है, और यह उनके सर्वथा मिथ्या और शास्त्रविरुद्ध

कथन—दाइपका एक नमूना है—उसकी खास बातगी है। खाली इस बातको छिपानेके लिये कि 'जरा' ऐसे मनुष्यकी कन्या थी जो म्लेच्छ होनेसे हिन्दूक और मांस-भक्षण कहा जासकता है आपने म्लेच्छाचारको ही उलट देना चाहा है, यह कितना दुःसाहस है ! म्लेच्छोंका आचार तो हिन्दू ग्रन्थोंमें भी मांस भक्षणादिक रूप पाया जाता है, जैसा कि 'प्रायश्चित्तत्व' में कहे हुए उनके बौधायन आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं बहु भापते ।

सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥

अर्थात्—जो गो-मांस भक्षण करता है, बहुत कुछ विरुद्ध बोलता है और सर्व धर्माचारसे रहित है उसे म्लेच्छ कहतहै ।

अब समालोचक जी की उस सफाईको भी लीजिये जो आपने उन म्लेच्छोंके आचार-विषयमें पेश की है, और वह आदिपुराणके निम्न दो श्लोक हैं, जिनमें म्लेच्छखण्डोंके उन म्लेच्छोंका उल्लेख किया गया है जिन्हें भरत चक्रवर्तीके सेनापतिने जीत कर उनसे अपने स्वामीके भोग-योग्य कन्यादिरत्नोंका ग्रहण कियाथा:—

“इत्युपायैरुपायज्ञः साधयन्म्लेच्छभूभुजः ।

तेभ्यः कन्यादिरत्नानि प्रभोर्भोग्यान्नुपाहरत् ॥१४१

धर्मकर्म-बहिर्भूता इत्यमी म्लेच्छका मताः ।

अन्यथान्यैः समाचारैरार्यावर्तेन ते समाः ॥१४२”

इन पद्योंमें से पहले पद्यमें तो म्लेच्छ राजाओंको जीतने और उनसे कन्यादिरत्नोंके ग्रहण करनेका वही हाल है जो ऊपर बतलाया गया है और दूसरे पद्यमें लिखा है कि 'ये लोग धर्म (अहिंसादि) और कर्म (निरामिष-भोजनादिरूप

सदाचार) से वहिर्भूत हैं-भ्रष्ट हैं-इस लिये इन्हें म्लेच्छ कहते हैं, अन्यथा, दूसरे आचरणों (अग्नि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प और विवाहादि कर्मों) की दृष्टिमें आर्यावर्त की जनताके समान है (अन्तर्द्वीपज म्लेच्छोंके समान नहीं) ।

बस, इस एक श्लोक पर से ही समालोचकजी अपने उस सब कथन का सिद्ध समझते हैं जिसका विधान उन्होंने अपने उक्त वाक्यों में किया है ! परन्तु इस श्लोक में तो साफ़ तौर पर उन म्लेच्छों का धर्म कर्म से वहिर्भूत ठहराया है, और इससे अगले ही निम्न पद्यमें उनके निवासस्थान म्लेच्छखण्डका ' धर्म कर्म की अभूमि ' प्रतिपादन किया है । अर्थात्, यह बतलाया है कि वह भूमि धर्म कर्म के अप्रग्य है—वहाँ अहिंसादि धर्मों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान नहीं बनता :—

इति प्रसाध्य तां भूमिभूमिं धर्मकर्मणाम् ।

म्लेच्छराजबलैः सार्द्धं सैनानीर्व्यवृतत्पुनः ॥ १४३ ॥

—आदिपुराण, २१वाँ पर्व ।

फिर समालोचकजी किस आधार पर यह सिद्ध समझते हैं कि उन म्लेच्छों में हिंसा तथा मांसभक्षणआदिक की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं है ? हिंसा तो अधर्म ही का नाम है और मांस भक्षणआदिक को असत्कर्म कहते हैं, ये दोनों ही जब वहाँ नहीं और वे लोग नीच तथा कदाचरणी भी नहीं तब तो वे खासे धर्मात्मा, सत्कर्मों और आर्यखण्ड के मनुष्यों से भी भ्रष्ट ठहरे, उन्हें धर्म कर्म से वहिर्भूत कैसे कहा जा सकता है ? क्या धर्म कर्म के और कोई सींग पृच्छ होते हैं जो उनमें नहीं है और इसलिये वे धर्म-कर्म से वहिर्भूत करार दिये गये हैं ? जान पड़ता है यह सब समालोचकजी की विलक्षण समझ का परिणाम है, जो आप उन्हें म्लेच्छ भी मानते हैं, धर्म कर्म से वहिः

भूत भी बतलाते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि वे हिंसा तथा मांसमद्यणादिकसे अलिप्त हैं—उनमें ऐसे पापों तथा कदा-चरणों की प्रवृत्ति ही नहीं !! वाह ! क्या खूब !! समालोचक जीकी इस समझ पर एक फार्सी कवि का यह वाक्य बिलकुल चरितार्थ होता है—

“ बरीं अक्कोदानिश बबायद् गरीस्त । ”

अर्थात्—ऐसी बुद्धि और समझ पर रोना चाहिये ।

आप लिखते हैं ‘ यदि वे [म्लेच्छ] नीच होते तो ‘उनके अन्य सब आचरण आर्यखण्डके समान होतेहैं’ ऐसा आचार्य कभी नहीं लिखते।’ परन्तु खेद् है आपने यह समझने की ज़रा भी कोशिश नहीं की कि वे आचरण कौनसे हैं और उन की समानतासे क्या वह नीचता दूर होसकती है। इसी देश में भी जिन्हें आप नीच समझते हैं उनके कुछ आचरणोंको छोड़ कर शेष सब आचरण ऊँचसे ऊँच कहलानेवाली जातियों के समान हैं; तब क्या इस समानता परसे ही वे ऊँच होगये और आप उन्हें ऊँच मानने के लिये तय्यार है ? यदि समानता का ऐसा नियम हो तब तो फिर कोई भी नीच नहीं रहसकता और श्री विद्यानन्दाचार्यने ग़लती की जो म्लेच्छोंके नीच गोत्रादिका उदय बतला दिया ! परन्तु ऐसा नहीं है; वास्तवमें ऊँचता और नीचता खास खास गुण दोषों पर अवलम्बित होती है—दूसरे आचरणोंकी समानतासे उसपर प्रायः कोई असर नहीं पड़ता ।

लेखकने, यद्यपि, अपने लेखमें यह कहीं नहीं लिखा था कि जरा ‘नीच थी,’ जैसाकि समालोचकजीने अपने पाठकोंको सुभाषा है किन्तु उसके पिताकी बाबत सिर्फ इतना ही लिखा था कि ‘ वह आर्य तथा उच्च जातिका मनुष्य नहीं था,’ फिर भी समालोचक जी ने, जराकी नीचताका निषेध करते हुए,

जो यह लिखनेका कष्ट उठाया है कि " नीच इम [उसे] तबही मान सकते हैं जबकि उस कन्याके जीवन चरितमें कुछ नीचता दिखलाई हो," इसका क्या अर्थ है वह कुछ समझमें नहीं आता । क्या समालोचकजी इसके द्वारा यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि ' किसी तरह पर अच्छे मस्कारो मँरहनेके कारण नीच जातिमें उत्पन्न हुई कन्याओंके जीवनचरित में यदि नीचताकी कोई घात न दिखलाई पडती हो तो हम उन्हें ऊँच मानने, उनसे ऊँच जातियोंकी कन्याओं जैसा व्यवहार करने और ऊँच जाति वालों के साथ उनके विवाह-सम्बन्धको उचित ठहरानेके लिये तय्यार है ' यदि ऐसा है तब तो आप का यह विचार कितनी ही दृष्टियों से अभिनन्दनीय होसकताहै, और यदि वैसा कुछ आप प्रतिपादन करना नहीं चाहते तो आप का यह लिखना बिलकुल निरर्थक और अप्रासंगिक जान पडताहै।

हमारे समालोचकजीका एक बड़े फिकरने और भी घेरा है और वह है भरत चक्रवर्तीका म्लेच्छकन्याओंसे माना हुआ (admitted) विवाह । आपकी समझमें म्लेच्छोंका उच्चजातिके न मानने पर यह नामुमकिन(असभव) है कि भरतजी नीचजाति की कन्याओंसे विवाह करते, और इसी लिये आप लिखते हैं:—

"यह कभा सम्भव नहीं हो सकनाकि जो भरत गृहस्था-वस्थामें अपने परिणाम ऐसे निर्मल रखते थे कि जिन्हें दीक्षा लेतेही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और जिनके लिये "भरत घरमें ही वैरागो" आदि अनेक प्रकारकी स्तुति प्रसिद्ध हैं वे भरत नीच कन्याओं से विवाह करे । ऐसे महापुरुषोंके लिये नीच कन्याओंके साथ विवाहकी बान कहना केवल उनका अपमान करना है उन्हें कलक लगाना है ।"

इसके उत्तरमें हम सिर्फ इतनाही कहना चाहते हैं कि

भरतजी किसी वक्त घरमें वैरागी ज़रूर थे परन्तु वे उस वक्त वैरागी नहीं थे जबकि दिग्विजय कर रहे थे, युद्धमें लाखों जीवोंका विध्वंस कर रहे थे और हजारों स्त्रियों से विवाह कर रहे थे । यदि उस समय, यह सब कुछ करते हुए, भी वे वैरागी थे तो उनके उस सुहृद् वैराग्यमें एक नीच जातिकी कन्यासे विवाह कर लेने पर कौनसा फर्क पड़ जाता है और वह किधर से बिगड़ जाता है ? महाराज ! आप भरतजी की चिन्ताको छुंड़िये, वे आप जैसे अनुदार विचारके नहीं थे । उन्होंने राजाओंको क्षात्र धर्मका उपदेश देने हुए स्पष्ट कहा है :—

स्वदेशेऽनन्तरम्लेच्छान् प्रजावाधाविधायिनः ।

कुलशुद्धिप्रदानार्थैः स्वसात्कुर्यादुपक्रमैः ॥ १७६ ॥

—आदिपुराण, पर्व ४२ वाँ ।

अर्थात्—अपने देशमें जो अज्ञानी म्लेच्छ प्रजाको बाधा पहुँचानेहों—लटमार करतेहों—उन्हे कुलशुद्धि—प्रदानादिकके द्वारा क्रमशः अपने बना लेने चाहिये ।

यहां कुल शुद्धिके द्वारा अपने बना लेने का स्पष्ट अर्थ म्लेच्छोंके साथ विवाह संबन्धस्थापित करने और उन्हें अपने धर्ममें दीक्षित करके अपनी जातिमें शामिल कर लेनेका है । साथही, यहभी जाहिर होता है कि म्लेच्छोंका कुल शब्द नहीं। और जब कुलही शुद्ध नहीं तब जातिशुद्धिकी कल्पना तो बहुत दूरकी बात है ।

भरतजीने, अपने ऐसेही विचारों के अनुसार, यह जानते हुए भी कि म्लेच्छोंका कुल शुद्ध नहीं है, उनकी बहुतसी कन्याओं से विवाह किया । जिनकी सख्या, आदिपुराणमें, मुकुटबद्ध राजाओंकी संख्या जितनी बतलाई है । साथही, भरतजीकी कुल-जातिसंपन्ना स्त्रियों की संख्या उससे अलग दी है । यथ ॥—

कुलजात्यभिसम्पन्ना देव्यस्तावत्पमाः स्मृताः ।

रूपलावण्यकान्तीनां याः शुद्धाकरभूमयः ॥ ३४ ॥

म्लेच्छराजादिभिर्दत्तास्तावन्त्यो नृपवन्तभाः ।

अप्सरः संकथा क्षोणीं यकाभिरवतारिताः ॥ ३५ ॥

—३७ वाँ पर्व ।

इनमेंसे पहिले पद्यमें आर्य जातिकी स्त्रियोंका उल्लेख है और उन्हें 'कुलजात्यभिसंपन्ना' लिखा है । और दूसरे पद्यमें म्लेच्छ जातिके राजादिकों की दी हुई स्त्रियों का वर्णन है । इससे जाहिर है कि भरत चक्रवर्तीने म्लेच्छोंकी जिन कन्याओं से विवाह किया वे कुल जातिसे संपन्न नहीं थीं—अर्थात्, उच्चकुल जातिकी नहीं थी । साथही, 'म्लेच्छराजादिभिः' पद्यमें आए हुए 'आदि' शब्दसे यह भी मालूम होता है कि वे म्लेच्छ कन्याएँ केवल म्लेच्छ राजाओं ही की नहीं थीं बल्कि दूसरे म्लेच्छोंकी भी थीं । ऐसी हालतमें समालोचजीकी उक्त समझ कहीं तक ठोक है और उनके उस लिखनेका क्या मूल्य है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । लेखक तो यहाँ पर सिर्फ इतना और बतला देना चाहता है कि पहले जमानेमें दुष्कुलोंसे भी उत्तम कन्याएँ ले ली जाती थीं और उन्हें अपने संस्कारों द्वारा उसी तरह पर ठोक कर लिया जाता था जिस तरह कि एक रत्न संस्कारके योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है अथवा सुवर्ण धातु संस्कारको पाकर शुद्ध हो जाता है । इसीसे यह प्रसिद्धि चली आती है—“कन्यारत्नं दुष्कुलादपि” । अर्थात्, दुष्कुलसे भी कन्यारत्न ले लेना चाहिये । उस समय पितृकुल और मातृकुलकी शुद्धिको लिये हुए 'सज्जाति' दो प्रकारकी मानी जाती थी—एक शरीर जन्मसे और दूसरी संस्कार-जन्मसे । शरीरजन्मसे उत्पन्न होने वाली सज्जातिका सद्भाव

प्रायः आर्यखण्डोंमें माना जाता था*—म्लेच्छखण्डोंमें नहीं । म्लेच्छखण्डोंमें तो संस्कार जन्मसे उत्पन्न होनेवाली सज्जातिका भी सद्भाव नहीं बनता; क्योंकि वहाँकी भूमि धर्म कर्मके अयोग्य है—उसका वातावरणही बिगड़ा हुआ है । हाँ, वहाँके जो लोग यहाँ आजाते थे वे संस्कारके बलसे सज्जातिमें परिणत किये जा सकतेथे और तब उनकी म्लेच्छसजा नहीं रहती थी । यहाँकी जो व्यक्तियाँ शरीरजन्मसे अशुद्ध हाती थी उन्हें भी अपने धर्ममें दाक्षित करके, संस्कार जन्मके योग से सज्जातिमें परिणत करलिया जाताथा और इस तरह परनीचोंको ऊँच बना लिया जाताथा । ऐसे लोगोंका वह संस्कार जन्म 'अबानिसम्भवं' कहलाता था + । म्लेच्छा के भ्रास अथवा दुर्मित्तादि किसी भी कारणसे यदि किसीके सत्कुलमें कोई बट्टा लग जाता था—दोष आजाता था—तो राजा अथवा पत्नी आदिकी सम्मति से उसकी कुलशुद्धि हाँ सकती थी और उसकुलके व्यक्ति तब उपनयन (यज्ञापत्नीत) संस्कारके योग्य समझे जाते थे । इस कुलशुद्धिका विधान भी आदिपुराण में पाया जाता है । यथा :—

*सज्जन्मप्रतिलंभोऽयमार्यावर्त्तं विशेषतः ।

सतां देहादिसामग्र्यां धेयः सूते हि देहिनाम् ॥२७॥

शरीरजन्मना सैषा सज्जातिरुपवर्णिता ।

एतन्मूला यतः सर्वाः पुंसामिष्टार्थसिद्धयः ॥२८॥

संस्कारजन्मना चान्या सज्जातिरनुकीर्त्यते ।

यामासाद्य द्विजन्मत्वं भव्यात्मा समुपाश्नुते ॥ २९॥

— आदिपुराण, ३२वाँ पर्व ।

+ अबानिसम्भवं दिव्यज्ञानगर्भं समुद्भवं ।

सोऽधिगम्य परं जन्म तदा सज्जातिभाग्भवेत् ॥३०॥

— आदिपुराण पर्व ३२वाँ ।

कुतरिचत्कारणाद्यस्य कुलं सम्प्राप्तदूषणम् ।

सोऽपि राजादिसम्पत्या शोभयेत्स्वं यदाकुलं ॥१६८॥

तदाऽस्योपनयार्हत्वं पुत्रपौत्रादिसंतती ।

न निषिद्धं हि दीक्षाहं कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥१६९॥

—४०वें सर्ग ।

शुद्धिका यह उपदेश भी भरतचक्रवर्तीका दिया हुआ आदिपुराण में बनलाया गया है और इससे दम्सो तथा हिन्दूसं मुसलमान बने हुए मनुष्योंकी शुद्धिका खासा अधिकार पाया जाता है । ऐसी हालतमें समालोचकजी भरत महाराजके अपमान और कलंककी बातका क्या खयाल करते हैं, वे उनके उदार विचारों का नहीं पहुँच सकते, उन्हें अपनी ही संभाल करनी चाहिये । जिसे वे अपमान और दूषण (कलक)की बात समझते हैं वह भरतजीके लिये अभिमान और भूषणकी बात थी । वे समर्थ थे, योजक थे, उनमें योजनाशक्ति थी और अपनी उस शक्तिके अनुसार वे प्रायः किसी भी मनुष्यका अयोग्य नहीं समझते थे—सभी भव्यपुरुषोंको योग्यतामं परिणत करने अथवा उनका योग्यतासे काम लेनेके लिये सदा तय्यार रहते थे । और यह उन्हीं जैसे उदारहृदय योजकोंके उपदेशादि का परिणाम है जो प्राचीन कालमें कितनी ही म्लेच्छ जातियोंके लोग इस भारतवर्ष में आए और यहाँके जैन, बौद्ध, अथवा हिन्दू धर्मोंमें दीक्षित होकर आर्य जनता में परिणत होगये । और इतने मखलून हुए (मिलगये) कि आज उनके वशके पूर्वपुरुषोंका पता चलाना भी मुशकिल हो रहा है । समालोचकजीको भारतके प्राचीन इतिहासका यदि कुछ भी पता होता तो वे एक म्लेच्छ कन्याके विवाह पर इतना न चौकते और न सत्य पर पर्दा डालनेकी जघन्य चेष्टा करते । अस्तु ।

इस सब कथनसे साफ़ ज़ाहिर होता है कि—जिस जराका यस्तुदेवके साथ विवाह हुआ, जिसके पुत्र जरत्कुमारने राजपाट छोड़कर जैनमुनि-दीक्षा तक धारणकी और जिसकी संततिमें होने वाले जितशत्रु राजासे भगवान महावीरकी वृथा व्याही गई वह एक म्लेच्छ राजाकी कन्या थी, भील भी म्लेच्छोंकी एक जाति होनेसे वह भील कन्या भी हो सकती है परन्तु वह म्लेच्छ खंडके किसी म्लेच्छ राजाकी कन्या नहीं थी किन्तु आर्यखण्डोद्भव म्लेच्छ राजाकी कन्या थी जो चम्पापुरीके पासके इलाके में रहता था । म्लेच्छखंडोंमें आर्योंका उद्भव नहीं । म्लेच्छोंका सर्व सामान्याचार वही हिंसा करना और मांस भक्षणःदिक है । म्लेच्छ खंडोंके म्लेच्छभी उस आचारसे खाली नहीं हैं, वे खास तौरपर धर्म कर्मसे वहिर्भूत हैं और उनका क्षेत्र धर्म कर्मके अयोग्य माना गया है वहाँ सजातिका उत्पाद भी प्रायः नहीं बनता । म्लेच्छोंमें नीच गोत्रादिकका उद्भवभी बतलाया गया है और इससे यह नहीं कहा जासकताकि वे उच्चजातिके होते हैं । भरत चक्रवर्तीने (तदनुसार और भी चक्रवर्तियोंने) म्लेच्छ राजादिका की बहुतसी कन्याओंसे विवाह किया है, वे हीन कुल जातिकी कन्याओंसे विवाह कर लेना अनुचित नहीं समझते थे, उन्होंने म्लेच्छोंकी कुलशुद्धि करने और जिनके कुलमें किसी वजहसे कोई दोष लग गया हो उन्हें भी शुद्ध कर लेनेका विधान किया है । उस वक्तसे न मालूम कितने म्लेच्छ शुद्ध होकर आर्यजनतामें परिणत हुए । इतिहाससे कितनेही म्लेच्छ राजादिकोंका आर्य जनतामें शामिल होनेका पता चलता है । पहले जमानेमें दुष्कुलोंसे भी उत्तम कन्याएँ ले ली जाती थीं, राजा भ्रौणिकके पिताने भील कन्यासे विवाह किया और सम्राट चंद्रगुप्तने एक म्लेच्छराजाकी कन्यासे शादी की । ऐसी हालतमें समालोचकजीने उदाहरणके इस अंश पर जो कुछ भी

आक्षेप किये हैं वे सब मिथ्या तथा व्यर्थ हैं और उनकी पूरी न्यसमझी प्रकट करते हैं ।

अब उदाहरणके तृतीय अंश—‘प्रियंगुसुन्दरीसे विवाह’—को लीलिये ।

व्यभिचारजातों और दस्सोंसे विवाह ।

लेखकने लिखा था कि “—प्रियंगुसुन्दरीके पिताका नाम ‘एणीपुत्र’ था । यह एणीपुत्र ‘ऋषिदत्ता’ नामकी एक अविवाहिता तापस-कन्यासे व्यभिचारद्वारा उत्पन्न हुआ था । प्रसव-समय उक्त ऋषिदत्ताका देहान्त हो गया और वह मरकर देवी हुई, जिसने एणी अर्थात् हरिणीका रूप धारण करके जगलमें अपने इस नवजात शिशुको स्तन्यपानादिसे पाला और पाल पोषकर अन्तको शीलामुध राजाके सपुर्द कर दिया । इससे प्रियंगुसुन्दरीका पिता एणीपुत्र ‘व्यभिचारजात’ था, जिसको आज कलकी भाषामें ‘दस्सा’ या ‘गाटा’ भी कहना चाहिये । वसुदेवजीने विवाहके समय यह सब हाल जान करभी इस विवाहको किसी प्रकारसे दूषित, अनुचित, अथवा अशास्त्र-सम्मत नहीं समझा और इस लिये उन्होने बड़ी खुशीके साथ प्रियंगुसुन्दरीका भी पाणिग्रहण किया ।”

उदाहरणके इस अंश पर जो कुछ भी आपत्ति की गई है उसका सांगंश सिर्फ इतनाही है कि एणीपुत्र व्यभिचारजात नहीं था किन्तु गन्धर्व विवाहसे उत्पन्न हुआ था । परन्तु ऋषिदत्ताका शीलामुधसे गन्धर्व विवाह हुआ था, ऐसा उल्लेख जिनसेनाचार्यने अपने हरिवंशपुराणमें कहाँ किया है, इस बातको समालोचकजी नहीं बतला सके । आपने उक्त हरिवंशपुराणके आधार पर कई पृष्ठोंमें ऋषिदत्ताकी कुछ विस्तृत कथा देते हुए

भी, जिनसेनाचार्यका एक भी वाक्य ऐसा उद्धृत नहीं किया जिससे गंधर्वविवाहका पता चलता । सारी कथामेंसे नीचे लिखे कुल दो वाक्य उद्धृत किये गये हैं जो दोपद्योंके दो चरणहैं:-

“ऋतुमत्यार्यपुत्राहं यदिस्यां गर्भधारिणी ।”

“पृष्ठस्तथा [तः] सतामाह या [मा] कुलाभूः प्रियेशृणु”

इनमेंसे पहले चरणमें ऋषिदत्ताके प्रश्नका एक अंश और दूसरेमें शीलायुधके उत्तरका, एक अंश है । समालोचकजी कहते हैं कि कामक्रीडाके अनन्तर की बात चीतमें जब ऋषिदत्ताने शीलायुधको ‘आर्यपुत्र’ कहकर और और शीलायुधने ऋषिदत्ताको ‘प्रिये’ कहकर संबोधन किया तो इससे उनके गंधर्व विवाहका पता चलता है—यह मालूम होता है कि उन्होंने आपसमें पति-पत्नी होनेका ठहराव कर लिया था और तभी भोग किया था; क्योंकि “आर्यपुत्र जो विशेषण है यह पतिके लिये ही होता है” और “जो प्रिये विशेषण है यह पत्नीके ही लिये होता है ।” इसी प्रकार जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवश-पुराणसे सिर्फ एक वाक्य (“इति पृष्ठः सतामूचे मा भैषी शृणु वल्लभे”) उद्धृत करके उसमें आप हुए ‘वल्लभे’ विशेषणकी बाबत लिखा है—“ये भी पत्नीके लियेही होता है ।” परन्तु ये विशेषण पति-पत्नीके लियेही प्रयुक्त होतेहैं—अन्यके लिये नहीं—ऐसा कही भी कोई नियम नहीं देखा जाता । शब्द-कोशोंके देखनेसे मालूम होता है कि आर्य पुत्र “आर्यस्य पुत्र” —आर्यके पुत्रको, “मान्यस्य पुत्र” —मान्यके पुत्रको और “गुरुपुत्र” —गुरुके पुत्रको भी कहते हैं (देखो ‘शब्दकल्पद्रुम’) । ‘आर्य’ शब्द पूज्य, स्वामी, मित्र, श्रेष्ठ, आदि कितनेही अर्थोंमें व्यवहृत होता है और इस लिये ‘आर्य पुत्र’ के और भी कितने ही अर्थ तथा वाक्य होते हैं । वामन शिवराम पेण्टेने, अपने कोशमें, यहभी बत-

साया है कि आर्य पुत्र 'बड़े भाईके पुत्र' और 'राजा' के लिये भी एक गौरवान्वित विशेषणके तौरपर प्रयुक्त होता है। यथा:—
आर्यपुत्र —honornific designation of the son of the elder brother ; or of a prince by his general &c.

ऐसी हालतमें एक मान्य और प्रतिष्ठत जन तथा राजा समझ कर भी उक्त सम्बोधन पदका प्रयोग हो सकता है और उससे यह लाजिमी नहीं आता कि उनका विवाह होकर पति-पत्नी संबंध स्थापित होगया था। इसी तरह पर 'प्रिया' और 'वल्लभा' शब्दोंके लिये भी, जो दोनों एक ही अर्थको वाचक है, ऐसा नियम नहीं है कि वे अपनी विवाहिता स्त्रीके लिये ही प्रयुक्त होते हों—वे साधारण स्त्री मात्रके लिये भी व्यवहृत होते हैं, जो अपनेको प्यारी हो। इसीसे उक्त पेट्टे साहबने 'प्रिया' का अर्थ a woman in general और वल्लभाका a beloved female भी दिया है। कामांजन तो अपनी कामुकियों अथवा प्रेमिकाओंको इन्हीं शब्दोंमें क्या इनसेभी अधिक प्रेम व्यक्त शब्दोंमें सम्बोधन करते हैं। ऐसी हालतमें ऋषि-दत्ताके प्रेमपाशमें बंधे हुए उस कामांध शीलायुधने यदि उसे 'प्रिये' अथवा 'वल्लभे' कहकर सम्बोधन किया तो इसमें कौन आश्चर्यकी बात है? इन सम्बोधन पदोंसे ही क्या दोनोंका विवाह सिद्ध होता है? कभी नहीं। केवल भोग करने से भी गंधर्व विवाह सिद्ध नहीं होजाता, जब तक कि उससे पहले दोनोंमें पति पत्नी बननेका दृढ़ संकल्प और ठहराव न होगया हो। अन्यथा, कितनी ही कन्याएँ कुमारावस्थामें भोग कर लेनी हैं और वे फिर दूसरे पुरुषोंसे व्याही जाती हैं। इस लिये गंधर्व विवाहके लिये भोगसे पहले उक्त संकल्प तथा ठहराव का होना जरूरी और लाजिमी है। समालोचक जी कहते भी हैं कि उनदोनोंने ऐसा निश्चय करके ही भांग किया था, परन्तु

जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणमें उस संकल्प, ठहराव अथवा निश्चयका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। भांगके पश्चात् भी ऋषिदत्ता की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं पाई जाती जिससे यह मालूम होता हो कि उसने आजन्मके लिये शीलायुधको अपना पति बनाया था।

समालोचकजी एक बात और भी प्रकट करतेहैं और वह यह कि ऋषिदत्ता पचाण्डवतधारिणी थी और 'सभ्यक्त्व सहित मरी थी "इसी लिये यह बिना किसीका पति बनाये कभी काममेघन नहीं कर सकती थी।" परन्तु सकने और न सकने का सवाल तो बहुत टेढा है। हम सिर्फ इतनाही पछुना चाहते हैं कि यह कहाँका और कौनसे शास्त्रका नियम है कि जो सम्यक्त्व सहित मरण करे उसका संपूर्ण जीवन पवित्र ही रहा हो—उसने कभी व्यभिचार न किया हो ? किसी भी शास्त्रमें ऐसा नियम नहीं पाया जाता। और न यही देखनेमें आता है कि जिसने एक बार अणुव्रत धारण कर लिये वह कभी उनसे भ्रष्ट न होसकता हो। अणुव्रतीकी तो बात ही क्या अच्छे अच्छे महाव्रती भी कामपिशाचके वशवर्ती होकर कभी कभी भ्रष्ट होगये हैं। चारुदत्त भी तो अणुव्रती थे और श्रावकके इन व्रतोंको लेनेके बाद ही वेश्यासक्त हुए थे। फिर यह कैसे कहा जासकता है कि ऋषिदत्तासे व्यभिचार नहीं बन सकता था। श्रीजिनसेनाचार्यने तो साफ लिखा है कि उन दोनोंके पारस्परिक प्रेमने चिरकालकी मर्यादा को तोड़ दिया था। यथा :—

‡शांतायुधसुतः श्रीमांश्रावस्तीपतिरेकदा ।

‡जिनदास ब्रह्मचारीने, अपने हरिवंशपुराणमें, इन चारों पद्योंकी जगह नीचे लिखे तीन पद्य दिये हैं :—

शांतायुधात्मजो जातु श्रावस्तीनगरीपतिः ।

शीलायुध इतिरुयातः संयातस्तापसाश्रमम् ॥३६ ॥

एकयैव कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया ।

रुच्याहारैर्मनोहारि-सवल्कलकुचश्रिया ॥ ३७ ॥

अतिविश्रंभतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयोः ।

विभेद निजमर्यादां चिरं समनुपालिताम् ॥ ३८ ॥

गते रहसि निःशंकं निःशंकस्तामसौ युवा ।

अरीरमद्यथाकामं कामपाशवशो वशां ॥ ३९ ॥

—हरिवंशपुराण ।

अर्थात्—एक दिन शांतायुधका पुत्र शीलायुध, जो धा-
वस्ती नगरीका राजा था, तापसामश्रममें गया । वहाँ वह तापस-
कन्या ऋषिदत्ता अकेली थी और उसने ही सुन्दर भोजनसे
राजाका अतिथि-सत्कार किया । ये दोनों अति रूपवान थे,
इनके परस्पर केलिकलह उपस्थित होने—अथावा स्नेहके बढ़ने
से—दोनोंके प्रेमने चिरकालसे पालन की हुई मर्यादाको तोड़
डाला । और वह कामपाशके वश हुआ युवा शीलायुध उस
कामपाशवशवर्तिनी ऋषिदत्ताको एकान्त में लेजाकर उससे
निःशंक हुआ यथेष्ट काम कीडा करने लगा ।

प० दौलतरामजी भी अपनी टीकामें लिखते हैं—“ऋषि-
दत्ता तापसकी कन्या अकेली हुती तानें शीलायुधको मनोहर

शीलायुधाभिधोयासीत् तापसजनाश्रमं ॥ ३६ ॥

तयैकयैव विहितानिध्यस्तापसकन्यया ।

धन्याहारैः परां प्रीतिं स तथा सह संगतः ॥३७ ॥

ततो रहसि निःशंकस्तामसौतापसात्मजां ।

बुभुजे कामनाराचवशात्पीकृतविग्रहाम् ॥ ३८ ॥

आहार कराया, ए दोऊही अतुल रूप सो इनके प्रेम बढ़ा सो चिरकालकी मर्यादा हुती सो भेदी गई । एकांत विषै दाऊ निशक भये यथेष्ट रमते भये ।” और पं० गजाधरलालजी ३८ वें पद्यके अनुवादमें लिखते हैं—“वे दोनों गाढ़ प्रेम बंधनमें बध गये उनके उस प्रेम बधने यहाँ तक दोनों पर प्रभाव जमा दिया कि नतो ऋषिदत्ताको अपनी तपस्विमर्यादाका ध्यान रहा और न राजा शीलायुधको ही अपनी वंशमर्यादा सांचनेका अबसर मिला ।” और इसके बाद आपने यह भी जाहिर किया है कि “ऋषिदत्ताको अपने अविचारित काम पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ मारे भयके उसका शरीर धर धर काँपने लगा ।”

श्रीजिनसेनाचार्यके वाक्यो और उक्त टीका वचनां से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है हि ऋषिदत्ता और शीलायुधने विवाह न करके व्यभिचार कियाथा । हरिवंशपुराणके उक्त चारों पद्यों में शीलायुधके आश्रममें जाने और भोग करने तकका पूरा वर्णन है परन्तु उसमें कहीं भी पति-पत्नीके संबंध-विषयक किसी ठहराव, सकल्प, प्रतिज्ञा या विवाहका कोई उल्लेख नहीं है । फिर यह कैसे कहा जासकता है कि इन दोनोंका गन्धर्व विवाह हुआथा ? समालोचकजी, कथाका पूर्णश (?) देते हुए लिखते हैं :—

“ चूँकि राजपुत्र भी तरुण तथा रूपवान था और कन्या भी सुन्दरी व लावण्यवती थी इनका आपस में एक दूसरे पर विश्वास हो गया । (पति पत्नी बनने की वार्ता हो गई) जो कि गन्धर्व विवाह से भली भाँति घटित होता है । और इन्होंने परस्पर में काम क्रीडा की ” ।

मालूम होता है यह आपने उक्त ३८ वें और ३९ वें पद्यों का पूर्णश नहीं किन्तु सारांश दिया है और इस में चिरपालित

मर्यादा को तोड़ने की बात आप कतई छिपा गये ! अथवा यों कहिये कि, कथाका उपयुक्त सारांश देने पर भी, कथाके अंश को छिपानेका जो इलजाम आपने लेखक पर लगाया था उसके स्वयं मुलजिम और मुजरिम (अपराधी) बन गये । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि ३८वें पद्य में आप हुए “ अति-विश्रमनः ”, पद का अर्थ आपने ‘ विश्वास होगया ’ समझा, उसे ही पति-पत्नी बनने की वार्ता होना मान लिया ! और फिर उसीको गंधर्व विवाह में घटित कर लिया !! वाह ! क्या ही अच्छा आसान नुसखा आपने निकाला ! कुछ भी करना धरना न पड़े और मुफ्त में पाठकों को गंधर्व विवाह का पाठ पढ़ा दिया जाय !! महाराज ! इस प्रकार की कपट कला से कोई नतीजा नहीं है । मूल ग्रन्थ में ‘ अतिविश्रमनः ’ यह स्पष्ट पद है, इस में पति-पत्नी बनने की कोई वार्ता छिपी हुई नहीं है और न गंधर्व विवाह ही अपना भुँह ढाँपे हुए बैठा है । ‘ विश्रम ’ शब्द का अर्थ, यद्यपि, विश्वास भी होता है परन्तु ‘ केलिकलह ’ (Love quarrel) और ‘ प्रणय ’ (स्नेह) भी उसके अर्थ हैं (*विश्रमः केलिकलहे, विश्वासे प्रणये वधे) और ये ही अर्थ यहां पर प्रकरण संगत जान पड़ते हैं । ‘ अति विश्वास से प्रेम ने मर्यादा तोड़ दी ’ यह अर्थ कुछ ठीक नहीं बैठता । हाँ, स्नेहके अतिरेकसे अथवा केलिकलहके बढ़नेसे— प्रेमप्रस्तावके लिये अधिक छेड़छाड़ हँसी मजाक और हाथा पाई के होने से—प्रेम ने उनकी चिरपालित मर्यादा ताड़ दी ’, यह अर्थ संगत मालूम होता है । परन्तु कुछ भी सही, आप अपने ‘ विश्वास ’ अर्थ पर ही विश्वास रखें फिर भी तो उसमें से

* यह श्री हेमचन्द्र और श्रीधरसेनाचार्यों का वाक्य है । मेदिनी कोशमें भी ‘केलिकलह’ और ‘पुण्य’ दोनों अर्थ दिये हैं ।

पति-पत्नी होने की कोई बात चीत सुनाई नहीं पड़ती और न गंधर्व विवाह ही के मुख का कहीं से दर्शन होता है । यदि दोनों का गंधर्व विवाह हुआ होता तो कोई वजह नहीं थी कि कया ऋषिदत्ता प्रसव से पहले ही शीलायुध के घर पर न पहुंच गई होती—खासकर ऐसी हालत में जब कि उसने शीलायुध-द्वारा भांगे जाने का हाल अपने माता पिता से भी उसी दिन कह दिया था । साथ ही, समालोचकजीके शब्दों में (मूल ग्रन्थ के शब्दों में नहीं) यह भी कह दिया था कि “ मैं एकान्त में राजा शीलायुध की पत्नी हो चुकी हू । ” ऐसी दशा में तो जितना भी शीघ्र बनता वे प्रकट रूप से उसका बाकायदा (नियमानुसार) विवाह शीलायुधके साथ कर देते और उसे उसके घर पर भेज देते । ऋषिदत्ता को तब क्या ज़रूरत थी कि वह डरती और घबराती हुई यह प्रश्न करती कि ऋतु-मती होनेसे यदि मेरे गर्भ रह गया हो तो मैं उसका क्या करूँगी। एक विवाहिता स्त्री गर्भ रह जाने पर क्या किया करती है ? जब वह खुद बालिग (प्राप्तवयस्क) थी, अपनी खुशी से उसने विवाह किया था और एक ऐसे समर्थ पुरुष के साथ विवाह किया था जो कि राजा था तो फिर उसके लिये डरने, घबराने और थरथर कांपने की क्या ज़रूरत थी ? प्रियंगुसुन्दरी का भी तो वसुदेवके साथ पहले गंधर्व विवाह ही हुआ था । वह तो तभी से उनके साथ रहने लगी थी । और बादको उसका बाजायदा विवाह भी होगया था । हो सकता है कि ऋषिदत्ता अपने तापसी जीवन में ही रहना चाहनी हो और इसीलिये केवल पुत्र के वास्ते उसने पूछ लिया हो कि उसके होने पर क्या किया जाय । ऐसी हालतमें उसका वह कर्म गंधर्व-विवाह नहीं कहला सकता । शीलायुध ने उसके प्रश्नका जो उत्तर दिया उससे भी यह बात नहीं पाई जाती कि उनका परस्पर

विवाह हो गया था । वह कहता है 'प्रिये ! डरे मत, मैं श्रावस्ती नगरी का इक्ष्वाकुवंशी राजा हूँ और शीलायुध मेरा नाम है; जब तेरे पुत्र हो तब तू पुत्र-सहित मेरे पास आइयो—अथवा मुझ से मिलियो ।' बाह ! क्या अन्धा उत्तर है ! क्या अपनी पत्नी को ऐसा ही उत्तर दिया जाता है ? यदि विवाह हो चुका था तो क्यों नहीं उसने इक्ष्वाकु के साथ कहा कि मैं तुम्हें अभी अपने घर पर बुलाये लिये लेता हूँ ? क्यों तापसाश्रम में ही अपने पुत्र का जन्म होने दिया ? और क्यों उसने फिर अन्त तक उसकी कोई खबर नहीं ली ? वह तो उसे यहाँ तक भूल गया कि जब वह मरकर देवी हुई और उसी तापसा वेप में पुत्रको लेकर शीलायुध के पास गई तो उसने उसे पहिचाना तक भी नहीं । क्या इन्हीं लक्षणों से यह जाना जाता है कि दोनों का विवाह हो गया था ? और भोग से पहले पति पत्नी बनने की सब बातचीत तै हो गई थी ? कभी नहीं । उत्तर से तो यह मालूम होता है कि भोग से पहले शीलायुधने अपना इतना भी परिचय उसे नहीं दिया कि वह कौन से वंशका और कहाँका राजा है,—इस परिचयके देनेकी भी उसे बादको ही जरूरत पड़ी—उसने तो अपने वीर्य से उत्पन्न होनेवाले पुत्र की रक्षा आदिके प्रबन्धके लिये ही यह कह दिया मालूम होता है कि तुम उसे लेकर मेरे पास आजाइयो । फिर यह कैसे कहा जासकता है कि दोनों का परिचय और विवाह की बात खीत होकर भोग हुआ था ? यदि दोनों का गंधर्व विवाह हुआ होता तो श्रीजिनसेनाचार्य उसका उसी तरह से स्पष्ट उल्लेख करते जिस तरह से कि उन्होंने इसी प्रकार में प्रियंगुसुन्दरी के गंधर्व विवाह का उल्लेख किया है* । अस्तु; उक्त प्रश्नोत्तर

*यथा:—प्रियंगुसुन्दरी सौरिं रहसि प्रत्यपद्यत ।

सा गंधर्वविवाहादि सहसन्मुखपंकजा ॥६८॥

के श्लोक निम्न प्रकार हैं और वे ऊपर उद्धृत किये हुए पद्यों के ठीक बाद पाये जाते हैं:—

विजिज्ञपत्तस्तं सा साध्वी साध्वसपूरिता ।
 ऋतुमत्यार्यपुत्राहं यदि स्यां गर्भधारिणी ॥ ४० ॥
 तदा वद विधेयं मे किमिहाकुलचेतसः ।
 पृष्ठस्ततः सतामाह माकुलाभूः प्रिये श्रृणु ॥ ४१ ॥
 इत्ताकुलजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः ।
 शीलायुधस्त्वयावश्यं दृष्टव्योहं सपुत्रया ॥ ४२ ॥

यशःकीर्ति भट्टारकके बनाये हुए अपभ्रंशभाषात्मक प्राकृत हरिवंशपुराणमें यही प्रश्नोत्तर इस प्रकारसे दिया हुआ है:—

रिउसंपण्णी काइ करेसमि ।
 हउसोगब्भु का सुयउ देसमि ।
 सीलाउहु णिउ हउं साविच्छिहिं ।
 सो एंदणु महु आणिवि दिज्जहिं ।

अर्थात्—(ऋषिदत्ताने पूछा) मैं ऋतुसम्पन्ना हूँ, यदि मेरे गर्भ रह गया तो मैं क्या करूँगी और उस पुत्रको किसे दूँगी? (उत्तर में शीलायुधने कहा) मैं श्रावस्ती (नगरी) में शीलायुध (नामका) राजा हूँ सो वह पुत्र तुम मुझे लाकर दे देना ।

इसके बाद लिखा है कि 'राजा अपने नगर चला गया और ऋषिदत्ताने वह सब वृत्तांत अपने माता पितासे कहदिया' । यथा

यउ कहेवि सो गउ णिय णयरहो ।
 थिउ वित्तंतु कहिउ तिणि पियरहो ॥

इस प्रश्नोत्तरसे, यद्यपि, यह बात और भी साफ़ जाहिर

होती है कि ऋषिदत्ता और शीलायुधका आपसमें विवाह नहीं हुआ था किन्तु भोग हुआ था और उस भोगसे उत्पन्न होने वाले पुत्रका ही इस प्रश्नोत्तर द्वारा निपटारा किया गया है कि उसका क्या बनेगा । अन्याथा,—विवाहकी हालतमें—ऐसे विलक्षण प्रश्नोत्तर का अवतार ही नहीं बन सकता । परन्तु इस प्रश्नोत्तरसे ठीक पहले शीलायुधके तापसाश्रम में जाने आदिका जो वर्णन दिया है उसमें 'विवाहिय' पद खटकता है और वह वर्णन इस प्रकार है :—

सीलाउहणरवइ तहिं पत्तउ ।

वनकीलइ सो ताए विदिट्टिउ ।

अतिहिं धरि विहुय तहो अणुराइय ।

तेंसि हि सक्खि करेवि विवाहिय ।

समालोचकोंने इस पद्यके अर्थमें लिखा है कि—“किसी समय शीलायुध राजा वहाँ वन कीडाके लिये आया वह [उसे] ऋषिदत्ताने देखा उन दोनोंमें परस्पर अनुराग हो गया और उन्होंने तेंसिको साक्षीकर विवाह कर लिया ।” साथही, यह प्रकट किया है कि 'तेंसि' का अर्थ हमें मिला नहीं, वह निःसंदेह कोई अचेतन पदार्थ जान पड़ता है जिसको साक्षी करके विवाह किया गया है ।

यहाँ, मैं अपने पाठकोंको यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त प्रश्नोत्तर वाला पद्य इस बातको प्रकट कर रहा अथवा माँग रहा है कि उससे पहले पद्यमें भोगका उल्लेख होना चाहिये, तब ही गर्भकी शका और तद्विषयक प्रश्न बन सकता है । परंतु इस पद्यमें भोगका कोई उल्लेख न होकर केवल विवाहका उल्लेख है और विवाह मात्रसे यह लाजिमी नहीं आता कि भोग भी उसी वक्त हुआ हो । मात्र विवाहके अनन्तर ही उक्त

प्रश्नोत्तरका होना बेढंगा मालूम होता है ऐसी हालतमें यहाँ 'विवाहिय' पदका जो प्रयोग पाया जाता है वह संदिग्ध जान पड़ता है । बहुत संभव है कि यह पद अशुद्ध हो और भोग किया, कामक्रीडाकी अथवा रमण किया, ऐसेही किसी अर्थके वाचक शब्दकी जगह लिखा गया हो । 'तैसिहि सक्खि' पाठ भी अशुद्ध मालूम होता है—उसके अर्थका कहींसे भी कोई समर्थन नहीं होता । ऋषिदत्ताकी कथाको लिये हुए सबसे प्राचीन ग्रन्थ, जो अभी तक उपलब्ध हुआ है वह, जिनसेना-चार्यका हरिवंशपुराण ही है—काष्ठासंघी यशः कीर्ति भट्टारकका प्राकृत हरिवंशपुराण उससे ६६० वर्ष बादका बना हुआ है—परन्तु उसमें तैसि (?) की साक्षीसे तो क्या वैसे भी विवाह करनेका कोई उल्लेख नहीं है, जैसाकि ऊपर ज़ाहिर किया जा चुका है । इसके सिवाय, भट्टारकजीने स्वयं यह सूचित किया है कि मेरे इस ग्रंथके शब्द-अर्थका सम्बंध जिनसेनाचार्यके शास्त्र (हरिवंशपुराण) से है । यथा :—

सद् अत्थ संवंरं फुरंतउ ।

जिणसेणहो सुत्तहो यहु पयडिउ ।

और जिनसेनाचार्यने साफ तौर पर विवाहका कोई उल्लेख न करके उक्त अवसर पर भोगका उल्लेख किया है और "अरीरमत्" पद दिया है । जिनसेनाचार्यके अनुसार अपने हरिवंश पुराणकी रचना करते हुए, ब्रह्मचारी जिनदासने भी वहाँ "बुभुजे" पदका प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है 'भोग किया' अथवा भोगा और इसलिये वह जिनसेनके 'अरीरमत्' पदके अर्थकाही द्योतक है । परन्तु यहाँ "करेवि विवाहिय" शब्दोंसे वह अर्थ नहीं निकलता, जिससे पाठके अशुद्ध होनेका खयाल और भी ज्यादा बढ़ जाता है । यदि वास्तवमें

पाठ अशुद्ध नहीं है, बल्कि भट्टारकजीने इसे इसी रूपमें लिखा है और वह ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोंमें भी ऐसेही पाया जाता है तो मुझे इस कहनेमें कोई सकोच नहीं होता कि भट्टारकजी ने जिनसेनाचार्यके शब्दोंका अर्थ समझने में गलती की और वे अपने ग्रन्थमें शब्द अर्थके सम्बंधको ठीक तौरसे व्यवस्थित नहीं कर सके—यह भी नहीं समझ सके कि विवाहके अनंतर उक्त प्रश्नोत्तर कितना बढेगा और अप्राकृतिक जान पड़ता है। आपका ग्रन्थ है भी बहुत कुछ साधारण । इसके सिवाय, जब हमारे सामने मूलग्रंथ मौजूद है तब उसके आधार पर लिखे हुए सारांशों, आशयों, अनुवादों अथवा संक्षिप्त ग्रंथोंपर ध्यान देनेकी ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, वे उसी हद तक प्रमाण माने जा सकते हैं जहाँ तककि वे मूल ग्रंथों के विरुद्ध नहीं हैं। उनके कथनोंका मूलग्रंथों पर कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। जिनसेनाचार्यने साफ़ सूचित किया है कि उन दोनोंके प्रेमने चिरपालित मर्यादाको भी तोड़ दिया था, वे एकान्तमें जाकर रमने लगे, भोगके अनन्तर ऋषिदत्ताको बड़ा भय मालूम हुआ, वह घबराई और उसे अपने गर्भकी फिकर पड़ी। शीलायुधके वंशादिकका परिचय भी उसे बादको ही मालूम पडा। ऐसी हालतमें विवाह होनेका तो खयालभी नहीं आ सकता। अस्तु।

इस सब कथन और विवेचनसे साफ़ ज़ाहिर है कि ऋषिदत्ता और शीलायुधका कोई विवाह नहीं हुआथा, उन्होंने वैसे ही काम पिशाचके बशवर्ती होकर भोग किया और इस लिये वह भोग व्यभिचार था। उससे उत्पन्न हुआ पणीपुत्र, एक दृष्टिसे शीलायुधका पुत्र होतेहुए भी, ऋषिदत्ताके साथ शीलायुधका विवाह न हानेसे, व्यभिचारजात था। उसकी दशा उस जारज पुत्र जैसी थी जो किसी जारसे उत्पन्नहोकर कालान्तरमें उसीको मिलजाय। अविवाहिता कन्यासे जो पुत्र

पैदा होता है उसे "कानीन" कहते हैं (कानीनः कन्यकाजातः; कन्यायां अनूढायां जातो वा), 'अनूढा पुत्र' भी उसका नाम है और वह व्यभिचारजातोंमें परिगणित है । 'एणीपुत्र' भी ऐसा ही 'कानीन' पुत्र था और इस लिये उसकी पुत्री प्रियंगुसुन्दरी' एक व्यभिचारजातकी, अनूढापुत्रकी अथवा कानीनकी पुत्री थी, जिसे आजकल की भाषामें दस्सा या गाटा भी कह सकते हैं । मालूम नहीं समालोचक जी का एक व्यभिचारजात या दस्सेकी पुत्रीसे विवाहकी बात पर क्यों इतना क्षोभ आया जिसके लिये बहुत कुछ यद्वातद्वा लिख कर समालोचनके बहुतसे पेज रगे गये हैं—जबकि साक्षात् व्यभिचारजात वेश्या-पुत्रियों तकसे विवाहके उदाहरण जैनशास्त्रोंमें पाये जाते हैं और जिनके कुछ नमूने ऊपर दिये जा चुके हैं । क्या जो लोग स्नेह्यकन्याओं तकसे विवाह कर लेते थे उनके लिये एक दस्से या व्यभिचारजातकी आर्य कन्या भी कुछ गई जाती हो सकती है? कदापि नहीं । आज कल यदि कोई वेश्यापुत्रीसे विवाह कर ले तो वह इसी दम जातिसे खारिज किया जाकर दस्सा या गाटा बना दिया जाय । साथमें उसके साथी और सहायक भी यदि दस्से बना दिये जायें तो कुछ आश्चर्य नहीं । अतः आजकलकी दृष्टिमें जिन लोगोंने पहले वेश्याओंसे विवाह किये वे सब दस्से* होने चाहियें । ऋषिदत्ताके पिता अमोचदर्शनने

*दस्सा केवल व्यभिचारजात का ही नाम नहीं है बल्कि और भी कितने ही कारणोंसे 'दस्सा' शब्दाका प्रयोग किया जाता है, और न सर्व व्यभिचारजात ही दस्सा कहलाते हैं क्योंकि कुंड संतान जो भर्तारके जीतजी और पास मौजूद होते हुए जारसे पैदा होती है वह व्यभिचारजात होते हुए भी दस्सा नहीं कहलाती ।

भी अपने पुत्र चारुचंद्रका विवाह 'कामपताका' नामकी वेश्या-पुत्रीसे किया था, जिसके कथन को भी समालोचक जी कथा का पूर्णार्थ देते हुए छिपा गये ! और इसलिये ऋषिदत्ता दस्से की पुत्री और दस्सेकी बहन भी हुई। तब उसकी उक्त प्रकार से उत्पन्न हुई संतानको आज कलकी भाषामें दस्सेके सिषाय और क्या कहा जासकता है ? परन्तु पहले जमानेमें 'दस्से-बीसे' का कोई भेद नहीं था और न जैनशास्त्रोंमें इस भेदका कहीं कोई उल्लेख मिलता है। यह सब कल्पना बहुत पोछेकी है जबकि जनताके विचार बहुत कुछ संकीर्ण, स्वार्थमूलक और ईर्ष्या-द्वेष-परायण होगये थे। प्राचीन समयमें तो द्वा दो वेश्यापुत्रियोंसे भी विवाह करने वाले 'नागकुमार' जैसे पुरुष समाजमें अच्छी दृष्टिसे देखे जाते थे, नित्य भगवानका पूजन करते थे और जिनदीक्षाको धारण करके केवलज्ञान भी उत्पन्न कर सकते थे परन्तु आज इससे भी बहुत कमती हीन विवाह करलेने वालोंको जातिसे खारिज करके उनके धर्म साधनके मार्गों को भी बन्द किया जाता है ! यह कितना भारी परिवर्तन है ! समयका कितना अधिक उलटफेर है !! और इससे समाज के भविष्यका चिन्तन कर एक सहृदय व्यक्तिको कितना महान दुःख तथा कष्ट होता है !!!

यहाँ पर मैं समालोचक जीको इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि दस्से और बीसेमें परस्पर विवाहकी प्रथा सर्वथा बन्द नहीं है। डूमड आदि कई जैन जातियोंमें वह अब भी जारी है और उसका बराबर विस्तार होता जाता है। बम्बई के सुप्रसिद्ध 'जैनकुल भूषण' सेठ मणिकचंद जी जे० पी०के भाई पानाचंदका विवाह भी एक दस्सेकी पुत्रीसे हुआ था। इस लिये आपका इस विनासे मुक्त होजाना चाहिये कि यदि जैनजातिमें इस प्रथाका प्रवेश हुआ तो वह रसातलको चली

जायगी । दस्सोंसे विवाह करना आत्मपत्नका अथवा आत्मो-
न्नतिमें बाधा पहुँचानेका कोई कारण नहीं हांसकता । दस्सों
में अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित और धर्मात्माजन मौजूद हैं—वे बीसोंसे
किसी बातमें भी कम नहीं हैं—उन्हें हीन दृष्टिसे देखना अथवा
उनके प्रति असद्भाव रखना अपनी क्षुद्रता प्रकट करना है । अस्तु ।

यह तो हुई तृतीय अंशके आक्षेपोंकी बात, अब उदाहरण
का शेष चौथा अंश —‘रोहिणीका स्वयंवर’ भी लीजिये ।

स्वयंवर—विवाह ।

उदाहरणका यह चौथा अंश इस प्रकार लिखा गयाथा:—

“ रोहिणी अरिष्टपुर के राजाको लड़की और एक सुप्रति-
ष्ठित घराने की कन्या थी । इसके विवाहका स्वयंवर रचाया
गया था, जिसमें जरासन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर
देशान्तरों से एकत्र हुए थे । स्वयंवरमण्डप में वसुदेवजी,
किसी कारण विशेष से अपना वेष बदल कर ‘पणव’ नाम का
धादित्र हाथ में लिये हुए एक ऐसे रङ्ग तथा अकुलीन बाजन्त्री
(बाजा बजाने वाला) के रूपमें उपस्थित थे कि जिससे किसी
को उस वक्त वहाँ उनके वास्तविक कुल, जाति आदि का कुछ
भी पता मालूम नहीं था । रोहिणी ने सम्पूर्ण उपस्थित राजाओं
तथा राजकुमारों को प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा
गुणादिका परिचय पाकर भी जब उनमें से किसीका भी अपने
याग्य वर पसंद नहीं किया तब उसने, सब लोगोंको आश्चर्य
में डालते हुए, बड़े ही निःसंकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूप
के धारक एक अपरिचित और अज्ञान कुल-जाति नामा-
व्यक्ति (वसुदेव) के गले में ही अपनी वरमाला डाल दी ।

रोहिणी के इस कृत्य पर कुछ ईर्षालु, मानी और मदान्ध राजा, अपना अपमान समझकर, कुपित हुए और रोहिणीके पिता तथा वसुदेव से लड़ने के लिये तैयार हो गये। उस समय विवाहनीति का उल्लंघन करने के लिये उद्यमी हुए उन कुपिताननराजाओंको सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बड़ी तेजस्विताके साथ जो वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वयंवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :—

कन्या वृणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं ।

कुलीनमकुलीनं वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ॥

—सर्ग ११, श्लोक ७१ ।

अर्थात्—स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण(स्वीकार) करती है जो उसे पसन्द हाता है, चाहे वह वर कुलीन हो या अकुलीन । क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका—वरके कुलीन या अकुलीन होनेका—कोई नियम नहीं होता। ये वाक्य सकलकीर्ति आचार्य्यके शिष्य श्रीजिनदास ग्रहणचारीने अपने हरिवंशपुराणमें उद्धृत किये हैं और श्रीजिनसेनाचार्य्य-कृत हरिवंशपुराणमें भी प्रायः इसी आशयके वाक्य पाये जाते हैं । वसुदेवजी के इन वचनों से उनकी उदार परिणति और नीतिज्ञताका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही स्वयंवर-विवाह की नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता है । वह स्वयंवर-विवाह, जिसमें वरके कुलीन या अकुलीन होने का कोई नियम नहीं हाता, वह विवाह है जिसे आदिपुराणमें 'सनातनमार्ग' लिखा है और सम्पूर्ण विवाह विधानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है*। युगकी आदिमें सबसे पहले

*यथा —सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं भृतिस्मृतिषु भाषितः

विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥४४-३२॥

जब राजा अकम्पन-द्वारा इस (स्वयंवर) विवाह का अनुष्ठान हुआ था तब भरत चक्रवर्तिने भी इसका बहुत कृष् अभिनन्दन किया था । साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन मार्गोंके पुनरुद्धार-कर्त्ताओं को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य भी ठहराया था *।”

उदाहरणके इस अंशपर सिर्फ तीन खास आपत्तियाँ की गई हैं जिनका सांगंश इस प्रकार है :—

(१) एक वाजंत्रीके रूपमें उपस्थित होने पर वसुदेवको “रंक तथा अकुलीन” क्यों लिखा गया । “क्या बाजे बजाने वाले सब अकुलीन ही होते हैं ? बड़े बड़े राजे और महाराजे तक भी बाजे बजाया करते हैं ।” ये रंक तथा अकुलीनके शब्द अपनी तरफसे जांड़े गये हैं । वसुदेवजी अपने वेषको छिपाये हुए जरूर थे “किन्तु इस वेषके छिपानेसे उन पर कंगाल या अकुलीनपना लागू नहीं होता ।”

(२) “यह बाबूजीका लिखना कि “रोहिणीने बड़े ही निःसंकोच भावसे वाजंत्री रूपके धारक अज्ञात कुलजाति रङ्क व्यक्तिके गलेमें माला डालदी” सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है” ।

(३) “जा श्लोकका प्रमाण दिया वह वसुदेवजीने क्रोधमें कहा है किसी आचार्य ने आशारूप नहीं कहा जो प्रमाण हो,” ।

इनमेंसे पहली आपत्तिकी बावत तो सिर्फ इतना ही निवेदन है कि लेखक ने कहीं भी वसुदेवको रंक तथा अकुलीन नहीं लिखा और न यही प्रतिपादन किया कि उनपर कंगाल या

* यथा:—तथा स्वयंवरस्थेमे नाभवन्यद्यकम्पनाः ।

क प्रवर्त्तयितान्योऽस्य मार्गस्यैव सनातनः ॥७५॥

मार्गाश्चिरंतनान्येऽत्र भोगभूमितिरोहितान् ।

कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सञ्चि पूज्यास्त एव हि ॥५५॥

—आ० पु० पर्व ४५ ।

अकुलीनपना लागू होता है। 'कंगाल' शब्दका तो प्रयोग भी उदाहरण भरमें कहीं नहीं है और इसलिये उसे समासोच्चकजीकी अपनी कर्तृत समझना चाहिये। लेखक ने जिसके लिये रंक तथा अकुलीन शब्दोंका प्रयोग किया है वह वसुदेवजीका तात्कालीन वेष था, नकि स्वयं वसुदेवजी, और यह बात ऊपरके उदाहरणांशसे स्पष्ट जाहिर है। वेषकी बातको व्यक्तित्वमें घटा लेना कोरी भूल है। यह ठीक है कि कभी कभी कोई राजा महाराजा भी अपने दिल बहलावके लिये बाजा बजा खेते हैं परन्तु उनका वह विनोदकर्म प्रायः एकान्तमें होता है—सर्व साधारण सभा-सोसाइटियों अथवा महोत्सवोंके अवसर पर नहीं—और उससे वे 'पाणविक'—बाजत्री—नहीं कहलाते। वसुदेवजी, अपना वेष बदल कर 'पाणव' नामका वादित्र हाथमें लिये हुए, साफ तौर पर एक पाणविकके रूपमें वहाँ (स्वयंवर मंडपमें) उपस्थित थे—राजाके रूपमें नहीं—और पाणविकों की—बाजत्रियोंकी—श्रेणिके भी अन्तमें बैठे हुए थे, जैसाकि जिनसेनके निम्न वाक्यमें प्रकट है:—

***वसुदेवोऽपि तत्रैव भ्रात्रलक्षितवेषभृत् ।**

*इसी पद्यको जिनदास ब्रह्मचारीने निम्नप्रकारसे बदल कर रफखा है :—

भ्रात्रलक्षितवेषोपि तत्रैव यदुनन्दनः ।

गृहीतपाणवस्तस्थौ मध्ये सर्वकलाविदां ॥

यहाँ 'सर्वकलाविदां' पद वादित्र-विद्याकी सर्वकलाओंके जानने वाले पाणविकोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। जिनदासने वसुदेवको उन पाणविकों-बाजत्रियोंके अन्तमें न बिठलाकर मध्यमें बिठलाया है, यही भेद है और वह कुछ उचित मालूम नहीं होता। उस वक्तकी स्थितिको देखते हुए एक अपरिचित और अनिमं-*

तस्यौ पाणविकांतस्थो गृहीतपणवो गृहीः (१) ॥

उनके इस वेषके कारण ही बहुतसे राजा उन्हें 'पाणविक वर' कहने के लिये समर्थ होसके थे और यह कहसके थे कि 'कन्याने बड़ा अन्याय किया जो एक बाजंत्रीको वर बनाया' । यथा:—

मात्सर्योपहताश्चान्ये जगुः पाणविकं वरं ।

कुर्वत्या पश्यतात्यंतमन्यायः कन्यया कृतः ॥४८॥

बाजंत्रीके रूपमें उपस्थित होने की वजहसे ही उन ईर्षालु राजाओंको यह कहनेका भी मौका मिला कि यह अकुलीन है, कोई नीच वंशी (कोपि नीचान्वयोद्भवः) है, अन्यथा यह अपना कुल प्रकट करे; क्योंकि उस समय बाजा बाजानेका काम या पशा करने वाले शूद्र तथा अकुलीन समझे जाते थे । ऐसी हालतमें वसुदेवके उस वेषको रंक तथा अकुलीन कहना कुछ भी अनचित नहीं जान पड़ता । समालोचकजी स्वयं इस बातको स्वीकार करते हैं कि प्रतिस्पर्धी राजाओंने वसुदेवको रंक तथा अकुलीन कहा था* और उनके इस कथनका जैन शास्त्रोंमें उल्लेख भी माकत है, फिर उनका यह कहना कहाँ तक ठाक हो सकता है कि लेखकने इन शब्दोंको अपनी तरफसे जोड़ दिया, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । साथ ही, इस बातका भी अनुभव कर सकते हैं कि समालोचकजीने जो यह कल्पना की है कि स्वयंवर-मंडपमें राजाओंके सिवाय कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता था और इसलिये बाजा बाजाने वाले भी वहाँ राजा

त्रित व्यक्तिके रूपमें वसुदेवका पाणविकोंके अन्तमें—पीछेकी ओर—बैठ जाना या खड़े रहना ही उचित जान पड़ता है ।

*यथा:—“रङ्ग और अकुलीन तो केवल प्रतिस्पर्धी राजाओं ने स्पर्धाघश बतौर अपशब्दोंके कहा है” ।

ही होते थे, वसुदेवजी उन्हीं बाजा बजाने वाले राजाओंमें जाकर बैठ गये थे* वह कितनी विलक्षण तथा निःसार मालूम होती है। आपने राजाओंको अच्छा 'पाणविक' बनाया और उन्हें खूब वाजंत्रीका काम दिया ! और एक वाजत्री ही का काम क्या, जब स्वयंवरमें राजाओं तथा राजकुमारों के सिवाय दूसरेका प्रवेश ही नहीं होता था तबतो यह कहना चाहिये कि पानी पिलाने, जूटे बर्तन उठाने और पखा भोलने आदि दूसरे सेवा चाकरीके कामोंमें भी वहाँ राजा लोगही नियुक्त थे ! यह आगन्तुक राजाओंका अच्छा सम्मान हुआ ! मालूम नहीं रोहिणी के पिताके पास ऐसी कौन सी सत्ता थी जिससे वह कन्याका पखिप्रहण करने की इच्छासे आए हुए राजाओंको ऐसे शूद्र कामोंमें लगा सकता ! जान पड़ता है यह सब समालोचकजीकी कोरी कल्पनाही कल्पना है, वास्तविकतासे इसका कोई सम्बंध नहीं । ऐसे महात्सवके अवसर पर आगन्तुक जनोंके विनोदार्थ और मांगलिक कार्योंके सम्पादनार्थ गाने बजानेका काम प्रायः दूसरे लोगही किया करते हैं, जिनका वह पेशा होता है— स्वयंवरोत्सवकी रीति नीति, इस विषयमें, उनसे कोई भिन्न नहीं होती। इसके सिवाय, समालोचकजी एक स्थान पर लिखते हैं,—

“ रोहिणीने जिस समय स्वयंवरमण्डपमें किसी राजाको नहीं बरा और धायसे बात चीत कर रहीथी उस समय मना-हर वीणाका शब्द सुनाई पड़ा ” ।

*यथा:—‘ स्वयंवर मंडपमें सब राजाही लोग आया करते थे और जो इस योग्य हुआ करते थे उन्हींको स्वयंवरमंडप में प्रवेश किया जाता था ।’ “उन्होंने [वसुदेवने] स्वयंवरमंडपमें प्रवेश किया और जहाँ ऐसे राजा बैठे हुए थे जांकि वादित्र-विद्याविशारद थे उन्हींमें जाकर बैठ गए ।”

इससे भी यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि स्वयंवरमंडप में वसुदेव जी एक राजाकी हैसियत से अथवा राजाके वेपमें उपस्थित नहीं थे और इसीसे 'रोहिणीने स्वयंवरमंडपमें किसी राजाको नहीं बरा' इन शब्दोंका प्रयोग होसका है। स्वयंवर-मंडपमें स्थित जब सब राजाओंका परिचय दिया जा चुका था और राहिणाने उनमें से किसोको भी अपना वर पसंद नहीं किया था तभी वसुदेवजीने वीणा बजाकर रोहिणीकी चित्तवृत्ति को अपना आर आकर्षित किया था। अतः समालोचकजीकी इस कल्पना और आपत्तिमें कुछ भी दम मालूम नहीं होता।

दूसरी आपत्तिके विषयमें, यद्यपि, अब कुछ विशेष लिखने की जरूरत बाकी नहीं रहती, फिर भी यहाँ पर इतना प्रकट करवेना उचित मालूम होता है कि समालोचक जी ने उसमें लेखकका जो वाक्य दिया है वह कुछ बदल कर रक्खा है उस में 'अज्ञातकुल जाति' के बाद 'रङ्ग' शब्द अपनी ओरसे बढ़ाया है और उससे पहले 'एक अपरिचित' आदि शब्दोंको निकाल दिया है। इसी प्रकारका और भी कुछ उलटफेर किया है जो ऊपर उद्धृत किये हुए उदाहरणांश परसे सहज ही में जाना जासकता है। मालूम नहीं इस उलटा पलटीसे समालोचकजी ने क्या नमीजा निकाला है। शायद इस प्रकारके प्रयत्न-द्वारा ही आप लेखकके लिखनेका "सर्वथा शास्त्रविरुद्ध" सिद्ध करना चाहते हैं ! परन्तु ऐसे प्रयत्नोंसे क्या होसकता है ? समालोचकजीने कहीं भी यह सिद्ध करके नहीं बनलाया कि वरमाला डालनेके वक्त वसुदेवजी एक अपरिचित और अज्ञातकुल-जाति व्यक्ति नहीं थे। जिनसेनाचार्यने तो वरमाला डालनेके बाद भी आपको "कांपिगुप्तकुलः" विशेषणके द्वारा उल्लेखित किया है औरत अनुसार जिनदास ब्रह्मचारीने भा आपके लिये "कांपिगुप्त कुलः" विशेषणका प्रयोग किया है, जिससे जाहिर है कि उनका

कूल वहाँ किसीको मालूम नहीं था। वसुदेव जीके कुलीन या अकुलीन होनेका राजाओंमें विवाद भी उपस्थित हुआ था और उसका निर्णय उस वक्तसे पहले नहीं हो सका जब तक कि युद्धमें वसुदेवने समुद्रविजयका अपना परिचय नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि वरमाला डालनेके वक्त वसुदेवसे कोई परिचित नहीं था, न वहाँ उनके कूल जातिका किसीका कुछ हाल मालूम था; और वे एक बाजत्री (पाणविक) के वेपमें उपस्थित थे, यह बात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है। उसी वाजंत्री वेप में उनके गलेमें वरमाला डाली गई और वरमालाको डाल कर रोहिणी, सबोंको आश्चर्यमें डालते हुए, उन्हींके पास बैठ गई। ऐसी हालतमें लेखकका उक्त लिखना किधरसे सर्वथा शास्त्र-विरुद्ध है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, समालोचक जीने इतना ज़रूर प्रकट किया है कि वसुदेवने वीणा बजाकर रोहिणीको यह संकेत किया था कि “तूरे मनको हरण करने वाला राजहंस यहाँ बैठा हुआ है” इस संकेत मात्रका अर्थ ज्यादासे ज्यादा इतना ही हो सकता है कि रोहिणीके दिलमें यह खयाल पैदा होगया हो कि वह कोई राजा अथवा राजपुत्र है। परन्तु राजा तो म्लेच्छ भी होते हैं, अकुलीन भी होते हैं, सम्राट भी होते हैं, विजातीय भी होते हैं और असवर्ण भी होते हैं। जब इन सब बातोंका कोई निर्णय नहीं किया गया और वरमाला एक अपरिचित तथा अज्ञातकूल जाति व्यक्तिके ही गलेमें—चाहे वह राजलक्ष्णोंसे मंडित या अपने मुखमंडल परसे अनुमानित होने वाला राजा ही क्यों न हो—डाल दी गई तबतो यही कहना चाहिये कि स्वयंवर में एक अकुलीन, सम्राट, विजातीय अथवा असवर्णको भी बरा जो सकता है। फिर समालोचक जी की जिम्दास ब्रह्म-चारीके उक्त श्लोक पर आपत्तिकैसी? उसमें तो यही बतलाया

जब राजा अकम्पन द्वारा इस (स्वयंवर) विवाह का अनुष्ठान हुआ था तब भरत चक्रवर्तीने भी इसका बहुत कुछ अभिनन्दन किया था । साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन मार्गोंके पुनरुद्धार-कर्त्ताओं को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य भी ठहराया था ×।”

उदाहरणके इस अंशपर सिर्फ तीन खास आपत्तियाँ की गई हैं जिनका सारांश इस प्रकार है :—

(१) एक वाजंत्रीके रूपमें उपस्थित होने पर वसुदेवको “रक तथा अकुलीन” क्यों लिखा गया । “क्यों बाजे बजाने वाले सब अकुलीन ही होते हैं ? बड़े बड़े राजे और महाराजे तक भी बाजे बजाया करते हैं ।” ये रक तथा अकुलीनके शब्द अपनी तरफसे जाड़े गये हैं । वसुदेवजी अपने वेषको छिपाये हुए ज़रूर थे “किन्तु इस वेषके छिपानेसे उन पर कंगाल या अकुलीनपना लागू नहीं होता ।”

(२) “यह बाबूजीका लिखना कि “रोहिणीने बड़े ही निःसंकोच भावसे वाजंत्री रूपके धारक अज्ञात कुलजाति रङ्क व्यक्तिके गलेमें माला डालदी” सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है” ।

(३) “जा श्लोकका प्रमाण दिया वह वसुदेवजीने क्रोधमें कहा है किसी आचार्य ने आज्ञारूप नहीं कहा जो प्रमाण हो,” ।

इनमेंसे पहली आपत्तिकी बाबत तो सिर्फ इतना ही निवेदन है कि लेखक ने कहीं भी वसुदेवको रक तथा अकुलीन नहीं लिखा और न यही प्रतिपादन किया कि उनपर कंगाल या

× यथा:—तथा स्वयंवरस्येमे नाभवन्यद्यकम्पनाः ।

क प्रवर्त्तयितान्योऽस्य मार्गस्वैव सनातनः ॥४५॥

मार्गाश्चिरंतनान्येऽत्र भोगभूमितिरोहितान् ।

कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्भिः पूज्यास्त एव हि ॥५५॥

—आ० पु० पर्व ४५ ।

अकुलीनपना लागू होता है। 'कंगाल' शब्दका तो प्रयोग भी उदाहरण भरमें कहीं नहीं है और इसलिये उसे समालोचकजीकी अपनी कर्तूत समझना चाहिये। लेखक ने जिसके लिये रंक तथा अकुलीन शब्दोंका प्रयोग किया है वह वसुदेवजीका तात्कालीन वेष था, नकि स्वयं वसुदेवजी, और यह बात ऊपरके उदाहरणोंशसे स्पष्ट जाहिर है। वेषकी बातको व्यक्तित्वमें घटा लेना कोरी भूल है। यह ठीक है कि कभी कभी कोई राजा महाराजा भी अपने दिल बहलावके लिये बाजा बजा लेते हैं परन्तु उनका वह विनोदकर्म प्रायः एकान्तमें होता है—सर्व साधारण सभा-सांसाइटियों अथवा महोत्सवोंके अवसर पर नहीं और उससे वे 'पाणविक'—बाजत्री—नहीं कहलाते। वसुदेवजी, अपना वेष बदल कर 'पणव' नामका वादित्र हाथमें लिये हुए, साफ तौर पर एक पाणविकके रूपमें वहाँ (स्वयंवर मंडपमें) उपस्थित थे—राजाके रूपमें नहीं—और पाणविकों की—बाजत्रियोंकी—श्रेणिके भी अन्तमें बैठे हुए थे, जैसाकि जिनसेनके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

*वसुदेवोऽपि तत्रैव भ्रात्रलक्षितवेषभृत् ।

#इसीपद्यको जिनदास ब्रह्मचारीने निम्नप्रकरसे बदल कर रक्खा है :—

भ्रात्रलक्षितवेषोपि तत्रैव यदुत्तन्दनः ।

गृहीतपणवस्तस्थौ मध्ये सर्वकलाविदां ॥

यहाँ 'सर्वकलाविदां' पद वादित्र-विद्याकी सर्वकलाओंके जानने वाले पाणविकोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। जिनदासने वसुदेवको उन पाणविकों-बाजत्रियोंके अन्तमें न बिठलाकर मध्यमें बिठलाया है, यही भेद है और वह कुछ उचित मालूम नहीं होता। उस वक्तकी स्थितिको देखते हुए एक अपरिचित और अनिमं-

जायगी । दुस्सोंसे विवाह करना आत्मपत्नका अथवा आत्मोन्नतिमें बाधा पहुँचानेका कोई कारण नहीं होसकता । दुस्सोंमें अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित और धर्मात्माजन मौजूद हैं—वे बीसोंसे किसी बातमें भी कम नहीं हैं—उन्हें हीन दृष्टिसे देखना अथवा उनके प्रति असद्भाव रखना अपनी क्षुद्रता प्रकट करना है । अस्तु ।

यह तो हुई तृतीय अंशके आलेखोंकी बात, अब उदाहरणका शेष चौथा अंश —‘रोहिणीका स्वयंवर’ भी लीजिये ।

स्वयंवर—विवाह ।

उदाहरणका यह चौथा अंश इस प्रकार लिखा गयाथा:—

“ रोहिणी अरिष्टपुर के राजाकी लड़की और एक सुप्रतिष्ठित घराने की कन्या थी । इसके विवाहका स्वयंवर रचाया गया था, जिसमें जरासन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर देशान्तरों से एकत्र हुए थे । स्वयंवरमण्डप में वसुदेवजी, किसी कारण विशेष से अपना घेरा बदल कर ‘पणव’ नाम का घादित्र हाथ में लिये हुए एक ऐसे रङ्ग तथा अकुलीन बाजन्त्री (बाजा बजाने वाला) के रूपमें उपस्थित थे कि जिससे किसी को उस वक्त वहाँ उनके वास्तविक कुल, जाति आदि का कुछ भी पता मालूम नहीं था । रोहिणी ने सम्पूर्ण उपस्थित राजाओं तथा राजकुमारों को प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा गुणादिका परिचय पाकर भी जब उनमें से किसीका भी अपने योग्य वर पसन्द नहीं किया तब उसने, सब लोगोंको आश्चर्य में डालते हुए, बड़े ही निःसकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूपके धारक एक अपरिचित और अज्ञान कुल-जाति नामाव्यक्ति (वसुदेव) के गले में ही अपनी वरमाला डाल दी ।

रोहिणी के इस कृत्य पर कुछ ईर्षाल, मानी और मदान्ध राजा, अपना अपमान समझकर, क्रुपित हुए और रोहिणीके पिता तथा वसुदेव से लड़ने के लिये तैयार हो गये। उस समय विवाहनीति का उल्लंघन करने के लिये उद्यमी हुए उन कुपिताननराजाओंको सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बड़ी तेजास्विताके साथ जो वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वयंवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :—

कन्या वृणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं ।

कुलीनमकुलीनं वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ॥

—सर्ग ११, श्लोक ७१ ।

अर्थात्—स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस घरको वरण(स्वीकार) करती है जो उसे पसन्द हाता है, चाहे वह वर कुलीन हो या अकुलीन । क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका—वरके कुलीन या अकुलीन होनेका—कोई नियम नहीं होता। ये वाक्य सकलकोशिक आचार्य्यके शिष्य श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने अपने हरिवंशपुराणमें उद्धृत किये हैं और श्रीजिनसेनाचार्य्य-कृत हरिवंशपुराणमें भा प्रायः इन्ही आशयके वाक्य पाये जाते हैं। वसुदेवजी के इन वचनों से उनकी उदार परिणति और नीति-ज्ञताका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही स्वयंवर-विवाह की नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। वह स्वयंवर-विवाह, जिसमें वरक कुलीन या अकुलीन होने का कोई नियम नहीं हाता, वह विवाह है जिस आदिपुराणमें 'सनातनमार्ग' लिखा है और सम्पूर्ण विवाह विधानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है*। युगकी आदिमें सबसे पहले

*यथा —सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु भाषितः

विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥४४ ३२॥

इससे भी यह साफ़ ज़ाहिर हूता है कि स्वयंवरमंडप में वसुदेव जी एक राजाकी हैसियत से अथवा राजाके वेधमें उपस्थित नहीं थे और इसीसे 'राहिणोंने स्वयंवरमंडपमें किसी राजाका नहीं घरा' इन शब्दोंका प्रयोग होसका है। स्वयंवर-मंडपमें स्थित जब सब राजाओंका परिचय दिया जा चुका था और राहिणोंने उनमें से किसीको भी अपना वर पसंद नहीं किया था तभी वसुदेवजीने घोषा बजाकर राहिणीकी चित्तवृत्ति को अपना आर आकर्षित किया था। अतः समालोचकजीकी इस कल्पना और आपत्तिमें कुछ भी दम मालूम नहीं होता।

दूसरी आपत्तिके विषयमें, यद्यपि, अब कुछ विशेष लिखने की जरूरत बाकी नहीं रहती, फिर भी यहाँ पर इतना प्रकट करदेना उचित मालूम होता है कि समालोचक जी ने उसमें लेखकका जो वाक्य दिया है वह कुछ बदल कर रक्खा है उसमें 'अज्ञातकुल जाति' के बाद 'गङ्गा' शब्द अपनी ओरसे बढ़ाया है और उससे पहले 'एक अपरिचित' आदि शब्दोंको निकाल दिया है। इसी प्रकारका और भी कुछ उलटफेर किया है जो ऊपर उद्धृत किये हुए उदाहरणों परसे सहज ही में जाना जासकता है। मालूम नहीं इस उलटा पलटीसे समालोचकजी ने क्या नतीजा निकाला है। शायद इस प्रकारके प्रयत्न-द्वारा ही आप लेखकके लिखनेका "सर्वथा शास्त्रविरुद्ध" सिद्ध करना चाहते हों ! परन्तु ऐसे प्रयत्नोंसे क्या होसकता है ? समालोचकजीने कहीं भी यह सिद्ध करके नहीं बनलाया कि वरमाला डालनेके वक्त वसुदेवजी एक अपरिचित और अज्ञातकुल-जाति व्यक्ति नहीं थे। जिनसेनाचार्यने तो वरमाला डालनेके बाद भी आपको "कोऽपिगुप्तकुलः" विशेषणके द्वारा उल्लेखित किया है औरत दनुसार जिनदाल ब्रह्मचारीने भी आपके लिये "कोपिगुप्तकुलः" विशेषणका प्रयोग किया है, जिससे जाहिर है कि उनका

कुल वहाँ किसीको मालूम नहीं था। वसुदेव जीके कुलीन या अकुलीन होनेका राजाओंमें विवाद भी उपस्थित हुआ था और उसका निर्णय उस वक्तसे पहले नहीं हो सका जब तक कि युद्धमें वसुदेवने समुद्रयज्ञका अपना परिचय नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि वरमाला डालनेके वक्त वसुदेवसे कोई परिचित नहीं था, न वहाँ उनके कुल जातिका किसीको कुछ हाल मालूम था; और वे एक बाजंत्री (पाणविक) के वेपमें उपस्थित थे, यह बात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है। उसी वाजंत्री वेपमें उनके गलेमें वरमाला डाली गई और वरमालाको डाल कर रोहिणी, सबोंको आश्चर्यमें डालते हुए, उन्हींके पास बैठ गई। ऐसी हालतमें लेखकका उक्त लिखना किधरसे सर्वथा शास्त्र-विरुद्ध है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, समालोचक जीने इतना ज़रूर प्रकट किया है कि वसुदेवने वीणा बजाकर रोहिणीको यह संकेत किया था कि "तरे मनका हरण करने वाला राजहंस यहाँ बैठा हुआ है" इस संकेत मात्रका अर्थ ज्यादासे ज्यादा इतना ही हो सकता है कि रोहिणीके दिलमें यह खयाल पैदा होगया हो कि वह कोई राजा अथवा राजपुत्र है। परन्तु राजा तो म्लेच्छ भी होते हैं, अकुलीन भी होते हैं, सगोत्र भी होते हैं, विजातीय भी होते हैं और असवर्ण भी होते हैं। जब इन सब बातोंका कोई निर्णय नहीं किया गया और वरमाला एक अपरिचित तथा अज्ञातकुल जाति व्यक्तिके ही गलेमें—चाहे वह राजलक्ष्णोंसे मंडित या अपने मुखमंडल परसे अनुमानित होने वाला राजा ही क्यों न हो—डाल दी गई तबतो यही कहना चाहिये कि स्वयंवर में एक अकुलीन, सगोत्र, विजातीय अथवा असवर्णको भी बरा जो सकता है। फिर समालोचक जी की जिनदास ब्रह्म-चारीके उक्त श्लोक पर आपत्ति कैसी? उसमें तो यही बतलाया

तस्यौ पाणविकांतस्थो गृहीतपणवो गृहीः (?) ॥

उनके इस वेषके कारण ही बहुतसे राजा उन्हें 'पाणविक वर' कहने के लिये समर्थ होसके थे और यह कहसके थे कि 'कन्याने बड़ा अन्याय किया जो एक वाजंत्रीको वर बनाया' । यथा:—

मात्सर्योपहताश्चान्ये जगुः पाणविकं वरं ।

कुर्वत्या पश्यतात्यंतमन्यायः कन्यया कृतः ॥४८॥

बाजंत्रीके रूपमें उपस्थित होने की वजहसे ही उन ईर्षालु राजाओंको यह कहनेका भी मौका मिला कि यह अकुलीन है, कोई नीच वंशी (कोपि नीचान्वयोद्भवः) है, अन्यथा यह अपना कुल प्रकट करे, क्योंकि उस समय बाजा बजानेका काम या पशा करने वाले शूद्र तथा अकुलीन समझे जाते थे । ऐसी हालतमें वसुदेवके उक्त वेषको रंक तथा अकुलीन कहना कुछ भी अनचित नहीं जान पड़ता । समालोचकजी स्वयं इस बातको स्वीकार करते हैं कि प्रतिस्पर्धी राजाओंने वसुदेवको रंक तथा अकुलीन कहा था* । और उनके इस कथनका जैन शास्त्रोंमें उल्लेख भी मानते हैं, फिर उनका यह कहना कहाँ तक ठीक हो सकता है कि लेखकने इन शब्दोंको अपनी तरफसे जोड़ दिया, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । साथ ही, इस बातका भी अनुभव कर सकते हैं कि समालोचकजीने जो यह कल्पना की है कि स्वयंवर-मंडपमें राजाओंके सिवाय कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता था और इसलिये बाजा बजाने वाले भां वहाँ राजा

त्रित व्यक्तिके रूपमें वसुदेवका पाणविकोंके अन्तमें—पीछेकी ओर—बैठ जाना या खड़े रहना ही उचित जान पड़ता है ।

*यथा:—“रङ्ग और अकुलीन तो केवल प्रतिस्पर्धी राजाओं ने स्पर्धावश बतौर अपशब्दोंके कहा है” ।

ही होते थे, वसुदेवजी उन्ही बाजा बजाने वाले राजाओंमें जाकर बैठ गये थे* वह कितनी विलक्षण तथा निःसार मालूम होती है। आपने राजाओंको अच्छा 'पाणविक' बनाया और उन्हें खूब वाजंत्रीका काम दिया ! और एक वाजत्री ही का काम क्या, जब स्वयंवरमें राजाओं तथा राजकुमारों के सिवाय दूसरेका प्रवेश ही नहीं होता था तबतो यह कहना चाहिये कि पानी पिलाने, जूटे बर्तन उठाने और पखा भोलने आदि दूसरे सेवा चाकरीके कामोंमें भी वहाँ राजा लोगही नियुक्त थे ! यह आगन्तुक राजाओंका अच्छा सम्मान हुआ ! मालूम नहीं रोहिणी के पिताके पास ऐसी कौन सी सत्ता थी जिससे वह कन्याका पण्यग्रहण करने की इच्छासे आए हुए राजाओंको ऐसे शूद्र कामोंमें लगा सकता ! जान पड़ता है यह सब समालोचकजीकी कौरी कल्पनाही कल्पना है, वास्तविकतासे इसका कोई सम्बंध नहीं । ऐसे महोत्सवके अवसर पर आगन्तुक जनोंके विनोदार्थ और मांगलिक कार्योंके सम्पादनार्थ गाने बजानेका काम प्रायः दूसरे लोगही किया करते हैं, जिनका वह पेशा होता है—स्वयंवरोत्सवकी रीति नीति, इस विषयमें, उनसे कोई भिन्न नहीं होती। इसके सिवाय, समालोचकजी एक स्थान पर लिखते हैं,—

“ रोहिणीने जिस समय स्वयंवरमंडपमें किसी राजाको नहीं बरा और धायसे बात चीत कर रहीथी उस समय मना-हर वीणाका शब्द सुनाई पड़ा ” ।

*यथा:—‘ स्वयंवर मंडपमें सब राजाही लोग आया करते थे और जो इस योग्य हुआ करते थे उन्हींको स्वयंवरमंडप में प्रवेश किया जाता था ।’ “उन्होंने [वसुदेवने] स्वयंवरमंडपमें प्रवेश किया और जहाँ ऐसे राजा बैठे हुए थे जांकि वादित्र-विद्याविशारद थे उन्हींमें जाकर बैठ गए ।”

ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह मालूम होता हो कि पहले एक नगर-ग्रामके निवासी आपसमें विवाह सम्बन्ध नहीं किया करते थे । और यदि कहीं ऐसा होता भी हो तो आजकल जब यह प्रथा नहीं रही और एक ही नगर ग्रामके निवासी खड्डेलवाल परस्परमें विवाह सम्बन्ध कर लेते हैं तब उनके लिये एक ही नगर-ग्रामके निवासियों से बने हुए अपने एक गात्रमें विवाह सम्बन्ध करलेने पर, लिखान्तका दृष्टिसे कौन बाधा आती है अथवा उसका न करना कहीं तक युक्ति-युक्त हो सकता है, इसका विचार पाठकत्रत स्वयं करसकते हैं ।

(३) 'जैनसंप्रदाय शिक्षा *' में यति श्रीपालचंद्रजीने आंसवाल वंशकी उत्पत्तिका जो इतिहास दियाहै उससे मालूम होता है कि रत्नप्रभसूरि ने, 'महाजन वंश' की स्थापना करत हुए, 'तातहड' आदि अठारह गोत्र और 'सुघड' आदि बहुतसे नये गोत्र स्थापित किये थे । और उनके पीछे वि० सं० सालहसौ तक बहुतसे जैनाचार्यों राजपूत, महेश्वरी, वैश्य, और ब्राह्मण जाति वालों का प्रतिबोध देकर—उन्हें जैनी बना कर—महाजन वंशका विस्तार किया और उन लोगोंमें अनेक नये गोत्रोंकी स्थापना की । इन सब गोत्रोंका यतिजी ने जो इतिहास दिया है और जिसे प्रामाणिक तथा अत्यंत खोजके बाद लिखा हुआ इतिहास प्रकट किया है उसमें से कुछ गोत्रों के इतिहासका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

१ कुकुडचोपडा आदि गोत्र—जिनवल्लभसूरि (वि० सं० ११५२) ने मण्डोरके राजा 'नानुदे' पडिहारके पुत्र धवलचंद्र के गलितकुपुको कुकुडी गायके घोको मंत्रित करके तीन दिन चुपड़वाने द्वारा नीरोग किया । इससे राजाने कुटुम्ब-सहित

* यह पुस्तक वि० सं० १९६७में बम्बईसे प्रकाशित हुई है ।

जैन धर्म ग्रहण किया और सूरिजीने उसका महाजन वंश तथा 'कुकडचोपडा' गोत्र स्थापित किया। मंत्री ने भी धर्म ग्रहण किया और उसका गोत्र 'गणधर चापडा' नियत किया गया। कुकडचोपडा गोत्रका बादका चार शाखाएँ हुईं जिनमेंसे एक 'कोठारी' शाखा भी है जो इस वंशके एक 'ठाकरसी' नामक व्यक्ति से प्रारंभ हुई। ठाकरसीका राव चुड़ने अपना कोठार नियत किया था तभी से ठाकरसीकी संतानवाले 'कोठारी' कहलाने लगे।

२ धाडीवाल गोत्र—डींडो नामक एक खीची राजपूत धाड़ा मारता था। उसको वि० स० ११५५ में जिनवल्लभ सूरिने प्रतिबंध देकर उसका महाजन वंश और 'धाडीवाल' गोत्र स्थापित किया।

३ लालाणी आदि गोत्र—लालसिंहको जिन वल्लभसूरिने प्रतिबंध देकर उसका 'लालाणी' गोत्र स्थापित किया और उसके पाँच बेटोंसे फिर वांडिया, जोराधर, विरमेचा, हरखावत, और मल्लावत गोत्र चले। इसी तरह एक 'काला' व्यक्ति की औलादवाले 'काला' गोत्री कहलाये।

४ पारख गोत्र—पासूजीने एक हीरेकी परख की थी उसी दिनसे राजा द्वारा 'पारख' कह जानेके कारण उनकी संतान के लोग पारख गोत्री कहे जाने लगे।

५ लूणावत आदि गोत्र—'लूणे' के वंशज 'लूणावत' गोत्री हुए परन्तु बादको उसके किसी वंशजके युद्धसे न हटने पर उसकी सततिका गोत्र 'नाहटा' होगया। और एक दूसरे वंशजको किसी नव्वाब ने 'रायजादा' कहा। इससे उसका गोत्र 'रायजादा' प्रसिद्ध हुआ।

६ रतनपुरा और कटारिया गोत्र—चौहान राजपूत रतनसिंहको, जिसने रतनपुर बसाया था जिनदत्त सूरिने जैनी

बनाकर उसका 'रतनपुरा' गोत्र स्थापित किया। इसके वंशमें भ्रांभृणसिंह नामका व्यक्ति अपने पेटमें कटार मारकर मरगया था। इससे उसकी संतति का गोत्र 'कटारिया' प्रसिद्ध हुआ।

७ राँका तथा सेठिया गोत्र—'काकू' नामका एक व्यक्ति बहुत दुर्बल शरीरका था इससे लोग उसे 'राँका' पुकारने लगे। उसे नगरसेठका पद मिला और इसलिये उसकी संतान का गोत्र 'राँका' तथा 'सेठिया' प्रसिद्ध हुआ।

गात्रोंकी ऐसी कृत्रिम, विचित्र और कृणिक स्थितिके होते हुए पूर्व पूर्व गात्रोंकी दृष्टिसे समोत्र विवाहोंका होना बहुत कुछ स्वाभाविक है। इसके सिवाय, प्रायः सभी जैनजातियोंमें गाढ़ खेने अथवा दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका रिवाज है, और दत्तकपुत्र अपने गोत्रसे भिन्न गोत्रका भी लिया जाता है। साथ ही, यह माना जाता है कि उसका गोत्र दत्तक लेनेवालेके गोत्रमें परिणत हो जाता है—उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती—इसी से विवाहके अवसर पर उसके गोत्रका प्रायः कोई खयाल नहीं किया जाता और यदि कहीं कुछ खयाल किया भी जाता है तो वह प्रायः उस दत्तकपुत्रके विवाह तक ही परिमित रहता है—उसके विवाहमें ही उसका पूर्व गोत्र बचा लिया जाता है—आगे होने वाली उसकी उत्तरोत्तर संततिमें फिर उसका कोई खयाल नहीं रक्खा जाता और न रक्खा जा सकता है; क्योंकि एक एक वंशमें न मालूम किनने दत्तक दूसरे वंशों तथा गोत्रों के लिये जा चुके हैं उन सबका किसीको कहीं तक स्मरण तथा खयाल हो सकता है। यदि उन सब पर खयाल किया जाय—विवाहों के अवसर पर उन्हें टाला जाय—तो परस्परमें विवाहोंका होना ही प्रायः असंभव हो जाय। इसी तरह पर स्त्रियोंके गोत्र भी उनके विवाहित होने पर बदल जाते हैं और उनकी प्रायः कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। यदि उनकी स्वतंत्र सत्ता

मानी जाय तब तो एक कुलमें कितने ही गोत्रोंका संमिध्ण हो जाता है और उन सबका बचाव हुए विवाह करना औरभी ज्यादा असंभव ठहरता है। साथ ही, यह कहना पड़ता है कि भिन्न भिन्न गोत्रके स्त्री-पुरुषा के सम्बन्धसे संकर गोत्री संतान उत्पन्न होती है और उस संकरताकी उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहने से किसी भी गात्रका अपनी शुद्ध स्थितिमें उपलब्ध होना प्रायः असंभव है। गोत्रोंकी इस कृत्रिमता और परिवर्तनशीलताकी कितनी ही सूचना भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे भा मिलती है और उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि जैनधर्ममें दीक्षित होने पर—जैनापासक अथवा श्रावक बनते हुए—अजैनों के गोत्र और जाति आदिके नाम प्रायः बदल जाते थे—उनके स्थानमें दूसरे समयाचित नाम रखे जाते थे। यथा:—

जैनोपासकदीक्षा स्यात्समयः समयोचितम् ।

दधतो मोत्रजात्यादिनामान्तरमतः परम् ॥ ५६ ॥

— आदिपुराण, ३६ वाँ पर्व ।

ऐसी हालतमें गोत्रोंकी क्या असलियत है—उनकी स्थिति कितनी परिकल्पित और परिवर्तनशाल है—और उन्हें विवाह-शादियोंके अवसर पर कितना महत्व दिया जाना चाहिये, इसका पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं। साथ ही, ऊपर के संपूर्ण कथनसे यह भी मालूम कर सकते हैं कि पहले जमानेमें गोत्रोंको इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि वह आज दिया जाता है।

यहाँ पर मैं इतना और बतला देना चाहता हू कि भोजिन-सेनाचार्यके हरिवंशपुराणसे जहाँ यह पाया जाता है कि देवकी और बसुदेव दोनों यदुवशो थे, एक कुटुम्बके थे, दोनोंमें चचा भतीजीका सम्बन्ध था और इसलिये उनका पारस्परिक विवाह

सगोत्र विवाहका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वहाँ यह भी मालूम होता है कि हरिवंशी राजा 'वसु'के एक पुत्र 'धृष्टद्यूज' की सततिमें यदुवंशी राजा 'उग्रसेन' हुआ, दूसरे पुत्र 'सुवसु' की सततिमें जरासंध हुआ और जरासंधकी बहन पद्मावती उग्रसेनसे ब्याही गई । जिजसे जाहिर है कि राजा वसुके एक वंश और एक गोत्रमें होने वाले दो व्यक्तियोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध हुआ । और इससे यह जाना जाता है कि उस समय एक गोत्रमें विवाह होनेका रिवाज था । साथ ही, उक्त पुराणसे इस बातका भी पता चलता है कि पहले सगे भाई बहनोंकी औलादमें जो परस्पर विवाह सम्बन्ध हुआ करता था उसका एक कारण अथवा उद्देश्य 'गोत्रप्रीति' भी होता था । यथा:—

नीलस्तस्य सुतः कन्या मान्या नीलांजनाभिधा ।

कुमारकन्ययोर्वृत्ता संकथा च तयोरिति ॥ ४ ॥

पुत्रो मे ते यदा कन्या भविता भविता तयोः ।

अविवादे विवाहोऽत्र गोत्रप्रीत्यै परस्परम् ॥ ५ ॥

—२३ वाँ सर्ग ।

इन पद्योंमें नील और नीलांजना नामके दो सगे भाईबहनों के इस ठहरावका उल्लेख किया गया है कि 'यदि मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्री हांगी तो गोत्रमें प्रीतिकी धुजिके लिये उन दोनों का निर्विवाद रूपसे परस्परमें विवाह करवेना होगा'

परन्तु आजकल गोत्र-प्रीतिकी बात तो दूर रही, एक गोत्र में विवाह करना 'गोत्र-घात' अथवा 'गात्रघाव' समझा जाता है । जैनों की कितनी ही जातियोंमें तो, विवाहके अन्तर पर, पिताके गोत्रके अतिरिक्त माता, माताके मामा, और पिताके मामा आदि तकके गात्रोंको भी टाखने की

फिकर की जाती है—कहीं चार चार और कहीं आठआठ गोत्र बचाये जाते हैं—और इस तरह पर मामा कृषीकी कन्याओं से विवाह करनेके प्राचीन प्रशस्त विधानसे इनकार ही नहीं किया जाता बल्कि उनके गात्रों तकमें विवाह करनेको अनुचित ठहराया जाता है। मालूम नहीं इस सब कल्पनाका क्या आधार है—वह किस सिद्धान्त पर अवलम्बित है—और इन गोत्रोंके बचानेसे उस सिद्धान्तकी वस्तुतः कोई रक्षा होजाती है या कि नहीं। शायद सगोत्र विवाहको अच्छा तरहसे टालनेके लिये ही यह सब कुछ किया जाता हा परन्तु गोत्रोंकी वर्तमान स्थितिमें, वास्तविक दृष्टिसे, सगोत्र विवाहका टालना कहीं तक बन सकता है, इसे पाठक ऊपरके कथनसे भले प्रकार समझ सकते हैं। हो सकता है कि इस कल्पनाके मूलमें कोई प्रौढ सिद्धान्त न हो और वह पीछेसे कुछ कारणोंको पाकर निरी कल्पना ही कल्पना बन गई हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि यह कल्पना प्राचीन कालके विचारों और उस वक्तके विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाजोंसे बहुत कुछ विलक्षण तथा विभिन्न है—उसमें निराधार खोजातानीकी बहुलता पाई जाती है—और उसके द्वारा विवाहका क्षेत्र अधिक संकीर्ण हा गया है। समझ में नहीं आता जब बहुत प्राचीन कालसे गोत्रोंमें बराबर अलटा पलटी हाती आई है, अनेक प्रकारसे नवीन गोत्रोंकी सृष्टि होती रही है, एक पुत्र भी पिताके गोत्रको छोड़कर अपनेमें नये गोत्रकी कल्पना कर सकता था और इस तरह पर अपने अथवा अपनी सततिके विवाह क्षेत्रको विस्तीर्ण बना सकता था, तब वे सब बातें आज क्यों नहीं होसकतीं—उनके होनेमें कौनसा सिद्धान्त बाधक है। गोत्र परिपाटीको कायम रखते हुए भी, प्राचीन पूर्वजोंके अनुकरण द्वारा विवाह क्षेत्रको बहुत कुछ विस्तीर्ण बनाया जासकता है। अतः समाजके शुभचिंतक

सहृदय विद्वानों को इस विषय पर गहरा विचार करके गोत्रों की वर्तमान समस्याको हल करना चाहिये और समाजको उसकी उन्नतिका साधक कोई योग्य तथा उचित मार्ग सुझाना चाहिये । हम भी इस विषय पर अधिक मनन करके अपने विशेष विचारोंको फिर कभी प्रकट करनेका यत्न करेंगे ।

असवर्ण और अन्तर्जातीय विवाह ।

'वर्ण' के चार भेद हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । ये वर्ण इसी क्रमको लिये हुए हैं, और इनकी सत्ता यहाँ युगकी आदिसे चली आती है । इन्हें 'जाति' भी कहते हैं । यद्यपि जाति नामा नामकर्मके उदयसे मनुष्य जाति एक ही है और उस मनुष्य जातिकी दृष्टिसे सब मनुष्य समान हैं—मनुष्योंके शरीरोंमें ब्राह्मणादि वर्णोंकी अपेक्षा आकृति आदिका कोई खास भेद न होनेसे और शूद्रादिकोंके द्वारा ब्राह्मणी आदिमें गर्भकी प्रवृत्ति भी हो सकने से उनमें जातिकृत कोई ऐसा भेद नहीं है जैसा कि गौ और अश्वादिक में पाया जाता है*—फिर भी घृष्टि अथवा आजीविकाके भेद से मनुष्य जातिके उक्त चार भेद माने गये हैं । जैसा कि भगवज्जिनसेनके निम्न वाक्यसे सूचित होता है :—

मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा ।

*यथा:—वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्न च दर्शनात् ।

ब्रह्मण्ययादिषु शूद्राद्यैर्गर्भाधानप्रवर्तनात् ॥४६१॥

नास्ति जातिकृतां भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् ।

आकृतिप्रहृष्टात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥४६२॥

—उत्तरपुराण, ७४ वाँ पर्व ।

वृत्तिभेदाद्दि तद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥ ४५ ॥

आदिपुराण, पर्व, ३८ वाँ ।

इन चार प्रधान जातियों अथवा वर्णोंमेंसे ही अप्रवाल, खंडेलवाल, आदि नवीन जातियोंकी सृष्टि हुई है और इसीसे उन्हें उपजातियां कहते हैं । उनमें भी वृत्तिक दृष्टिसे वर्णभेद पाया जाता है । अस्तु ।

इन वर्णोंमें से प्रत्येक वर्णका व्यक्ति जब अपने ही वर्णकी स्त्रीसे विवाह करता है ता उसे 'सवर्ण विवाह' और जब अपने से भिन्न वर्णके साथ विवाह करता है तो उसे 'असवर्ण विवाह' कहते हैं । असवर्ण विवाहके 'अनुलोम' और 'प्रतिलोम' ऐसे दो भेद हैं । अपने से नीचे वर्ण वालोंकी कन्याओंसे विवाह करना 'अनुलोम विवाह' और अपने से ऊपरके वर्ण वालोंकी कन्याओं से विवाह करना 'प्रतिलोम विवाह' कहलाता है । यद्यपि, इन दोनों प्रकारके असवर्ण विवाहोंमें अनुलोम विवाह अधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी सवर्ण विवाह के साथ भारतवर्षमें दोनों ही प्रकारके असवर्ण विवाहोंका प्रचार रहा है और उनके विधि-विधानों अथवा उदाहरणोंसे जैन तथा जैनेतर हिन्दू साहित्य भरा हुआ है ।

भगवज्जिनसेनाचार्य, आदि पुराणमें, अनुलोम रूपसे असवर्ण विवाहका विधान करते हुए, स्पष्ट लिखते हैं :—

शूद्राशूद्रेण वोढव्या नान्या स्वां तां च नैगमः ।

वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा म्वचिच्चताः ॥

अर्थात्—शूद्रका शूद्रास्त्रीके सिवाय और किसी वर्णकी स्त्री के साथ विवाह न होना चाहिये, वैश्य अपने वर्णकी और शूद्र-वर्णकी स्त्रीसे भी विवाह कर सकता है, क्षत्रिय अपने वर्णकी और वैश्य तथा शूद्रवर्णकी स्त्रियाँ व्याह सकता है और ब्राह्मण

अपने वर्णों की तथा शेष तीन वर्णों की स्त्रियों का भी पाणिग्रहण कर सकता है ।

श्री सोमदेव सूत्रि भी, नीति वाक्यामृतमें, ऐसा ही विधान करने हैं । यथा :—

“अनुलोम्येन चतुस्त्रिद्विवर्णकन्याभाजना ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशः ।”

अर्थात्—अनुलोम विवाहकी रीति से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः चार, तीन और दो वर्णोंकी कन्याओं से विवाह करने के अधिकारी हैं ।

इन दोनों उल्लेखों से स्पष्ट है कि जैन शास्त्रोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये असवर्ण विवाह ही नहीं किन्तु शूद्रा तक से विवाह कर लेना भी उचित ठहराया है । हिन्दुओंकी मनुस्मृतिमें भी प्रायः ऐसा ही विधान पाया जाता है । यथा :—

शूद्रैव भार्या शूद्रस्यसा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥

—अ० ३, श्लो० १३ वाँ ।

यह श्लोक आदि पुराणके उक्त श्लोक से बहुत कुछ मिलना जुलता है और इसमें प्रत्येक वर्णके मनुष्योंके लिये भार्याओं (विवाहित स्त्रियों) का जो विधान किया गया है वह वही है जो आदि पुराण के उक्त श्लोक में पाया जाता है । अर्थात्, शूद्रकी शूद्रा; वैश्यकी वैश्या और शूद्रा; क्षत्रियकी क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा; और ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रा, ऐसे अनुलोम क्रमसे भार्याएँ मानी गई हैं ।

मनुस्मृतिके ६ वें अध्याय में दो श्लोक निम्न प्रकारसे भी पाये जाते हैं :—

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽयमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥२३॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसृतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैस्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥२४॥

इन श्लोकोंमें यह बतलाया गया है कि—“अधम योनिसे उत्पन्न हुई—निकृष्ट (अच्छूत) जातिकी—अक्षमाला नामकी स्त्री वसिष्ठ ऋषि से और शारङ्गी नामकी स्त्री मन्दपाल ऋषिके साथ विवाहित होने पर पूज्यता का प्राप्त हुई । इनके सिवाय और भी दूसरी कितनी ही हान जातियोंकी (अर्थात् उच्च जातियोंके पुरुषोंके साथ विवाहित होने पर—अपने अपने भर्तार के शुभ गुणोंके द्वारा इस लोकमें उत्कर्ष का प्राप्त हुई है ।’ और उन दूसरी स्त्रियोंके उदाहरणमें टीकाकार कुल्लुक भट्टजीने, “अन्याश्च सत्यवत्यादयो” इत्यादि रूपसे ‘सत्यवती’ के नामका उल्लेख किया है । यह ‘सत्यवती,’ हिन्दू शास्त्रोंके अनुसार, एक धीवर की—कैवर्त्य अथवा अन्नयजकी—कन्या थी । इसकी कुमारा-वस्था में पराशर ऋषिने इससे भोग किया और उससे व्यासजी उत्पन्न हुए जो ‘कानीन’ कहलाते हैं । बादका यह भीष्मके पिता राजा शान्तनु से व्याही गई और इस विवाह में ‘विचित्रवीर्य’ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे राजगद्दी मिली और जिसका विवाह राजा काशीराज की पुत्रियों से हुआ । विचित्रवीर्यके मरने पर उसकी विधवा स्त्रियों से व्यासजी ने, अपनी माता सत्यवती की अनुमतिसे, भोग किया और पाण्डु तथा धृतराष्ट्र नामके पुत्र पैदा किये, जिनसे पाण्डवों आदिकी उत्पत्ति हुई ।

इस तरह पर हिन्दू शास्त्रोंमें हीन जातिकी अथवा शूद्रा स्त्रियोंसे विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं और उनकी संतानि से अच्छे अच्छे पुरुषों तथा वंशोंका उद्भव होना भी

माना गया है । और जैन शास्त्रोंसे म्लेच्छ, भील तथा वेश्या पुत्रियों जैसे हीन जातिके विवाहोंके उदाहरण 'म्लेच्छ विवाह' आदि प्रकरणों में दिये ही जा चुके हैं । और इन सब उल्लेखों से प्राचीन कालमें अनुलोम रूपसे असवर्ण विवाहोंका होना स्पष्ट पाया जाता है ।

अब प्रतिलोम विवाहको भी लीजिये । धर्म संग्रह श्रावकाचारके ६ वें अधिकार में लिखा है :—

परस्परं त्रिवर्णानां विवाहः पंक्तिभोजनम् ।

कर्तव्यं न च शूद्रैस्तु शूद्राणां शूद्रकैः सह ॥२५६॥

अर्थात्—प्रथम तीन वर्णों वालों (ब्राह्मण, क्षत्रिय-वैश्यों) को आपसमें एक दूसरेके साथ विवाह और पक्ति भोजन करना चाहिये किन्तु शूद्रोंके साथ नहीं करना चाहिये । शूद्रोंका विवाह और पक्ति-भोजन शूद्रोंके साथ होना चाहिये ।

इस वाक्यके द्वारा यद्यपि, श्रीजिनसेनाचार्यके उक्त कथन से भिन्न प्रथम तीन वर्णोंके लिये शूद्रोंसे विवाहका निषेध किया गया है और उसे मत विशेष कह सकते हैं, जो बहुत पीछेका मत है +—हिन्दुओंके यहाँ भी इस प्रकारका मत विशेष पाया जाता है*—परन्तु यह स्पष्ट है कि इसमें प्रथम तीन वर्णोंके लिये परस्पर रोटी बेटीका खास तौर पर विधान किया गया

+ क्योंकि 'धर्मसंग्रह श्रावकाचार' वि० स० १५४१ में बन कर समाप्त हुआ है और इसलिये वह जिनसेनके हरिविजयपुराण से ७०१ वर्ष बादका बना हुआ है ।

*अत्रि आदि ऋषियोंके इस मत विशेषका उल्लेख मनुस्मृति के निम्न वाक्य में भी पाया जाता है :—

शूद्रावेदी पतत्यश्वेकृतथ्यतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतात्पत्या तदपत्यतया भृगोः ॥३-१६॥

है । और इससे अनुलोम विवाहके साथ साथ प्रतिलोम विवाह का भी खासा विधान पाया जाता है । अर्थात्, क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी और वैश्यके लिये क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनोंकी कन्याओंसे विवाहका करना उचित ठहराया गया है । जैन-कथा ग्रंथोंसे भी प्रतिलोम विवाहका बहुत कुछ पता चलता है, जिसके द्वां एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

(१) वसुदेवजीने, जो स्वयं क्षत्रिय थे, विश्वदेव ब्राह्मण की क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्न 'सोम श्री' नामकी कन्यासे—उसे वेदविद्यामें जीतकर—विवाह किया था । जैसाकि श्रीजिनसेना-चार्य कृत हरिवशपुराण (२३ वें सर्ग) के निम्न वाक्यों से प्रकट है:—

अन्वये तत्तु जातेयं क्षत्रियायां सुकन्यका ।

सोमश्रीरिति विख्याता विश्वदेवद्विजन्मिनः ॥४६॥

करालब्रह्मदत्तं मुनिना दिव्यचक्षुषा ।

वेदेजंतुः समादिष्टा महतः सहचारिणी ॥५०॥

इति श्रुत्वा तदाधीत्य सर्वान्वेदान्यदूत्तमः ।

जित्वा सोमश्रियं श्रोमानुपयेमे विधानतः ॥५१॥

इन वाक्योंसे अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकारके विवाहोंका उल्लेख मिलता है ।

(२) श्रीकृष्ण ने अपने भाई गजकुमारका विवाह, क्षत्रिय राजाओंकी कन्याओंके अतिरिक्त, सोम शर्मा ब्राह्मणकी पुत्री 'सोमा' से भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनाचार्य और जिनदास ब्रह्मचारी दोनोंके हरिवश पुराणोंमें पाया जाता है । यहाँ जिनदास ब्र० के हरिवशपुराणसे एक पद्य नीचे दिया जाता है —

मनोहरतरां कन्यां सोमशर्माग्रजन्मनः ।

सोमारुपां वृत्तवाश्वक्री क्षत्रियाणां तथापराः ॥३४-२६॥

(३) उज्जयिनीके वैश्य पुत्र ' धन्यकुमार ' का विवाह राजा श्रेणिककी पुत्री 'गुणवती' के साथ हुआ था । अपनी कुल पुछा जाने पर इन्होंने राजा श्रेणिक से साफ़ कह दिया था कि मैं उज्जयिनीका रहने वाला एक वैश्यपुत्र हूँ और तीर्थ-यात्राके लिये निकला हुआ हूँ । इस पर श्रेणिक ने ' गुणवती ' आदि १६ कन्याओंके साथ इन्के विवाह किया था । जैसाकि रामचन्द्र-मुमुक्षु-कृत 'पुण्यास्त्र' कथाकोशसे प्रकट है :—

“ राजा (श्रेणिकः) ऽभयकुमारादिभिरर्द्धपथमाययौ ।

राजभवनं प्रवेश्य किं कुलो भवानिति प्रपच्छ ॥

कुमारो ब्रूत उज्जयिन्यां वैश्यात्मजो तीर्थयात्रिकः ।

ततो नृपो गुणवत्यादिभिः षोडशकन्याभिस्त्वस्य

विवाहं चकार ॥”

इसी पुण्यास्त्र कथाकोशमें 'भविष्यदत्त' नामके एक वैश्य पुत्रकी भी कथा है, जिसने हरिपुरके अरिजय राजाकी पुत्री 'भविष्यानुरूपा' से और हस्तिनापुरके राजा भूपालकी कन्या 'स्वरूपा' से विवाह किया था और जिसके उल्लेखोंको विस्तार भयसे यहाँ छोड़ा जाता है ।

(४) इसी तरह पर हिन्दू धर्मके ग्रन्थोंमें भी प्रतिलोभ विवाहके उदाहरण पाये जाते हैं जिसका एक नमूना 'ययाति' राजाका उशना ब्राह्मण (शुक्राचार्य) की 'देवयानी' कन्या से विवाह है । यथा :—

तेषां ययातिः पंचानां विजित्य वसुधामिमां ।

देवयानीमुशनसः सुता भार्यामवाप सः ॥

—महाभा० हरि० अ० ३० वीं ।

इसी विवाहसे 'यद्' पत्रका होता भी माना गया है, जिससे यदुवंश चला ।

इन सब उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें अनुलोम रूपसे ही नहीं किन्तु प्रतिलोम रूपसे भी अश्वर्ण विवाह होते थे । दाय भागके ग्रंथोंसे भी अश्वर्ण विवाहकी रितिका बहुत कुछ पता चलता है—उनमें ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न होने वाली संततिके लिये विरासनके नियम दिये हैं, जिनके उल्लेखोंको भी यहाँ विस्तार भयसे छोड़ा जाता है । अस्तु, वर्णकी 'जाति' सजा होने से अश्वर्ण विवाहोंका अन्तर्जातीय विवाह भी कहते हैं । जब भारत की इन चार प्रधान जातियोंमें अन्तर्जातीय विवाह भी होते थे तब इन जातियों से बनी हुई अग्रवाल, खडेलवाल, पल्लीवाल, आसवाल, और परवार आदि उपजातियोंमें, समान वर्ण तथा धर्मके हात हुए भी, परस्पर विवाह न होना क्या अर्थ रखता है और उसके होने में कौन सा सिद्धान्त बाधक है यह कुछ समझमें नहीं आता । जान पड़ता है यह सब आपसकी खींचातानी और परस्परके ईर्ष्या द्वेषादि का ही परिणाम है—घातनविक हानि—लाभ अथवा किसी धार्मिक सिद्धान्तसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वर्णोंकी दृष्टि को छोड़कर यदि उपजातियोंकी दृष्टिको ही लिया जाय तो उससे भी यह नहीं कहा जा सकता कि पहले उपजातियोंमें विवाह नहीं होता था । आर्य जातिकी अपेक्षा श्लेच्छ जाति भिन्न है और श्लेच्छोंमें भी मील, शक, यवन, शचरादिक कितनी ही जातियाँ हैं । जब आर्योंका श्लेच्छों अथवा भीलादिकोंसे विवाह होता था तो वह भी अन्तर्जातीय विवाह था और बहुत

बड़ा अन्तर्जातीय विवाह था। उसके मुकाबले में तो यह आर्यों आर्योंकी जातियों अथवा उपजातियोंके अन्तर्जातीय विवाह कुछ भी गणना में गिने जानेके योग्य नहीं हैं। इसके विवाय, पहले भूमिगोचरियोंके साथ विद्याधरोंके विवाह सम्बन्धका ग्राम दस्त्र था, और उनकी कितनी ही जातियोंका वर्णन शास्त्रोंमें पाया जाता है। वसुदेवजी ने भी अनेक विद्याधर कन्याओंसे विवाह किया था, जिनमें एक 'मदनवेगा' भी थी और वह श्रीजिनसेनाचार्यके कथनानुसार गौरिक जातिके विद्याधरकी कन्या थी। वसुदेवजी स्वयं गौरिक जातिके नहीं थे और इसलिये गौरिक जातिकी विद्याधर-कन्यासे विवाह करके उन्होंने उपजातियोंकी दृष्टिमें भी, स्पष्ट रूपसे अन्तर्जातीय विवाह किया था, इसमें सन्देह नहीं है, आबूके तेजपाल वस्तुपाल वाले जैन मन्दिरमें एक शिलालेख संवत् १२६७ का लिखा हुआ है, जिससे मालूम होता है कि प्राग्वाट (पोरवाड) जातिके तेजपाल जैनका विवाह 'मोढ' जातिकी सहडा देवीसे हुआ था। इस लेखका एक अंश, जो जैनमित्र (ता० २३ अप्रैल सन १९२५) में प्रकाशित हुआ, इस प्रकार है :—

“ ऊँ संवत् १०६७ वर्षे वैशाख सुदी १४ गुरौ प्राग्वाट ज्ञानोन चड प्रचड प्रसादमहं श्री सोमान्वयेमहं श्री अतराज सुत महं श्रीतेजपालेन भोमत्पत्तन वास्तव्य मोढ, ज्ञातीय ठ० जाल्लण सुनठ० आससुतायाः ठकरानी संतोपा कुल्लिसंभूतायाः महंश्री तेजपाल द्वितीय भार्या महंश्री सहडादेवया. भेयार्यं...”

यह, आधुनिक उपजातियोंमें, आजसे करीब ७०० वर्ष पहले के अन्तर्जातीय विवाहका एक नमूना है और तेजपाल नामके एक बड़े ही प्रतिष्ठित तथा धर्मात्मा पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी तरहके और भी कितने ही नमूने खोज करने पर मिल सकते हैं। कुछ उपजातियोंमें तो अब भी अन्तर्जातीय

विवाह होता रहता है ।

ऐसी हालतमें इन अग्रवाल, खडेलवाल आदि जातियोंमें परस्पर विवाह न होनेके लिये सिद्धान्तकी दृष्टिसे, क्या कोई बुक्तियुक्त कारण प्रतीत होता है, इसका पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं । साध ही, यह भी जान सकते हैं कि दो जातियों में परस्पर विवाहसम्बन्ध होनेसे उन जातियोंका लोप होना अथवा जाति पौतिका मेटाजाना कैसे बन सकता है क्या दो भिन्न गोत्रों में परस्पर विवाहसम्बन्ध होनेसे वे मिटजाते हैं या उनका लोप होजाता है ? यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर दो जातियों में परस्पर विवाहके होनेसे उनके नाशकी आशंका कैसे कीजासکتی है ? अतः इस प्रकारकी चिन्ता व्यर्थ है । जहाँ तक हम समझते हैं एकही धर्म और आचारके मानने तथा पालनेवाली प्रायः इन सभी उपजातियोंमें परस्पर विवाहके होनेसे कोई हानि मालूम नहीं होती । प्रत्युत इसके, विवाह-क्षेत्रके विस्तीर्ण होनेसे योग्य सम्बन्धोंके लिये मार्ग खुलता है पारस्परिक प्रेम बढ़ता है, बोग्यताके बढ़ानेकी ओर प्रवृत्ति होती है और मृत्युशुद्ध्या पर पड़ी हुई कितनीही अल्पमस्यक जातियोंकी प्राणरक्षा भी होती है वास्तवमें ये सब जातियाँ परिकल्पित और परिवर्तनशील हैं—एक अवस्थामें न कभी रहें और न रहेंगी—इनमें गो अश्वदि जातियों जैसा परस्पर कोई भेद नहीं है और इस लिये अपनी जातिका अहंकार करना अथवा उसे भेद्य तथा दूसरी जातिको अपने से हीन मानना मिथ्या है । पं० आशाधरजीने भी, अपने अनगर धर्माभूत ग्रन्थ और उसकी स्वोपज्ञ टीकामें, कुल जाति विषयक ऐसी अहंकारिका मिथ्या ठहराया है और उसे आत्म-पतनका हेतु तथा नीच गोत्रके बन्धका कारण बतलाया है । साधही, अपने इस मिथ्या ठहरानेका यह हेतु देते हुए कि 'धर्मार्थसे जाति-कुलकी शुद्धिका कोई निश्चय नहीं बन सकता'—

यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक जाति अथवा कुलकी रक्त-शुद्धि, बिना किसी मिलावटके, अक्षुण्ण बली आती है— उसकी पुष्टिमें नीचे लिखा वाक्य उद्धृत किया है :—

अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे ।

कुले च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना ॥

और इस वाक्यके द्वारा यह सूचित किया है कि 'जब संसार में अनादि कालसे कामदेव दुर्निवार बला आता है और कुलका मूल भी कामिनी है, तब किसी 'जाति कल्पना' को क्या महत्व दिया जा सकता है और उसके आधार पर किसी को क्या मद् करना चाहिये' ? अतः जाति-विषयक मद् त्याज्य है । उसके कारण कमसे कम सधर्मियों अथवा समान आचार को पालने वाली इन उपजातियोंमें पारस्परिक (अन्तर्जातीय) सङ्गविवाहोंके लिये कोई रुकावट न होनी चाहिये । अस्तु ।

उपसंहार और निवेदन ।

इस सब कथन और विवेचनसे, मैं समझता हूँ, पाठकों पर समालोचनाकी सारी असलियत खुल जायगी, उसकी निःसारता इस्तामूलकघत् होजायगी और उन्हें सहज ही में यह मालूम पड़ जायगा कि प्राचीन कालमें विवाहका क्षेत्र कितना अधिक विस्तोर्य था और वह आजकल कितना संकीर्ण बना दिया गया है । साथही, इस प्रकाश-द्वारा विवाह-क्षेत्रका अमान्यकार दूर होने से वे अपने विवाह-क्षेत्रके गड्ढों, खंदकों, खाइयों और कण्डकों आदिका अच्छा अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे—उन्हें यह मालूम हो सकेगा कि वे गड्ढे आदि कहीं

तक वास्तविक, कृत्रिम अथवा काल्पनिक हैं और उनमेंसे किस किसमें, किस हद तक, क्या सुधार बन सकता है—और अपने-अपने इस अनुभवके क्वले वे मिथ्या विभीषिकाओंको दूर करने, विवाह-क्षेत्रकी ब्रुटियोंको सुधारने, रीति-रिवाजोंमें यथोचित फेरफार करने और इस तरह पर विवाह-क्षेत्रको प्रशस्त तथा विस्तार्य बनाकर उसके द्वारा अपनी और अपने धर्म तथा समाजकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध करनेके लिये बहुत कुछ समर्थ हो सकेंगे। इसा सदुद्देश्यको लेकर यह इतना परिश्रम किया गया है।

यहाँ पर पाठकोंको यह जानकर बड़ा कौतुक होगा कि इसी मिथ्या, निःसार, बेतुकी और बेहूदी समालोचनाके भरोसे पर पं० महबूबसिंहजी मालिक फर्म 'हुकमचद जगाधरमल' जैन सराफ, चांदनी चौक देहली, ने 'शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण' के लेखक, प्रकाशक और प्रकाशकके सहायक ला० पद्मा-लालजीका शास्त्रार्थका चैलेंज दिया था, जो समालोचना-पुस्तक के अन्तिम टाइटिल पेज पर अंकित है और जिसमें इन लोगोंसे कहा गया है कि—

"यदि उन्हें अपनी लिखी व प्रकाशित की हुई उपर्युक्त पुस्तक की सत्यता पर कुछ भी विश्वास है तो वे अपने सपत्नके लोगोंको साथ लेकर खुले मैदानमें शास्त्रार्थ करलें जिससे उनके हृदयमें लगे हुए मिथ्या और पतित भाव सदाके लिये छूट जाँय।"

मुझे इस चैलेंजको देखकर बड़ी हँसी आई। सायही, चैलेंजदाताके शास्त्रज्ञान और उनके इस छुड़ोरपन पर खेद भी हुआ। मालूम होता है पंडितजीने इस विषय पर कोई गहरा विचार नहीं किया, वे एक भोले भाले सज्जन आदमी हैं, अपने

इस भोलोपनकी वजह से ही वे समालोचक तथा समालोचक जीके सहायक एक दूसरे विद्वानके कुछ कहने सुननेमें आगये हैं और इस तरह पर व्यर्थ ही बीचमें एक हथियार बना लिये गये हैं। अन्यथा, उनमें शास्त्रार्थकी कोई स्पिरिट—चेतना, वृत्ति अथवा उरसाहपरिणति—नहीं पाई गई। समालोचनाके प्रकाशित होनेके बाद सं मैं दो बार देहली गया हूँ और वहाँ लगातार २२ तथा २० दिनके करीब ठहरा हूँ; ५० महबूबसिंहजी कितनी ही बार बड़े प्रेमके साथ मुझसे मिले परन्तु उन्होंने कभी शास्त्रार्थकी कोई इच्छा प्रकट नहीं की और न 'शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण' या उसकी समालोचनाके विषयमें कोई चर्चा ही की। इससे पाठक सहज ही में उनकी मनःपरिणतिका अच्छा अनुमान कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि चैलेंजमें उनका नाम देकर उनके भालोपनका कितना दुरुपयोग किया गया है। अस्तु; समालोचनाके प्रकाशित होनेके बाद जबतक मेरा देहली जाना नहीं हुआ तब तक मुझे कुछ सज्जनोंकी ओरसे यही समाचार मिलते रहे कि शास्त्रार्थक लिये बहुत कोलाहल मचाया जा रहा है और यहभी कहा जाता है कि यदि शास्त्रार्थ नहीं करागे तो कोर्टमें नालिश करदी जायगी। इसके उत्तर में मैंने उन्हें यही सूचित कर दिया कि मैं आजकलके शास्त्रार्थोंको पसन्द नहीं करता, उनमें वस्तुतत्त्वका निर्णय करना कोई इष्ट नहीं होता किन्तु जय पराजयके ओर ही दृष्टि रहती है और हर एक पक्षका व्यक्ति किसी न किसी तरह हुल्लड़ मचाकर अपने पक्षका जयघोष करना चाहता है; नतीजा जिसका यह होता है कि बहुतसे लोगोंमें परस्पर वैमनस्य बढ़ जाता है और लाभ कुछ भी हाने नहीं पाता। अतः मैं समालोचनाका विस्तृत उत्तर लिखना जिससे सबका लाभ पहुँचेगा। उन्हें यदि कोर्ट में जानेका शौक है तो वे खुशी से आवें, मैं उनके इस कृत्यका

लेखके साथ अभिनन्दन करूँगा और तब समालोचनाका कोई उत्तर न लिखकर कोर्टमें ही अपना सब उत्तर देलूँगा ।' परन्तु मेरे देहली पहुँचने पर कहींसे भी शास्त्रार्थका कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा । प्रत्युत इसके, प्रकाशकजी ने समालोचकजीको आग्रह-पूर्वक इस बातकी प्रेरणा की कि वे अपनी समालोचना को प्रकाशित करनेमें सहायक ला० सोहनलाल तिलोकचंदजीकी कोठी में ही आजायें और वहाँ पर ला० नथनलालजी आदि कुछ विचारवानोंके सामने लेखकसे प्रकृत पुस्तक के विषयमें अपनी शंकाओं तथा आपसियोंका समाधान कर लें । परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, अपना अपमान हो जानेकी संभावना प्रकट की और फिर वे देहलीसे ही बाहर चले गये ! इससे पाठक समझ सकते हैं कि शास्त्रार्थके चैलेंजका कोई सद्दुद्देश्य नहीं था, वह व्यर्थका हुलनडु मच्चाकर सत्य पर पर्दा डालनेका पेशखेमा था, दौंगमात्र था अथवा उसे छुड़ोरपन कहना चाहिये। किसी भी समझदारने उसे पसंद नहीं किया, अन्तु ।

अब समालोचनाका यह विस्तृत उत्तर पाठकोंके सामने उपस्थित है । आशा है कि सभी सहृदय विद्वानोंका इससे सतोष होगा; इसे पढ़कर समालोचकजी और उनके सहायक भी—यदि उनकी चिन्तवृत्ति शुद्ध तथा पक्षपात-रहित होगी तो—अपनी भूलको मालूम करेंगे—उन्हें अपनी कृति पर पश्चात्ताप होगा—और दूसरे वे लाग भी अपने भ्रमका संशोधन कर सकेंगे जिन्हें समालोचना पर से लेखक और लेखककी पुस्तकके विषयमें कुछ अन्यथा धारणा हो गई है । बाकी, जिन लोगोंने कलुषाशयके वशवर्ती अथवा कषायभावसे अभिभूत होकर, लेखकके प्रति एकांगी द्वेष रखनेके कारण, समालोचना को मिथ्या जानते हुए भी उसका आश्रय लेकर और उसे सत्य प्रतिपादन करते हुए, लेखक पर झूठे कटाक्ष किये हैं उसके

व्यक्तित्वके प्रतिभी अपने पत्रोंमें अपशब्दोंका प्रयोग किया है और इस तरह पर अपना जहर उगला है, उनसे श्याय अथवा सद्बिचार की कोई आशा नहीं की जा सकती । ऐसे विद्वानोंके विषयमें मेरी यही भावना है कि उन्हें किसी तरह पर अन्त शुद्धिके द्वारा सद्बुद्धिकी प्राप्ति हो और वे मेरे सद्बुद्देश्य तथा सदाशयको समझनेमें समर्थ हानक ।

अन्तमें, मैं इतना और निवेदन कर देना उचित समझता हू कि मेरा विचार पहले से विवाह-क्षत्र प्रकाश नामकी एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने को था, समालोचनाके उत्तरमें पढ़कर मुझे उसको वक्षमान रूप देना पड़ा है और इससे उसका आकार भी दुगुनेके करीब बढ़ गया है । यदि समाज ने इसे अपनाया और इसके प्रचारकी जड़तकी महसूस किया तो दूसरे संस्करणके अवसर पर इसका प्रणालीका बदल कर तथा इसका उत्तरात्मक भाग अलग करके इसे एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया जायगा और कितनी ही उपयोगी बानें और भी इसमें बढ़ाई जायेंगी । इत्यलम् ।

जुगलकिशोर मुरुतार ।



परिशिष्ट ।

(१)

मलधारि देवप्रभस्त्रिने, अपने पाण्डवपुराणमें, देवकीके पिताका नाम देवक' दिया है और उसे कंसका चचा (पितृव्य पिताका भाई) सूचित किया है । साथ ही लिखा है कि कंसने अपने चचा देवककी सुन्दर रूपवती पुत्री देवकीका विवाह उसके अतुरूप वर वसुदेवके साथ कर दिया था । यथा:—

पुत्रीं निजपितृव्यस्य देवकस्य स देवकीम् ।

सुरूपामनुरूपेण शौरिणा पर्यणाययत् ॥२-१६२॥

इससे भी स्पष्ट है कि देवकी कंसके मामाकी लडकी नहीं थी और न वह कुरुवशमें ही उत्पन्न हुई थी; बल्कि यदुवशी राजा उग्रसेनके सगा भाई देवक (देवसेन) की पुत्री थी और इस लिये वह कुटुम्बके नाते वसुदेवको भतीजी हुई ।

(२)

इस वस्तुके सम्बन्ध पर यह बतलाया गया है कि हिन्दुओंके यहाँ भी देवकीके पिता देवकको कंसके पिता उग्रसेनका सगा भाई माना गया है परन्तु एक बात प्रकट करने से रह गई थी और वह यह है कि इन लोगोंको यदुवशी भी माना है—अथान्, जिस तरह वसुदेवजी यदुवशी थे उसी तरह देवकीके पिता देवक भी यदुवशी थे; दोनोंही का जन्म यदुके पत्र कोष्ठ या कोष्ठाकी सततिमें माना गया है, जिसके पशुका विस्तृत वर्णन महाभारतीय हर्षिवशपुत्राणको देखने से मालूम हो सकता है; और इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें हिन्दुओंके यहाँ भी स्वगोत्र-विवाह होता था । श्रीकृष्णकी सत्य-

भामादिक कुछ स्त्रियाँ भी, उनके मतसे, कृष्णकी तरह क्रोष्टुके वशमे ही उत्पन्न हुई थी, जैसाकि उक्त हरिवंशपुराणक टीकाकार नीलकण्ठजी, ३६ वें अध्यायकी टीकाका प्रारंभ करते हुए और उसके काष्ठारेवामवत्पुत्रो" इत्यादि पद्य पर टिप्पणी देते हुए, लिखते हैं .—

“षट्त्रिंशो वर्यते वंशः क्रोष्टोर्यदुसुतस्य च ।

यत्र जाता महालक्ष्मी रुक्मिणी शक्तिरीश्वरी ॥१॥

क्रोष्टोरेवेति । यथा कृष्णः क्रोष्टुर्वंशेजात एवं सत्य-
भामादयोऽपि तत्रैव जाता इति वक्तुमेवकार ।”



वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २४०.५१ सुरवता
लेखक सरदार जुगलेश्वर शीर
शीर्षक विपद् क्षेत्र प्रकाश
खण्ड ११२ क्रम संख्या